लोक-सभा

वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/X/23

द्वितीय माला

खण्ड ५९, १९६१/१८८३ (शक)

[२० से ३० नवम्बर, १९६१/२९ कार्तिक से १० अग्रहायण १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

पन्द्रहवां सत्र, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५९ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

[द्वितीय माला, खण्ड ५९---अंक १ से १०---२० नवम्बर से १ दिसम्बर, १९६१/२९ कार्तिक से १० अग्रहायण, १८८३ (शक)]

अंक १---सोमवार, २० नवम्बर, १९६१/२९ कार्तिक, १८८३ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न* संख्या १ से ४, ६ से ११, २१, १२ और १३	१–२९
प्रश्नों के लिखित उत्तर---	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १४ से २० और २२ से ५७ . .	२९–५१
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७४, ७६ और ७७ . .	५१–८६
दिनांक १३-३-१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१९ के उत्तर में शुद्धि .	८६
निधन सम्बन्धी उल्लेख	
स्थगन प्रस्ताव---	
(१) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले और उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे	८७–९०
(२) राजनैतिक दलों को मान्यता देने के बारे में चुनाव आयोग का निर्णय	९०–९२
(३) पाकिस्तान के सैनिक न्यायाधिकरण के द्वारा कर्नल भट्टाचार्य ी दोषसिद्धि	९२–९५
(४) लद्दाख क्षेत्र में चीनियों के घुस आने की घटनायें	९५–९६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९७–१००
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१०१
तारांकित प्रश्न संख्या १३३५ के उत्तर में शुद्धि . . .	१०१–०२
रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	१०२–०८
पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के बारे में वक्तव्य . . .	१०८–०९
प्रत्यर्पण विधेयक	१०९
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापित करने के समय का बढ़ाया जाना .	१०९
चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक पुरस्थापित . .	१०९
चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य . .	११०
प्रसूति लाभ विधेयक	११०–२४
विचार करने का प्रस्ताव	११०–२४
खंड २ से ३० तथा १	११४–२२
पारित करने का प्रस्ताव	१२२–२४
शिशिक्षु विधेयक	१२५–२८
विचार करने का प्रस्ताव	१२५–२८
दैनिक संक्षेपिका	१२९–३८

विषय	पृष्ठ
अंक २--मंगलवार, २१ नवम्बर, १९६१/३० कार्तिक, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ५९, ९३, ६०, ६२, ६४, ६६ से ६९, ७१, ७२, ७६, ७८, ८०, ८१, ८२, ८५, ८७, ९१ तथा ८९ . .	१३९–६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या* ५८, ६१, ६३, ६५, ७०, ७३ से ७५, ७७, ७९, ८३, ८४, ८६, ८८, ९०, ९२, ९४ से ११५ .	१६५–८४
अतारांकित प्रश्न संख्या ७८ से २०१ . . .	१८४–२३९
सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई	२४०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२४०–४४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति-- . .	
नव्वेवां प्रतिवेदन	२४४
तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ के उत्तर में शुद्धि .	२४४–४५
समिति के लिये निर्वाचन	
पशु कल्याण बोर्ड . .	२४५
प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक--पुरस्थापित . .	२४५–४६
शिशिक्षु विधेयक	२४६–६६
विचार करने का प्रस्ताव . . .	२४६–६२
खंड २ से ३८ और १	२६३–६४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	२६४–६६
वेतन से स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक १९६१ .	२६६–६८
पारित करने का प्रस्ताव	२६६–६७
खंड २ से ५ और १	२६७
पारित करने का प्रस्ताव	२६७–६८
उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक . . .	२६८–६९
पारित करने का प्रस्ताव	२६९
खंड २ और १	२६९
पारित करने का प्रस्ताव	२६९
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक . .	२६९–७३
पारित करने का प्रस्ताव	२६९–७२
खंड २ से ४ और १	२७३
पारित करने का प्रस्ताव	२७३
कॉफी (संशोधन) विधेयक	२७३–७६
खंड २ से १४ और १	२७५–७६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	२७६
दैनिक संक्षेपिका	२७७–८९

अंक ३—गुरुवार, २३ नवम्बर, १९६१/२ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ११६, ११८ से १२४, १३१, २०१, १२५, १६७ और १३० . . . . . २९२-३१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७, १२६ से १२९, १३२ से १६६, १६८ से २०० और २०२ से २०७ . . . . . ३१६—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२ से २२२, २२४ से ३३५ और ३३७ से ३६२ ३५४—४२४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ४२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ४२४—२८

विधेयक पर समिति के बारे में . . . . . ४२८—२९

आगामी सामान्य निर्वाचन के कार्य क्रम के बारे में वक्तव्य . . . ४२९—३१

असम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक . . . ४३१—३४

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ४३१—३३

खंड २ से ७ तथा १ . . . . ४३४

पारित करने का प्रस्ताव ४३४

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) संशोधन विधेयक . . ४३४—३९

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ४३४—३८

खंड १ से ७ . . . . . ४३९

पारित करने का प्रस्ताव ४३९

विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक . ४३९—४०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ४३९—४०

खंड १ से ११ . . . . . ४४०

पारित करने का प्रस्ताव ४४०

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४४०—४८

दैनिक संक्षेपिक . . . . . ४४९—६३

अंक ४—शुक्रवार, २४ नवम्बर, १९६१/३ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९ से २१६ . . . ४६५—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८ और २१७ से २४७ ४८७—५०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ४६० ५०३—४४

स्थगन प्रस्ताव—

पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा एक यात्री स्टीमर पर कथित गोलीबारी ५४४-४५

विवरण में शुद्धि . . ५४५-४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ५४६-४७

विषय	पृष्ठ
सभा का कार्य	५४८
राज्य उपक्रमों सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . .	५४८–५९
प्राद्योगिकीय संस्थायें विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	५६०–६१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
नव्वेवां प्रतिवेदन	५६१
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा राश बिहारी बसु की अस्थियों के बारे में संकल्प	५६१—७१
गोआ, दमन और दीव से पुर्तगालियों को हटने के बारे में संकल्प . .	४७१—८३
दैनिक संक्षेपिका	५८४—९१
अंक ५—शनिवार, २५ नवम्बर, १९६१/४ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २४८ से २५१, २५३ से २६०, २६२ से २६४, २६८, २६९ और २७० . . .	५९३—६१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २५२, २६१, २६५ से २६७ और २७१ से ३०३ .	६१८—३६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ५९७	६३६—७००
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	७००
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
कच्चे पटसन के मूल्य . . .	७०१
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	७०१–०२
सभा का कार्य . . .	७०२–०३
समिति के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय गरम मसाले और काजू समिति	७०३–०४
प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक .	७०४—११
विचार करने का प्रस्ताव . .	७०४—०९
खंड २ से ३९ और १	७०९—११
पारित करने का प्रस्ताव .	७११
श्री हुमायूं कबिर .	७११
पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव	७११—३१
दैनिक संक्षेपिका	७३२—४०
अंक ६—सोमवार, २७ नवम्बर, १९६१/६ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०४ से ३०७ और ३०९ से ३१६ . .	७४१—६३

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०८ और ३१७ से ३६५ . . .	७६३–८६
अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ७०२ और ७०४ से ७०६ . .	७८६–८३५
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) पुर्तगालियों द्वारा मछली पकड़ने वाली भारतीय नावों पर गोली चलाना	८३५–३६
(२) गाड़ियों का देर से चलना	८३६–३७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८३७–३८
विधेयक पर रायें	८३८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ के बारे में विवरण .	८३८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ के बारे में विवरण .	८३८
तारांकित प्रश्न संख्या १२७९ के उत्तर में शुद्धि	८३९
तारांकित प्रश्न संख्या ११६७ के उत्तर में शुद्धि . .	८३९–४२
वित्त मंत्री की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य	८३९–४२
पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव . . .	८४२–६१
चीनी (उत्पादन का विनियमन) संविहित अध्यादेश के बारे में संकल्प तथा चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक .	८६२–७९
विचार करने का प्रस्ताव	८६२–७९
सभा का कार्य	८७९–८०
दैनिक संक्षेपिका	८८१–९०
अंक ७—मंगलवार, २८ नवम्बर, १९६१/७ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ से ३७५, ३७७ और ३७८ . .	८९१–९१४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७६ और ३७९ से ३९७ . .	९१४–२५
अतारांकित प्रश्न संख्या ७१० से ७७९ और ७८१ से ७८८ .	९२५–६४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
कोयला खनन उद्योग में मजूरी का पुनरीक्षण . . .	९६४–६५
भारत और चीन के सम्बन्धों के बारे में श्वेत पत्र संख्या ५ के सम्बन्ध में वक्तव्य	९६५–६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९६९
तारांकित प्रश्न संख्या १११७ के उत्तर में शुद्धि . . .	९६९–७०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक . .	९७०

विषय	पृष्ठ
(२) लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर विधेयक .	९७०
(३) टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) संशोधन विधेयक	९७०–७१
चीनी (उत्पादन का अधिनियमन) अध्यादेश के बारे में संकल्प तथा चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक .	९७१–९१
विचार करने का प्रस्ताव . . .	९७१–८९
खंड १ से ८	९८९–९०
पारित करने का प्रस्ताव	९९०–९१
इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में संकल्प .	९९१–१०००
दैनिक संक्षेपिका	१००१–०६
अंक ८—बुधवार, २९ नवम्बर, १९६१/८ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ३९९, ४०२, ४०५ से ४०८, ४११, ४१४ से ४१९	१००७–२८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४००, ४०१, ४०४, ४०९, ४१०, ४१२, ४१३, ४२० से ४२६, ४२८ से ४३१	१०२९–३६
अतारांकित प्रश्न संख्या ७८९ से ९०६ . . .	१०३६–८९
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा भारतीय अधिकारियों को परेशान किया जाना	१०८९–९२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०९२–९३
राज्य सभा से संदेश	१०९३
तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर में शुद्धि . . .	१०९४–९५
कर्नल भट्टाचार्य की दोषसिद्धि और कारावास के बारे में चर्चा . .	१०९५–११०८
संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	११०८–१८
दैनिक संक्षेपिका	१११९–२६
अंक ९—गुरुवार, ३० नवम्बर, १९६१/९ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ से ४३४, ४३६ से ४४० . .	११२७–४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३५ और ४४१ से ४९० . . .	११४९–७१
अतारांकित प्रश्न संख्या ९०७ से ९१८, ९२० से ९४६ और ९४८ से १०००	११७१–१२११

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) कांगो की परिस्थिति और संयुक्त राष्ट्र संघ की कमान में रहने वाली भारतीय सेना के लिए असुरक्षा .	१२११–१४
(२) गोआ सीमा पर पुर्तगाली सेना का कथित जमाव . .	१२१४–१५
(३) पुर्तगालियों की यातना से गोआ के देश भक्त की हवालात में कथित मृत्यु	१२१५–१६
(४) उड़ीसा में भारत के गलत नक्शों का प्रकाशन, जिनमें काश्मीर को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया . . .	१२१६–१७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
फरक्का बांध को बनाने में कथित विलम्ब . . .	१२१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१२१७–१९
सदस्य की दोष सिद्धि	१२२०
प्रत्यर्पण विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१२२०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१२२०
(२) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१२२०–२१
संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	११२१–३२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ . . .	१२३२–४२
डाक्टरों की कमी के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . .	१२४३–४५
दैनिक संक्षेपिका	१२४६–५५
अंक १०—शुक्रवार, १ दिसम्बर, १९६१/१० अग्रहायण, १८८३ (शक)	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१२५७
सभा की कार्यवाही	१२५७
दैनिक संक्षेपिका	१२५८

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS-III—1627LS—4-1-62—125

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचमम्बा, डा० कों० (विजयवाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अजित राम, लाला (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (तिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्याकण्णु, श्री (नागपट्टिनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम, श्री रा० सी० (श्री बिल्लीपुतुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

अष्ठाना, श्री लीलाधर (उन्नाव)

क

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरी)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)

इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री व० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनिश्वर दत्त (प्रतापगढ़)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवा)

उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय)

एरिंग, श्री डा० (उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)

कट्टी, श्री द० अ० (चिकोड़ी)

कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)

कमल सिंह, श्री (बक्सर)

कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री (बीकानेर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामले, डा० देवराज नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)

क—(क्रमशः)

काशीराम, श्री व० (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)

किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुमारन, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)

कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)

कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)

कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)

कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)

कृष्णप्पा, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)

केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)

केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)

केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोडियान, श्री (क्विलोम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)

कोट्टु कप्पल्ली, श्री जार्ज़ थामस (मवात्तु पुजा)

ख

खां, श्री उस्मान, अली (कुरनूल)

खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)

खां, श्री सादत अली (वारंगल)

खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)

खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)

खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)

ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)

गणपति राम, श्री (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति सहाय, श्री (सुल्तानपुर)

गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल)

गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रताप सिंह राव (बड़ौदा)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)

गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)

गुप्त, श्री राम कृष्ण (महेन्द्रगढ़)

गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता—पूर्व)

गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)

गोडसोरा, श्री शम्भू चरण (सिंहभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड़)

गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)

गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)

गोहोकर, डा० देवराव यशवन्त राव (यवतमाल)

गौंडर, श्री षनमुध (तिंडीवनम्)

गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तर)

गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)

गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घोडासर, श्री फतहसिंहजी (करा)

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)

घोष, श्री महेन्द्रकुमार (जमशेदपुर)

घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)

घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)

चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)

चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)

च—(क्रमशः)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)

चन्द्रामणि, कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातिया)

चावल, श्री दा० रा० (कराड़)

चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा),

चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)

चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)

चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सुं० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जमीर, श्री चुबातोशी (नागा पहाड़ियां—तुएनसांग प्रदेश)

जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)

जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)

जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)

जेधे, श्री गुलाब राव केशव राव (बारामती)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)

जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)

जोगेन्द्रसिंह, सरदार (बहराइच)

जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)

जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)

ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)

झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर--मध्य)

डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ---रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद---रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)

तारिक, श्री अली मोहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)

ताहिर, श्री मुहम्मद (किसनगंज)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

तिवारी, पंडित द्वारिका नाथ (केसरिया)

तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़---खंडवा)

तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)

तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुलाराम, श्री (इटावा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)

त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)

दामानी, श्री सू० र० (जालोर)

दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (आसनसोल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)

दासप्पा, श्री (बंगलौर)

दिगे, श्री शंकरराव खंडेराव (कोल्हापुर---रक्षित---अनुसूचित ---जातियां)

दिनेश सिंह, श्री (बांदा)

दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)

दुबलिश, श्री विष्णुशरण (सरधना)

द—(क्रमशः)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)

देब, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)

देब ,श्री प्र० गं० देब (अंगुल)

देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)

देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)

देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)

द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्र नाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)

धर्मलिंगम्, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरी)

नथवानी, श्री नरेन्द्रभाई (सोरठ)

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)

नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरी)

नरेन्द्र कुमार, श्री (नागौर)

नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवास राव (उस्मानावाद)

नल्लाकोया, श्री कोविलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन दीवो द्वीप)

नाथपाई, श्री (राजापुर)

नादर, श्री थानुलिंगम्, (नागरकोईल)

नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)

नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कड्डलूर)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोजीकोड)

नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)

न—(क्रमशः)

नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)

नायर, श्री बासुदेवन् (तिरुवल्ला)

नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नारायणस्वामी, श्री (परियाकुलम्)

नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)

नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़—दक्षिण)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)

नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)

पटेल, सुश्री मणिबेन बल्लभभाई (आनन्द)

पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)

पद्मदेव, श्री (चम्बा)

पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पल्लकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)

पलनियाण्डी, श्री (पैरम्बलूर)

पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)

पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)

पाटिल, श्री तु० शं० (अकोला)

पाटिल, श्री नाना (सतारा)

पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज)

पाटिल, श्री र० ढो० (मीरं)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)

प—(क्रमशः)

पांडेय, श्री सरजू (रसरा)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास–उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानु (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जाति)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जतियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बसुम्तारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकि, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिडरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)
बीरबलसिंह, श्री (जौनपुर)
बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

ब—(क्रमशः)

बेरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)

ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)

'ब्रजेश', पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)

भगवती, श्री बि० (दरांग)

भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)

भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)

भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)

भवानी प्रसाद, श्री (सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)

भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)

भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टयम्)

मतीन, काजी (गिरिडीह)

मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

मधोक, श्री बलराज (नई दिल्ली)

मनाय्यन, श्री (दार्जिलिंग)

मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)

मलिक, श्री धीरेन्द्र चन्द्र (धनबाद)

मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म—(क्रमशः)

मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची—पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (अफूलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)
महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (घाटल)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवानदीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगु सराय)
मिश्र, श्री रघुवर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तूकृष्णन्, श्री म० (बल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झूंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहम्मद इमाम, श्री (चितलदुर्ग)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)

म—(क्रमशः)

मूर्ति, श्री ब० सू० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्णन् (बम्बई नगर-उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकुन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सैं० अहमद (रामपुर)
मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहनस्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनाली)
रंगारेड्डि, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंह जी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोता (गुण्टर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजा राम बाल कृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (राय बरेली)

र—(क्रमशः)

राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)

राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)

राधा मोहन सिंह, श्री (बलिया)

राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)

राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)

रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)

रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामधनीदास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)

राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)

रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)

रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

रामशंकर लाल, श्री (डुलरियागंज)

राम शरण, श्री (मुरादाबाद)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)

रामौल, श्री शिवानन्द (महासू)

राय, श्री खुशवक्त (खेरी)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राव, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)

राव, श्रीमती सहोदराबाई (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)

राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम)

राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)

राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगोंडा)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

र---(क्रमशः)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमहेट)

ल

लक्ष्मणसिंह, श्री (नामनिर्देशित---अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्र नाथ (श्री रामपुर)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्यलाल (उदयपुर)
वर्मा, श्रीरामजी (देवरिया)
वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० कि० (त्रिचूर)
बाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
विजय आनन्द, महाराजकुमार (विशाखापटनम्)
विजय राजे, कुंवरानी (छतरा)
विल्सन, श्री जान० न० (मिर्जापुर)

व—(क्रमशः)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विश्वास, श्री भोलानाथ (कटिहार)

वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, श्री (रायपुर)

वकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकांति (अडोनी)

वेद कुमारी, मोते (एलूरू)

वैरावन, श्री अ० (तंजौर)

वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)

व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शंकर पांडियन, श्री (टंकासी)

शंकरय्या, श्री (मैसूर)

शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)

शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)

शर्मा, श्री दीवान चन्द्र (गुरदासपुर)

शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)

शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)

शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)

शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)

शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)

शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)

शाह, श्रीमती जयाबेन वजूभाई (गिरनार)

शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)

शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलोदा बाजार)

शोभाराम, श्री (अलवर)

श्रीनारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

सवंदम्, श्री (नागपट्टिनम)

सक्सेना, श्री शिब्बनलाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)

सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)

सत्य नारायण, श्री बिट्टिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)

सम्पत, श्री (नामक्कल)

सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)

सहगल, सरदार अमरसिंह (जंजगीर)

साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामन्तसिंहार, डा० न० चं० (भुवनेश्वर)

साहू, श्री भगवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंह, श्री क० ना० (शाहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सिंह, श्री चण्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)

सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद, (मुंगेर)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज—बिहार)

सिंह, श्री रमेश प्रसाद (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री लैसराम अचौ (आंतरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिद्दय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)

स---(क्रमशः)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)

सुगन्धि, श्री मु० सु० (बीजापुर---उत्तर)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

सुब्बरायन, डा० प० (तिरूवेंगोड)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)

सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)

सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)

सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता---उत्तर-पश्चिम)

सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)

सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

सैयद महमूद, उ० (गोपाल गंज)

सोनावने, श्री तयप्पा (शोलापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

सोनुल, श्री हरिहर राव (नांदेड़)

सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)

सोरेन, श्री देवी (दुमका---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

स्वर्ण सिंह, सरदार (जालन्धर)

स्वामी, श्री (चान्दा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

हजरनवीस, श्री रा० म० (भंडारा)

हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)

हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)

हाल्दर, श्री अन्सारी (डायमन्ड हार्बर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

हिनिटा, श्री हुवर (स्वायत जिले---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (भटिंडा)

हेडा, श्री ह० च० (निजामाबाद)

हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

डा० सुशीला नायर

श्री मूलचन्द दुबे

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री जगन्नाथ राव

श्री ह० चं० हेडा

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य-मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ाकुर दास भार्गव

श्री प्र० क० देव

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री यादव नारायण जाधव

श्री जयपाल सिंह

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री राजेश्वर पटेल

श्री शिवराम रंगो राने

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री लैस राम अचौ सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री मिसुला सूर्यनारायण मूर्ति

श्री तंगामणि

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री हेम बरुआ

श्री च० द० गौतम

श्री फतहसिंहजी घोडासार

श्री मी० रु० मसानी

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री च० द० पांडे

श्री शिव राम रंगो राने

श्री अशोक कु० सेन

श्रीमती जयाबेन वजूभाई शाह

श्री सारंगधर सिन्हा

श्री सत्यनारायण सिंह

डा० प० सुब्बारायन

श्री श्रद्धाकर सूपकार

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी सामान्य

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**

श्री मानकभाई अग्रवाल

श्री अय्याकणु

श्री इगनेस बेक

श्री बी० ला० चांडक

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री नं० रं० घोष

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री गुलाबराव केशवराव जेधे

श्री बै० च० मलिक

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री राजेश्वर पटेल

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा

श्री शिवनंजप्पा

श्री रुंगसंग सुइसी

प्राक्कलन समिति

श्री दासप्पा—**सभापति**

श्री प्रेमथनाथ बनर्जी

श्री चन्द्र शंकर

श्री वें० ईयाचरण

श्री अन्सार हरवानो

श्री हेडा

श्री मं० रं० कृष्ण

रानी मंजुला देवी

श्री विभूति मिश्र

श्री गोरे

श्री गु० सिं० मुसाफिर

श्री पद्म देव

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री पन्ना लाल

श्री करसन दास परमार

श्री थानु पिल्ले

श्री पुन्नूस

श्री राजेन्द्र सिंह

श्री रामस्वामो

श्री सतीश चन्द्र सामन्त

श्री विद्या चरण शुक्ल

श्री कैलाशपति सिन्हा

श्री सुगन्धि

श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह ठाकुर

श्री महावीर त्यागी

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय

श्री रामसिंह भाई वर्मा

श्री बालकृष्ण वासनिक

श्री वोडयार

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**

श्री अय्याकणु

श्री बासप्पा

श्री भोलानाथ विश्वास

श्री दलजीत सिंह

श्री विभूति भूषण दास गुप्त

श्री गणपति राम

श्री मूलचन्द जैन

श्री कमल सिंह

श्री कोडियान

श्री बलराज मधोक

श्री मोती लाल मालवीय

डा० पशुपति मंडल

श्री विश्वनाथ राय

श्री रामजी वर्मा

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

श्री अब्दुल सलाम

श्री अंजनप्पा

श्री जगदीश अवस्थी

श्री फतहसिंह घोड़ासर

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्री रामचन्द्र माझी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री मथुरा प्रसाद मिश्र

श्री मुहम्मद इमाम

श्री वासुदेवन नायर

श्रीमती उमा नेहरू

श्री नानूभाई निच्छाभाई पटेल

श्री शिवनंजप्पा

श्री शिवराज

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह--सभापति

श्री स० अ० अगाड़ी

श्री अकबर भाई चावदा

श्री देवी सोरेन

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री यादव नारायण जाधव

श्री भानुसाहेब रावसाहेब महागांवकर

श्री सुरेन्द्र महन्ती

श्री नि० बि० माईति

श्री थानुलिंगम् नादर

श्री त० ब० विट्ठल राव

श्री रूप नारायण

श्री अमर सिंह सहगल

श्री झूलन सिंह

श्री सुन्दर लाल

लोक लेखा समिति

लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन--सभापति

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री हेमराज

श्री र० सि० किलेदार

श्री माने

डा० पशुपति मंडल

श्री मतीन

डा० मेलकोटे

श्री पु० र० पटेल

डा० सामन्त सिंहार

पंडित द्वा० ना० तिवारी

कुमारी मोत्ते वेदकुमारी

श्री रामजी वर्मा

श्री वारियर

राज्य-सभा

डा० श्रीमती सीता परमानन्द

श्री लालजी पेंडसे

श्री बी० सी० केशव राव

श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी

श्रीमती सावित्री देवी निगम

श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह

श्री जयनारायण व्यास

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह—सभापति

श्री बहादुर सिंह

श्री अरविन्द घोषाल

श्री न० रे० घोष

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

डा० कृष्णस्वामी

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

श्री मोहम्मद इमाम

श्री पु० र० पटेल

श्री करसनदास परमार

श्री रघुबीर सहाय

श्री क० स० रामस्वामी

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री झूलन सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—सभापति

सरदार हुक्म सिंह

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री ब्रजराज सिंह

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री० श्री० अ० डांगे

श्री दासप्पा

श्री प्र० के० देव

श्री मूल चंद दूबे

श्री ह० चं० हेडा

श्री रंगा

श्री जयपाल सिंह

डा० कृष्णस्वामी

श्री उ० श्री० मल्लय्या

श्री अशोक मेहता

डा० सुशीला नायर

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री शिव राज

श्री याज्ञिक

श्री जगन्नाथ राव

आवास समिति

श्री उ० श्री० मल्लय्या—सभापति

श्री बैरो

श्री माणिकलाल मगन लाल गांधी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री खुशवक्त राय

श्रीमती पार्वती कृष्णन

श्रीमती मफीदा अहमद

श्री राजेश्वर पटेल

श्री जगन्नाथ राव

श्री स० चं० सामन्त

श्री सिंहासन सिंह

लाभपद संबंधी संयुक्त समिति

लोक–सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन––सभापति

डा० मा० श्री० अणे

श्री आसार

श्री क० ब० मेनन

श्री मुरारका

श्री ही० ना० मुकर्जी

श्रीमती उमा नेहरू

श्री रामेश्वर साहू

श्री राधा चरण शर्मा

श्री सिद्धनंजप्पा

राज्य–सभा

दीवान चमन लाल

श्री टी० एस० अविनाशलिंगम् चेट्टियार

श्री एम० गोविन्द रेड्डी

डा० राज बहादुर गौड़

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी संयुक्त समिति

लोक–सभा

श्री सत्य नारयण सिंह ––सभापति

श्री बैरो

श्री चपला कान्त भट्टाचार्य

श्री रेशम लाल जांगड़े

श्री प्रभात कार

श्री मोहन स्व

श्री च० रा० नरसिंह

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिंहासन सिंह

श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम

राज्य-सभा

श्री जगन्नाथ कौशल

श्री अवधेश्वर प्रताप सिंह

श्री रोहित एम० दव

श्रीमती यशोदा रेड्डी

डा० डब्ल्यू ० एस० बालिगें

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

श्री अमजद अली

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री नौशीर भरूचा

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री मु० सु० सुगन्धी

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री मोती लाल मालवीय

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्री पु० र० पटेल

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

श्री शंकरय्या

श्री राधा मोहन सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भार-साधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री —लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मन्त्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री —श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—डा० प० सुब्बरायन

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सेन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री —सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री —हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री —श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री —श्री स० का० पाटिल

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वे० कृ० कृष्ण मेनन

निर्माण , आवास और संभरण मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री —श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री —डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री —श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री —डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीटिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री—श्री मो० वें० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री—डा० मनमोहन दास

रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां

रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरमैय्या

असैनिक उड्डयन उपमंत्री— श्री मुहीउद्दीन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

पुनर्वास उपमंत्री—श्री पु० शे० नास्कर

विधि उपमंत्री—श्री हजरनवीस

वित्त उपमंत्री —श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री सादत अली खां

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव —श्री जो० ना० हजारिका

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव—श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव—श्री आ० चं० जोशी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव —श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव—श्री श्याम धर मिश्र

लोक-सभा

गुरुवार, २३ नवम्बर, १९६१

२ अग्रहायण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

†**अध्यक्ष महोदय :** सचिव उन माननीय सदस्य का नाम पुकारें जो संविधान के अन्तर्गत शपथ ग्रहण करने या प्रतिज्ञान करने आये हैं।

†**सचिव :** श्री चुबातोशी जमीर।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) :** श्री चुबातोशी जमीर का आप से और आपके द्वारा सभा से परिचय कराते हुये मुझे प्रसन्नता होती है। उन्हें राष्ट्रपति ने नागा पहाड़ी तुएनसांग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिये नाम निर्दिष्ट किया है।

[**इस के पश्चात् माननीय सदस्य श्री चुबातोशी जमीर ने प्रतिज्ञान किया।**]

---

†मूल अंग्रेजी में

1515(ai) LS—1.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कांगो में मारे गये भारतीय सिपाही

+

†*११६. श्री प्र० गं० देव :
श्री गोरे :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री नाथ पाई :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री बलराज मधोक :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री हेम राज :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री सूपकार :
श्री विभूति मिश्र :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री चुनी लाल :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र कमान के अधीन कांगो में, विशेषतः कटंगा में, काम करते हुये कितने भारतीय सिपाही मारे गये ; और

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई क्षतिपूर्ति मिली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) कांगो में ११ भारतीय सैनिक मारे गये थे—८ लड़ाई में और ३ दुर्घटनाओं में।

(ख) विद्यमान प्रबन्धों के अनुसार सर्वप्रथम भारत सरकार हमारे नियमों के अधीन प्रतिकर देती है। बाद में, वापसी के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग की जायेगी।

†श्री प्र० गं० देव : कांगो की सारी लड़ाई में कुल कितने भारतीय सैनिक मरे ?

†श्री कृष्ण मेनन : कांगो की हाल की कार्यवाही में और कोई मृत्यु नहीं हुई।

†श्री प्र० गं० देव : क्या यह सच नहीं है कि हमारे सैनिकों के सम्बन्धियों को उनके बारे में उचित जानकारी नहीं दी जाती ?

†श्री कृष्ण मेनन : सामान्य प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। सेना अधिकारी उनके सम्बन्धियों को सूचना देते हैं।

†श्री साधन गुप्त : प्रतीत होता है कि हमारे जेट विमानों के आने तक कांगो में हमारे सैनिकों को बहुत ही अपर्याप्त विमान संरक्षण प्राप्त था। पर्याप्त विमान संरक्षण के बिना हमारे सैनिकों को वहां क्यों भेजा गया और जब हमने उन्हें वहां भेजा तो हमने उन्हें पर्याप्त विमान संरक्षण क्यों नहीं दिया ?

†श्री कृष्ण मेनन : मैं इस मामले में मार्गदर्शन चाहता हूं कि क्या यह बात वर्तमान प्रश्न से उत्पन्न होती है ?

†अध्यक्ष महोदय : शायद माननीय सदस्य का विचार है कि विमान संरक्षण के अभाव के कारण ही उन में से कुछ मारे गये हैं।

†श्री कृष्ण मेनन : युद्ध का संचालन भारतीय सेना के हाथ में नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र कमान के हाथ में है। संयुक्त राष्ट्र कमान आदेश देता है और वहां उपस्थित विभिन्न देशों की सेनायें तथा कमान्डर उन का पालन करते हैं। कांगो में हाल में मांगी गई वायु सेना के अतिरिक्त कोई वायु सेना न थी। एक लड़ाकू विमान से जो मिस्टर शोम्बे ने कहीं प्राप्त किया था, स्थल सेना को कुछ हानि हुई है।

†श्री साधन गुप्त : क्या हमें यह देखने का अधिकार नहीं है कि हमारी सेनायें पर्याप्त संरक्षण के बिना न भेजी जायें ?

†श्री कृष्ण मेनन : यदि न मांगे तो हम अपनी वायु सेना कांगो नहीं भेज सकते थे।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य और सभा यह जानना चाहती है कि एक बार हमारी सेना के वहां भेजे जाने पर, चाहे वे संयुक्त राष्ट्र कमान के अधीन है, क्या हमें समय समय पर यह नहीं देखना चाहिये कि क्या कमान वहां हमारे सैनिकों के जीवन की रक्षा के लिये उचित कार्यवाही कर रहा है ?

†श्री कृष्ण मेनन : हमारे अधिकारी संयुक्त राष्ट्र कमान्डरों के रूप में इन सेनाओं को आदेश देते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या हमारे सैनिकों को वायु संरक्षण दिया गया था ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** श्रीमान मैं ने यही तो उत्तर दिया है। हम अपना विमान बल भेज कर ही वायु संरक्षण दे सकते थे। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे वायु बल के लिये प्रार्थना न करे तो हम अपने पास उस के होते हुए भी उसे नहीं भेज सकते थे। हम उन के द्वारा मांगी गई सहायता ही भेजते हैं। पिछले दिनों तक वायु सहायता के लिये कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। वायु सहायता का प्रश्न इस कारण उत्पन्न हुआ कि कटंगा के विद्रोही नेता ने कहीं से एक लड़ाकू विमान ले लिया और संयुक्त राष्ट्रसंघ के सैनिकों को मार दिया।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच है कि कुछ सेना कर्मचारी, जिन की संख्या लगभग ११०० थी, भारत लौट आये हैं और यदि हां तो अब भी कांगो में कितने सैनिक हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** जो व्यक्ति वापस आये हैं, वे लड़ाकू नहीं हैं। वे उस सेना के अंग हैं जो आरम्भ में कांगो भेजे गये थे। वापस आये व्यक्ति लड़ाकू कर्मचारी नहीं हैं और उन के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को भेजना है। जो वहां हैं, यह शायद उन के वापस आने का समय है और कांगो में सैनिक कार्यवाही के समाप्ति की आशा के आधार पर उन के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को भेजा जायेगा या नहीं भेजा जायगा।

†**श्री तंगामणि :** मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि अब भी वहां उनमें से कितने व्यक्ति हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** कांगो में हमारी सेना, वायु बल, संभरण और कमजेरियट में लगभग ६,००० भारतीय व्यक्ति हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह देखना हमारे हित में नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र कमान हमारे सैनिकों को वायु संरक्षण दे क्योंकि हम सैनिकों को तोपों के गोलों के रूप में नहीं अपितु लड़ने के लिये भेज रहे हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** हम से सेना की टुकड़ियां भेजने की प्रार्थना की गई थी। उन्होंने कुछ सेना मांगी थी और वह भेजी गई। उस के बाद उन्होंने वायु सेना के लिये प्रार्थना की और हम ने उन्हें वायु सेना भेज दी है। पिछले दिनों तक कांगो में कोई हवाई कार्यवाही नहीं हुई थी। वहां कैसी सेना या किस प्रकार अस्त्र जाने चाहियें इस का निश्चय संयुक्त राष्ट्र करता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मारे गये व्यक्तियों में से कितने अधिकारी थे और कितने अन्य रैंकों के थे ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** सब अन्य रैंक के थे।

†**श्री बाजपेयी :** क्या भारत सरकार ने भारतीय सैनिकों की रक्षा करने के लिये वायु सेना भेजने के लिये संयुक्त राष्ट्र से कहा था ? क्या हम ने संयुक्त राष्ट्र को कोई सुझाव दिया था कि हम अपनी वायु सेना भेजने को तैयार हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** वायु सहायता की प्रार्थना किये जाने पर हम ने यथासंभव वायु सेना उन्हें दे दी है। मूलत: वायु सेना सैनिकों की रक्षा के लिये नहीं भेजी जाती। यह कार्यवाही के लिये भेजी

---

†मूल अंग्रेजी में

जाती है। यदि कोई ऐसी कार्यवाही होती है जो कांगो में हो रही है जहां कि वायु सेना की आवश्यकता है तो इसका प्रयोग किया जायेगा। घटना इस प्रकार हुई कि कटंगा के विद्रोह में शोम्बे को कहीं से एक विमान मिल गया--हर एक उस को देने से मना करता है--और उस ने एकमात्र आक्रमणकारी के रूप में कुछ शरारत की।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच है कि योरोप के कुछ देशों के प्रेस ने कटंगा में भारतीय सैनिकों के साहसिक कार्य की प्रशंसा करने के बजाये उसे हेय बताया और, यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** हमें ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है। कुछ समाचार विदेशी स्रोतों से आये हैं कि भारतीय सैनिकों ने रेड क्रास की गाड़ी पर गोली चलाई। परन्तु सम्बन्धित सरकार ने उसका निराधार बताया है और मुझे हर्ष है कि कटंगा में भारतीय कर्मचारियों व सैनिकों का बड़ा मान है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** आजकल कटंगा में हमारी कितनी सेना है क्या वे विभिन्न कार्यों में लगे हैं और अब वे पूर्णतया सुरक्षित हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह नियम विरुद्ध है। प्रश्न का सम्बन्ध केवल उन व्यक्तियों से है जो वहां मारे गये हैं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** माननीय मंत्री ने कहा था कि सैनिकों की मृत्यु दुर्घटना से भी हुई थी। दुर्घटनायें किस प्रकार की थीं और उन में कितने व्यक्ति मारे गये ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** हमारी सेनायें कटंगा के सम्बन्ध विच्छेद के बारे में कटंगा में कार्य करने के लिये गई थीं। उन पर बेल्जियम के वाणिज्य दूतालय से गोली चलाई गई, जिसका अनुकरण कटंगा की सेना-टुकड़ी ने किया और भारतीय सेना ने अपने बचाव में गोली चलाई। एक कमीशन को डाकघर और अन्य वस्तुओं पर अधिकार करना था और वे उन्हों ने सफलतापूर्वक पूरा किया। और उस समय युद्ध बन्द हो गया।

†**श्री विभूति मिश्र :** क्या मृत व्यक्तियों की विधवा स्त्रियों व बच्चों को कोई और सहायता देने का सरकार का विचार है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** अभी तो सारा प्रतिकर भारतीय सेना के नियमों के अनुसार दिया जाता है। सामान्य भारतीय नियमों के अन्तर्गत उन्हें जितना अधिकार है उन्हें दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के साथ आगे बातें होंगी।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच नहीं है कि ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन ने यहां हमारे सैनिकों पर आरोप लगाये थे, और क्या यह सच नहीं है कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने एक वक्तव्य जारी किया था जिस में इन आरोपों का खंडन किया गया था ? यदि हां, तो माननीय मंत्री अब कैसे कहते हैं कि उन्हें इसका पता नहीं है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** मैं ने यह नहीं कहा कि मुझे इस का बोध न था। मैंने कहा था कि कुछ इस प्रकार का आरोप लगाया गया था जिसे संबंधित सरकार ने स्वीकार नहीं किया। अर्थात्, कहा गया था कि भारतीय सेना ने रेड क्रास की गाड़ी पर गोली चलाई। वास्तव में, उन्होंने रेड क्रास

---

†मूल अंग्रेजी में

की किसी भी गाड़ी पर या किसी ऐसी गाड़ी पर जिस पर रेड क्रास बना हुआ हो गोली नहीं चलाई, हालांकि रेड क्रास का निशान वाली कुछ गाड़ियां हथियार ले जा रही थीं। सम्बन्धित सरकार ने इसे अस्वीकार किया है और किसी भी सरकार ने इस की टीका टिप्पणी नहीं की है।

पाकिस्तानी हैलीकोप्टर द्वारा सीमा का अतिक्रमण

†*११८. **श्री प्र० गं० देव :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक पाकिस्तानी हेलीकाप्टर हाल ही में पश्चिम बंगाल में २४ परगना जिले में बैगाची में उतरा था और एक पाकिस्तानी विमान ने मुर्शिदाबाद जिले के ऊपर उड़ान की थी ;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं का पूरा ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री प्र० गं० देव :** क्या मैं जान सकता हूं कि जैसा पाकिस्तान ने किया था, इन विमानों को क्यों नहीं मार गिराया जाता ?

†**सरदार मजीठिया :** मैं ने कहा कि कोई विमान नहीं उतरा और कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। अतः किसी विमान को मार गिराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या सरकार को यह पता चला है कि २४ परगना जिला में बैगाची में विमान के उतरने के बारे में कलकत्ता के एक समाचारपत्र में बड़े बड़े अक्षरों में छपा था और क्या उस समाचारपत्र को ऐसे समाचार न छापने के लिये कहा गया है ?

†**सरदार मजीठिया :** उस की विमान सदर मुकाम और पूर्वी कमान के सदर मुकाम द्वारा जांच कर ली गई है और उस विवरण में कोई सार नहीं है।

कोयले की ढुलाई

†*११९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल, बिहार और देश के अन्य भागों में कोयले की ढुलाई की प्रक्रिया क्या है ;

(ख) कोयले के भंडार कहां पर बनाये जायेंगे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या कलकत्ता, पटना और अन्य स्थानों पर कोयले की प्रति मन परचून दर और इसके मूल्य का हिसाब लगाया गया है;

(घ) क्या उद्योगों ने और परचून के विक्रेताओं ने और उपभोक्ताओं ने इस नयी प्रक्रिया का विरोध किया है; और

(ङ) क्या यह सच है कि वैगनों की सारी फालतू क्षमता मुगलसराय के उत्तर में स्थित स्थानों के लिये सुरक्षित रखी जायेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ;

विवरण

(क) पत्थर के कोयले, ईंटें पकाने के लिये कोयले और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कोयले तथा कोक जैसे कम प्राथमिकता वाले कोयले के, अधिकांश रेकों तथा आधी रेकों में आयोजित परिवहन व्यवस्था लागू करने के अतिरिक्त कोयले की ढुलाई की कोई नई प्रक्रिया नहीं है ।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर कोयला भंडार बनाये गये हैं :

राज्य	स्थान
पंजाब	भटिण्डा और अमृतसर ।
उत्तर प्रदेश	लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर और मेरठ शहर ।
केरल .	त्रिचूर और कोचीन ।
मद्रास . .	मद्रास, तिरुवेरापल्ली और कोयम्बटूर ।

अन्य राज्यों के बारे में स्थान राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय रेलवे से परामर्श करके चुने जायेंगे ।

(ग) स्थानीय खुदरा मूल्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है जो किसी विशेष स्थान पर कोयले की लागत निर्धारित करने में विभिन्न तत्वों पर विचार करते हैं ।

(घ) भंडार योजना के बारे में कुछ आपत्ति हुई है । परन्तु अन्य ओर से इसका पूर्ण समर्थन हुआ है ।

(ङ) कोई फालतू वैगन क्षमता नहीं है । उपरोक्त उपाय वर्तमान परिवहन क्षमता के अधिकाधिक उपयोग के लिये है ।

†**श्री इन्द्र जीत गुप्त** : विवरण से पता चलता है कि कोयले के परिवहन के लिये कोई नयी व्यवस्था नहीं है परन्तु इसमें यह भी बताया गया है कि कोयला भंडार बनाये जा रहे हैं और कई राज्यों में बनाये जा चुके हैं । क्या यह सच है कि चुने हुये स्थानों पर कोयला भंडार स्थापित करने की समूची योजना कोयले की ढुलाई के लिये व्यवस्था में परिवर्तन करने के प्रश्न से स्वतः सम्बन्धित है ? अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि इस प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यदि माननीय सदस्य अंग्रेजी में कोई कमी निकालें तो वह भिन्न बात है । उन्होंने कोई वह बात नहीं कही है जो विवरण में नहीं है । विवरण में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो कुछ नीचे दिया गया है इसके अतिरिक्त कोई नयी प्रक्रिया नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मुगल सराय से पहले बड़ी मात्रा में कोयला ट्रकों द्वारा ढोया जाता है। वास्तव में सभी कोयला भंडार मुगलसराय से आगे हैं। मुगलसराय से पहले अर्थात, बिहार, बंगाल और अन्य क्षेत्रों में ढुलाई की नयी व्यवस्था के लिये आवश्यक इन स्थानों में क्या किया गया है ? यह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है : अतः यह बताया गया है : कि ये राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये जायेंगे ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह अच्छा होगा कि कोयला भंडार बनाने की योजना राज्य सरकारों के सहयोग से ही सफल हो। बिहार और पश्चिम बंगाल, दो राज्य जहां मुगलसराय से पहले परिवहन अन्तर्निहित है, की राज्य सरकारें इस मामले पर विचार कर रही हैं और उन्होंने अभी तक न तो स्थानों को, जहां पर भंडार बनाये जायेंगे, अन्तिम रूप दिया है और न ही अन्य आवश्यक औपचारिकतायें पूरी की हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या सरकार इन राज्यों द्वारा उचित रूप से वितरण के लिये भंडार बनाये जाने तक और मुगलसराय से नीचे के स्थानों में वैगनों के आवंटित किये जाने तक इस नयी व्यवस्था को लागू न करने पर विचार करेगी ? तब तक यह परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** वैगन वर्तमान योजना के अनुसार आवंटित किये जाते हैं और दिये जाते है। अतः जब तक कोयला भंडार नहीं बनाये जायेंगे, वर्तमान व्यवस्था चालू रहेगी।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या यह सच नहीं है कि इस भंडार योजना को लागू करने से सड़क के रास्ते कोयले की ढुलाई में वृद्धि होगी और फिर कोयले के संभालने का खर्च बढ़ जायेगा और परिणामतः मूल्य भी बढ़ जायेंगे, और यदि हां, तो वे कौन हैं जिनके बारे में यह कहा गया है कि उन्होंने मूल्य में वृद्धि होने के बावजूद भी इस व्यवस्था का जोरदार समर्थन किया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** भंडार बनाने की आवश्यकता रेल द्वारा परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता में कमी से हुई। अच्छी व्यवस्था सभी स्थानों को, यदि रेल परिवहन पर्याप्त है, परिवहन होगी। परन्तु अब जैसी स्थिति है, रेल परिवहन का अच्छी तरह तभी उपयोग किया जा सकता है जब लक्ष्य-स्थान कम हों। उस ही दृष्टिकोंण से यह कोयला भंडार योजाना लागू की गयी है। वास्तव में यह योजना दो राज्यों में चल रही है। अतः ये बातें हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि इस योजना का कौन समर्थन कर रहे हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** इसका मूल्य पर क्या असर पड़ेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। काफी समय पहिले मंत्री महोदय ने सुझाव दिया था कि वैगनों की कमी के कारण अन्य साधन, कभी और असुविधा को दूर करने के लिये, भंडार स्थापित करना है। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि भंडार उचित है या नहीं। मैं नीति सम्बन्धी मामलों को प्रश्न-काल में नहीं उठाने दूंगा। यह मामला यहां उठा था और मुझे विश्वास है कि सदन ने यह स्वीकार किया था कि भंडार बनाये जायें। वास्तव में इसी ओर से सुझाव आये थे और माननीय सदस्य ने पूछा था, "भंडार क्यों नहीं बनाते?" यदि भंडार बनाये जाते हैं तो वे पूछते हैं, "भंडार क्यों बनाये गये हैं ?" अगला प्रश्न ।

†**श्री तंगामणि :** भंडार दक्षिण में बनाये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भंडारों में कोयला भेजा जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चंडीगढ़ में भारतीय वायु सेना के विमान का गिरना

†*१२०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना का एक परिवहन विमान ५ सितम्बर, १९६१ को चंडीगढ़ के हवाई अड्डे पर उतरते समय टकरा गया ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन):** (क) और (ख). विमान समान्य रूप से उतरा। उतरने के बाद इसका अगला पहिया अपने स्थान से हट गया। विमान फिसल गया और उसमें आग लग गयी ।

(ग) और (घ). एक जांच न्यायालय स्थापित किया गया है और इसकी कार्यवाही पूरी होने पर परिणाम का पता चलेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** यदि विमान सामान्य रूप से उतरा होता तो दुर्घटना कैसे होती? इसमें विवाद है। सामान्य रूप से उतरना और दुर्घटना ये दोनों साथ साथ कैसे हो सकते हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** उतरने के बाद हटने वाला अगला पहिया हट सकता है। जमीन पर इसके उतरने में कोई कठिनाई नहीं थी। परन्तु विमान की उतरने के बाद दुर्घटना हो सकती है। खैर, एक जांच न्यायालय है और जब तक इसकी उपपत्तियां नहीं मिल जाती, मैं अधिक जानकारी नहीं दे सकता। विमान सामान्य रूप से उतरा था ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** यह जांच कार्य किसको सौंपा गया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह सामान्य नियमों के अधीन वायु बल द्वारा किया जाता है ।

सरकारी विभागों का व्यय

†*१२१. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री ३० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी विभागों द्वारा किये जाने वाले व्यय पर वित्तीय नियंत्रण की वर्तमान पद्धति को पुनर्गठन करने की योजना पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी, हां ।

(ख) नई योजना, प्रयोगात्मक आधार पर १४ सितम्बर, १९६१ से छः महीनों तक के लिये वाणिज्य तथा उद्योग, सूचना और प्रसारण और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालयों तथा खाद्य विभाग में लागू की गयी है। उनको अतिरिक्त वित्तीय अधिकार दिये गये हैं और उनको कार्य अध्ययन एकक स्थापित करने को कहा गया है। वित्त मंत्रालय कहीं कहीं जांच करके और मंत्रालय से प्राप्त रिपोर्ट पर आधारित कार्य अध्ययन के जरिये अपना नियंत्रण रखेगा। यदि यह प्रयोग सफल हुआ, तो इस योजना को यथा संभव शीघ्र अन्य मंत्रालयों में भी लागू किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** उपमंत्री महोदय ने बताया है कि अतिरिक्त अधिकार दिये गये हैं। इन मंत्रालयों को दिये गये अतिरिक्त अधिकारों का ब्योरा और मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** यदि मैं सभी अधिकारों के बारे में विस्तार से बताऊं तो उस में बहुत समय लगेगा। परन्तु मुख्य बातें पदों के बनाने, निधि का पुनर्विनियोग आदि हैं। उदाहरणतः कुछ मामलों में सम्बन्धित मंत्रालय संयुक्त सचिव तक के पद बना सकते हैं। प्रशासन को अच्छा बनाने के ख्याल से विभिन्न अधिकार बनाये गये हैं।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि शासन खर्चे पर जो प्रतिबन्ध लगा रहा है उससे सरकार को कितने रुपये की बचत होने की आशा है ?

श्री ब० रा० भगत : इस वक्त तो वर्क स्टेडीज़ चलेगी। उसके बाद जब रिपोर्ट आयेगी तो माननीय सदस्यों को मालूम हो जायेगा।

जैसलमेर में तेल की खोज

†*१२२. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दो० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री साधन गुप्त :
श्री दामानी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसलमेर क्षेत्र में तेल की खोज के लिये फ्रांस के साथ जो बातचीत चल रही थी वह पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या स्टैण्डर्ड वैक्यूम आयल कम्पनी के साथ भी बातचीत पुनः आरम्भ की गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) से (ग). आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) करार के अनुसार तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और फ्रांसीसी पैट्रोलियम संस्था, के सहयोग से आयोग के शिल्पिक, प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के अधीन एक भारत-फ्रांसीसी खोज दल बनाया जायेगा और उसका कामकाज चलाया जायेगा। परस्पर सहयोग की अवधि तीन साल की होगी और संचालन के पहले साल के बाद किसी भी ओर से दो महीने का नोटिस पर करार समाप्त करने का उपबन्ध भी होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. कार्यक्षेत्र राजस्थान का जैसलमेर जिला होगा और यह व्यवस्था है कि यदि उस क्षेत्र में प्रारंभिक काम काज से उस क्षेत्र में और आगे प्रयत्न करना अनावश्यक हो जाये तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग दल के प्रयत्न और धन को देश में किसी ही दूसरे क्षेत्र में फ्रांसीसी पैट्रोलियम संस्था के परामर्श से लगा सकेगा ।

३. परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये फ्रांस सरकार ४ करोड़ रुपये का ऋण देगी । रुपया खर्च आयोग देगा ।

४. इस परियोजना में फ्रांसीसी पैट्रोलियम संस्था के कोई वाणिज्यिक हित नहीं होंगे । उन्हें अपनी सेवाओं के लिए फ्रांसीसी पेट्रोलियम संस्था विशेषज्ञों के परामर्श के लिए, उस संस्था की प्रयोग-शालाओं के इस्तेमाल के लिए और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों के फ्रांस में प्रशिक्षण के लिए माहवार फीस दी जायगी ।

(ग) जी नहीं ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** यह भारत फ्रांसीसी खोज दल उस क्षेत्र में कब से अपना काम शुरू कर देगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** तैयारी हो रही है । तकनीकी और प्रशासनिक एककों के लिये हम ने पास में ही कार्यालय ले लिया है । इस सम्बन्ध में निर्धारित कार्यक्रम के बारे में प्रारंभिक सर्वेक्षण करने के लिये कुछ विशेषज्ञ काम कर रहे हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** विवरण से यह पता लगता है कि परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी करने के लिये फ्रांस सरकार ४ करोड़ रुपये का ऋण देगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि किन शर्तों के अधीन यह ऋण दिया जायगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** फ्रांस से हम ने जो ऋण प्राप्त किया है उसकी अदायगी की शर्तें उन शर्तों के अन्तर्गत आ जाती हैं जिन की चर्चा हमारी सरकार के वित्त मंत्रालय और उनकी सरकार के बीच में हुई थी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** विवरण के अनुसार, रुपया व्यय आयोग करेगा । इस रुपया व्यय की रकम क्या होगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** इस परियोजना पर हमें जितनी रकम खर्च करनी पड़ेगी वह तेल और प्राकृतिक गैस आयोग प्राप्त कर लेगा । हमें संभवतः कितनी रकम की जरूरत पड़ेगी इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते ।

†**श्री दामानी :** कुओं की खुदाई कब से शुरू होगी और ठीक-ठीक नतीजे प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जैसलमेर क्षेत्र में छिद्रण का कार्य प्रारंभिक छानबीन की सफलता और कुछ ढांचों की स्थापना पर निर्भर होगा । यदि सब कुछ ठीक हो तो हम अगले साल के आखिर में या १९६३ के आरम्भ में छिद्रण कार्य शुरू कर सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि जैसलमेर में तेल की खोज के लिए स्टैनवैक ५० प्रतिशत साझेदारी करार भी करना चाहता था और एक दूसरी फ्रांसीसी फर्म को भी, जिसे पाकिस्तान में गैस का पता चला है, इस में दिलचस्पी थी ? यदि हां, तो इन विभिन्न फर्मों द्वारा रखी गई शर्तों के मुकाबले में हमें फ्रांसीसी पेट्रोलियम संस्था से क्या लाभ हो रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : तेल या गैस की खोज का काम करने में एक फर्म को दिलचस्पी थी लेकिन वह तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ साझेदारी करना चाहती थी । यहां फ्रांसीसी पेट्रोलियम संस्था के साथ कोई साझेदारी नहीं है और फ्रांसीसी दल का कोई वाणिज्यिक हित नहीं है । संपूर्ण परियोजना तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की है । माननीय सदस्य दोनों में अन्तर समझते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : उन्होंने मेरे प्रश्न के एक ही भाग का उत्तर दिया है । मैं ने स्टैनवैक और एक दूसरी पार्टी का जिसे पाकिस्तान में गैस मिली है, जिक्र किया था और उसे भी इस में दिलचस्पी थी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की जानकारी सही नहीं है । केवल एक ही पार्टी है जिसे पाकिस्तान में गैस मिली है और वही पार्टी इस परियोजना में साझेदार बनने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ बातचीत करना चाहती थी । दोनों एक ही हैं ।

†**श्री नाथ पाई** : सरकार ने जो एकतरफा फैसला किया है उसका एक कारण यह भी है कि कम्पनियों के साथ बड़ी लंबी बातचीत हुई है । क्या यह विलम्ब इस विषय की विशेषताओं के कारण हुआ है या कम्पनियों की ओर से अनिच्छा, असहयोग और विरोध के बर्ताव के कारण हुआ है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : कभी-कभी बातचीत के तकनीकी पहलू काफी पेचीदा होते हैं और उस में काफी समय लग जाता है । कभी-कभी पार्टियां अपनी शर्तों पर अड़ जाती हैं और हम बिना यथोचित विचार किये वे शर्तें अस्वीकार नहीं करना चाहते इसलिये अवश्य ही इस पर कुछ समय खर्च हो जाता है ।

†**श्री राधा रमण** : विवरण से यह मालूम होता है कि इस संस्था का कोई वाणिज्यिक हित नहीं है । इस संस्था की सेवाओं के लिये कितनी रकम अदा की जायगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : दोनों पार्टियों ने जो व्यवस्था मंजूर की थी उसके मुताबिक ही यह है । जो सेवायें वे उपलब्ध करेंगे उस के लिए उन्हें उस ऋण में से भुगतान किया जायगा जो उन से प्राप्त होगा । इसके अलावा यहां मजूरी आदि पर भारतीय पया भी खर्च किया जायगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस योजना के अन्तर्गत किसी भारतीय शिल्पिक को फ्रांस में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अब तक भेजा गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अपने सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत हम अपने लड़कों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये बाहर भेजते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या किसी उपकरण के लिये आदेश दिया जा चुका है, जो इस कंपनी के द्वारा दिया जायगा और यदि हां, तो कब ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय :** वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, फ्रांसीसी दल को उपकरण प्राप्त करना होगा। वह उसे यहां लायेगा और उसके लिए किराये के तौर पर हम भुगतान करेंगे या उसे खरीद लेंगे।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : विवरण के पैरा २ में कहा गया है कि कार्यक्षेत्र राजस्थान का जैसलमेर जिला होगा लेकिन यदि प्रारंभिक काम के फलस्वरूप उस क्षेत्र में और आगे काम करना जरूरी न हो तो मशीनें देश के किसी दूसरे भाग में ले जाई जायेंगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस क्षेत्र के निकट कोई दूसरा क्षेत्र संभाव्य है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वह सब उस तकनीकी खोजबीन पर, जो अगले एक दो साल में की जायगी, निर्भर होगा।

शिक्षा में क्षय

†*१२३. **श्री गोरे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रोफेसर निर्मल कुमार सिद्धान्त द्वारा १४ सितम्बर, १९६१ को दिल्ली में रोटरी क्लब के सामने दिये गये कथित वक्तव्य की ओर गया है कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये ली जाने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रतिभा का अत्यधिक क्षय होता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षय को न्यूनतम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) सरकार को ऐसे किसी विवरण के बारे में जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इसके अलावा मैं यह भी बता दूं कि हम ने उपकुलपति से पूछताछ की थी। उन्होंने एक भाषण दिया जो पहले से तैयार नहीं किया हुआ था और इसलिये वह निश्चित रूप से यह नहीं बता सके कि उन्होंने क्या कहा। मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि बरबादी का तथ्य सर्वविदित है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो विभिन्न कार्य कर रहा है उस से आखिर में बरबादी कम हो जायगी।

डा० गोविन्द दास : क्या यह बात बहुत दिनों से नहीं चल रही है कि जो अयोग्य विद्यार्थी हैं उन को भी विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती है, और विश्वविद्यालयों की शिक्षा एक ही प्रकार की है और इसलिये सब के योग्य नहीं है ? इस पर बहुत दिनों से विचार भी चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके निर्णय में इतनी देरी क्यों हो रही है और यह कब तक आशा की जाती है कि इस मामले में निर्णय हो जायगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह सही है कि काफी तादाद में अयोग्य विद्यार्थी विश्व विद्यालयों में जाते हैं और जो वेस्टेज होता है उसका यह एक प्रधान कारण है। यह एक जटिल प्रश्न है जिसका इसी समय मैं उत्तर नही दे सकता। बात यह है कि जब दूसरा धन्धा लड़कों को नहीं मिलता और हाई स्कूल पास करने के बाद उनके सामने और कोई चारा नहीं रह जाता तो वह विश्वविद्यालयों में जाते हैं। जैसे-जैसे हमारे देश में विकास होगा, आशा की जाती है कि वैसे-वैसे ज्यादा तादाद में लोग धन्धों में जाएंगे और उनको विश्वविद्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और फिर धीरे-धीरे यह समस्या हल हों जाएगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : विश्वविद्यालयों में प्रवेश के संबंध में क्या सभी विश्वविद्यालयछात्रों को पिछली परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर स्वीकार कर लेते हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो अनियमितता हुई है या जो अपवाद किये जाते हैं उनके संबंध में क्या कोई समीक्षा की गयी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह प्रत्यक्ष इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न पूछना चाहें तो मैं बड़ी खुशी से उत्तर दूंगा । मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में अलग अलग प्रथा है और प्रवेश के मामले में सभी विश्वविद्यालयों में एक से ही नियम और विनियम नहीं हैं।

†**श्रीमती रेणुका राय** : बरबादी रोकने के लिये, क्या विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्तर पर परीक्षा प्रणालो में परिवर्तन करने और स्कूल का काम काज आदि पर विचार करने के रूप में कोई कार्यवाही की जा रही है । क्योंकि यह सभी जानते हैं कि परीक्षायें सदा ही बुद्धि की सर्वोत्तम कसौटी नहीं होतीं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसा कि मैं ने बताया है, इस बरबादी के लिये केवल एक ही कारण नहीं है, वरन् कई बातें हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो भी उपाय कर रहा है उन सब से अन्त में बरबादी की मात्रा कम हो जायेगी।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह भी शामिल है। परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के बारे में भी विचार हो रहा है।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं समझता हूं कि जब माननीय मंत्री ने सभा को यह बताया कि डा० सिद्धान्त से प्रत्यक्ष पूछताछ करने पर उन्होंने यह बताया कि उन्हें ठीक-ठीक याद नहीं है कि उन्होंने क्या कहा क्योंकि उन्होंने बिना तैयारी किये भाषण दिया था, माननीय मंत्री स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं बता सके। डा० सिद्धान्त को यह मालूम होना चाहिये कि उन्होंने क्या कहा चाहे उन्होंने अपना भाषण तैयारी करके दिया हो या बिना तैयारी किये दिया हो। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इसका खंडन किया है अथवा नहीं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हां, श्रीमान्, प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने उनके इस तथाकथित वक्तव्य की ओर ध्यान दिया है कि "सरकारी परीक्षाओं और विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं में काफी शक्ति नष्ट होती है"। तो उन्होंने निश्चय ही शक्ति क्षय के बारे में कुछ कहा होगा ; उनके पास कोई लिखित भाषण नहीं था और इसलिये उन्हें ठीक-ठीक याद नहीं कि उन्होंने क्या कहा और इस कारण वह वचनबद्ध होना नहीं चाहते। जो भी हो, उससे मुख्य विषय में कोई बहुत अन्तर नहीं पड़ता। जैसा कि मैं ने कहा है कि शक्ति नष्ट होने की बात सर्व विदित है। मैंने यह भी कहा है कि इस बरबादी को रोकने के लिये सरकार कई उपाय कर रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि बरबादी की मात्रा बहुत अधिक है या नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी हां, बरबादी की मात्रा इस प्रकार है :—

हाई स्कूल परीक्षा, १९५६–५७	५१.६४	प्रतिशत शक्तिक्षय
इंटरनीडियेट परीक्षा, ,,	५३.०७	,,
बी० ए० पास १९५७–५८	५२.२०	,,
बी० ए० आनर्स ,,	३२.७०	,,
बी० एस०सी० पास ,,	५१.४०	,,
बी० एस० सी० आनर्स ,,	३४.३०	,,
एम० ए० ,,	१८.७०	,,
एम० एस० सी	२०.४०	,,
पी० एच० डी० ,,	१५.००	,,

अब सभा स्वतः ही यह फैसला कर ले कि बरबादी बहुत अधिक है या उससे कम है ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : उन्होंने अपने भाषण में दो कारण बताये हैं : एक तो परीक्षा प्रणाली और दूसरे, विश्वविद्यालयों में प्रवेश पद्धति । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन दो विशिष्ट दृष्टिकोणों से इस प्रश्न को जांचा है और क्या सरकार का परीक्षा प्रणाली में तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश संबंधी नियमों में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

†**श्री बलराज मधोक** : क्या यह सच है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों ने परीक्षाओं में सफलता तथा श्रेणियां निर्धारित करने के लिये भिन्न-भिन्न कसौटियां निर्धारित की हैं जिसका परिणाम यह हुआ है कि कुछ विश्वविद्यालयों में छात्र ४५ प्रतिशत से ही दूसरी श्रेणी ले लेते हैं, दिल्ली में वह ५० प्रतिशत है जिस से कालेजों में प्रवेश के या सेवाओं के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय से पास होने वाले छात्रों के साथ भेदभाव होता है ? यदि हां, तो क्या संपूर्ण देश में श्रेणियां निर्धारित करने के लिये एक सी कसौटी कायम करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी हां । किसी प्रकार की एकरूपता लाने के लिये सरकार अनेक प्रकार की कार्यवाहियां कर रही है । लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, शिक्षा राज्य का विषय है और हम उसे केवल राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों के परामर्श से ही, जो स्वायत्तशासी संस्थायें होती हैं, कर सकते हैं ।

†**श्री प्र० गं० देव :** परीक्षाओं में जो नुक्ते (पाइंट्स) लिखे जाते हैं क्या उन पर ही ध्यान दिया जाता है या विशिष्ट विषयों के छात्रों के ज्ञान पर भी विचार किया जाता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं समझता हूं कि परीक्षाओं में छात्रों की उत्तर देने की योग्यता का परीक्षण किया जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री हरिश्चन्द्र माथुर ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : प्रश्न संख्या १२४ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** प्रश्न संख्या १३१ को भी साथ ही में ले लिया जाये।

†**श्री स० चं० सामन्त :** प्रश्न संख्या २०१ भी।

†**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है, हम तीनों प्रश्न इकट्ठे ही ले लेंगे ?

असम में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

†*१२४. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश के बारे में की गयी जांच का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) नियंत्रण कड़ा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** :(क) १९६१ की जनगणना में इकट्ठे किये गये आंकड़ों की अभी छानबीन हो रही है और इस मामले में अभी कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है।

(ख) जो कार्यवाही की जा चुकी है और की जा रही है उसमें ये बातें शामिल हैं:—

(१) सीमावर्ती चौकियों को सुदृढ़ बनाना, और

(२) सीमावर्ती चौकियों के कर्मचारियों की गतिशीलता बढ़ाना।

असम में पाकिस्तानी नागरिकों का अवैध प्रवेश

*१३१. { **श्री प्रकाश बीर शास्त्री :**
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री ले० अचौ सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुबिमन घोष : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में अवैध प्रवेश कर बस रहे पाकिस्तानी नागरिकों के जांच कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) जांच के मुख्य आधार क्या-क्या रखे गये हैं ;

(ग) असम के आगामी सामान्य निर्वाचनों में यह भारी मात्रा में रहने वाले पास्कितानी नागरिक भाग न ले सकें क्या इसकी कोई व्यवस्था कर दी गई है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) असम के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में क्या यह जांच कार्य पहले आरम्भ किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क), (ख), (घ) और (ङ). १९६१ की जनगणना में एकत्रित सामग्री (data) की अभी जांच की जा रही है। अतः अभी इस मामले में कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना संभव नहीं।

(ग) नियमों तथा स्थायी अनुदेशों के अनुसार चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को चुनाव सूचियों में अपने नाम दर्ज कराने के दावेदार व्यक्तियों की राष्ट्रीयता के बारे में समाधान करना होता है और सरकार के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जो भारत का नागरिक नहीं है चुनाव सूचियों में शामिल हो जायेगा।

आसाम में पाकिस्तानी

†*२०१. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) या यह सच है कि अगस्त-सितम्बर के दौरान आसाम के सिबसागर जिले से बहुत से पाकिस्तानियों को निष्कासित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने;

(ग) क्या उसी काल में भारत की सीमा पर स्थित महिशाशन रेलवे स्टेशन पर कई पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है और यदि हां, तो कितनों को ; और

(घ) आसाम में बिना अनुमति के रहने वाले पाकिस्तानियों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों के जबरदस्ती घुस आने के बारे में आसाम सरकार के पदाधिकारियों के कई वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है ? आसाम में उन अधिकारियों के वक्तव्यों का आधार क्या था ?

†**गृह-कार्य-मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं नहीं जानता कि पदाधिकारियों से माननीय सदस्य का निर्देश किसके प्रति है ? क्या वह यह कहना चाहते हैं कि आसाम के किसी मंत्री ने या किसी सरकारी पदाधिकारी ने ऐसा वक्तव्य दिया है। मैंने ऐसे कोई वक्तव्य नहीं देखे हैं। लेकिन यह ठीक है कि इस अनधिकृत प्रवेश के सम्बन्ध में आसाम के तथा बाहर के समाचार पत्रों में भी कुछ प्रकाशित हुआ था।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि असम में अनुमानतः कितने पाकिस्तानी घुस कर आ गये थे ? उनमें से कितने अब बाहर जा चुके हैं और कितने अभी भी वहां पर हैं ? क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई अनुमान है और यदि हां, तो बतलाने की कृपा की जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जैसा कि जवाब दिया गया इस वक्त हम सैंशस कमिश्नर के द्वारा इसकी जांच करा रहे हैं। कुछ जांच हुई भी है और हमारे पास उसकी रिपोर्ट्स भी आई हैं लेकिन अभी उसकी और ज्यादा जांच होनें की जरूरत है और उसके बाद ही हम किसी सही फैसले पर पहुंच सकेंगे।

†**श्री स० चं० सामन्त :** माननीय मंत्री ने बताया है कि १९६१ की जन गणना के बाद पूछताछ की जा रही है। क्या १९६१ से पहिले कोई जांच की गयी थी। और यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** जहां तक मुझे मालूम है, १९६१ से पहिले ऐसी कोई जांच नहीं की गयी थी। वास्तव में यह प्रश्न कि काफी संख्या में लोग घुस आये हैं १९६१ की जनगणना के आंकड़े घोषित किये जाने के बाद, उत्पन्न हुआ और ये समाचार कई अखबारों में निकला और जब सरकार न इस सम्बन्ध में और आगे पूछताछ करना उचित समझा तो कुछ अभ्यावेदन भी प्राप्त हुये।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** प्रश्न और उत्तर का आशय यह है कि हमें आशंका है कि जो लोग हमारे देश में आ रहे हैं वे हमारे लिये खतरनाक हो जायेंगे। हमें इतना दृढ़ होना चाहिये कि हम उन्हें बदल सकें और पूर्व बंगाल को भेज सकें ताकि वे हमारे देश से अपना संबंध तोड़ दें।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न क्या है ?

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** प्रश्न यह है कि क्या हमारे सरकार की ऐसी कोई योजना है कि इन लोगों को जो हमारे यहां आ रहे हैं, आत्मसात् करने के लिये एक विभाग खोला जाये ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री रघुनाथ सिंह :

श्री रघुनाथ सिंह : करीब पिछले दो वर्ष से यह सवाल यहां पर हमेशा उठता है कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग असम में गये हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सीमान्त पर कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं है जिससे दूसरे देश के लोग हमारे असम प्रदेश में न आ सकें ? मैं जानना चाहूंगा कि इसका कोई इन्तजाम आपकी तरफ से हुआ है या नहीं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां बहुत माकूल इन्तजाम है वैसे उनकी यह दो वर्ष की बात तो ठीक नहीं है। इसकी ज्यादा चर्चा पिछले कुछ महीनों में ही हुई है। इसके अलावा माननीय सदस्यों को इसका भी अंदाजा लगाना चाहिये कि असम की और ईस्ट बंगाल की अमद रफ्त यूं भी साधारणतः बहुत है और यह दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुये हैं और एक दूसरे के रिश्तेदार इधर और उधर रहते हैं इसलिये जितना आप समझते हैं कि उसको बिलकुल कोई एक सील कर दिया जाय यह इतना सरल नहीं है फिर भी हम वहां अधिकारियों के द्वारा जितनी रोकथाम कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं।

†**श्री बासुमतारी :** क्या माननीय मंत्री को समाचार पत्रों के इस आशय के समाचार मालूम हैं कि आसाम के मुख्य मंत्री ने आसाम के सीमा क्षेत्रों पर तार लगाने की योजना बनाई है ? यदि यह सच है, तो क्या भारत सरकार इस योजना को स्वीकार करने को तैयार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : आसाम के मुख्य मंत्री मुझे हाल ही में मिले थे, जब मैंने उनसे इस के बारे में पूछा था। एक बार उन्होंने सीमा क्षेत्रों के सैकड़ों मील क्षेत्र में कांटेदार तार लगाने का उल्लेख किया, जिस पर बहुत लागत आयेगी। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि तार लगाने से इस प्रकार घुस आना रोका जा सकेगा। वह स्वयं अनुभव करते थे कि कोई और उपाय करना होगा, यह उपाय नहीं ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : इस सभा ने बहुत बार आसाम में अत्यधिक जनसंख्या की बृद्धि के बारे में खेद प्रकट किया है। क्या भारत सरकार ने पूर्व पाकिस्तान से लोगों के आने के अतिरिक्त, अन्य कारण मालूम करने का प्रयत्न किया है कि क्यों आसाम में जन संख्या इतनी बढ़ रही है? क्या यह भी सच है कि हाल के वर्षों में नैपाल से वहां बहुत लोग घुस आये हैं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : आसाम में जनसंख्या की वृद्धि देश भर में सब से अधिक है। मैं वहां आबादी घटाने का कोई उपाय नहीं बता सकता। यह भी सच है कि वहां पिछले एक वर्ष से भारत के अन्य भागों से बहुत लोग गये हैं, क्यों कि वहां कई उद्योग स्थापित हुये हैं विशेष कर तेल क्षेत्रों का विकास, तेल शोधक कारखाने और अन्य कारखाने हैं। अतः वहां हिन्दुओं और मुसलमान दोनों गये हैं। वहां की जनसंख्या की वृद्धि का यह भी एक कारण है।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय मंत्री के उत्तर में तथ्यों सम्बन्धी बहुत सी बातें गलत है। वहां जनसंख्या की वृद्धि आकस्मिक है। यह छः लाख है। वहां केवल तीन बड़ी परियोजनायें हैं, ब्रह्मपुत्र पुल, हाइडल परियोजना और तेल शोधक कारखाना, जिन से राज्य के बाहर के लोगों को रोजगार मिलता है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैंने यह नहीं कहा कि वृद्धि का केवल मात्र यही कारण है। यह भी एक कारण है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि किसी सदस्य को माननीय मंत्री के उत्तर में संदेह हो, तो वह एक या दो और अनुपूरक पछ सकते हैं। वह औचित्य प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री अ० मु० तारिक : मैं वज़ीर साहब से यह जानना चाहता हूं कि मशरिकी पाकिस्तान से यह जो लोग असम की तरफ आते हैं यह किसी खास फिरके के लोग हैं या मुख्तलिफ फिरकों के लोग हैं? इस सिलसिले में हुकूमत की क्या पालिसी है और वह क्या कार्यवाही कर रही है? किसी खास फिरके के लोगों को वापिस भेजा जायगा या तमाम फिरके के लोगों को वापिस भेजा जायगा जो कि इधर आते हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : फिरके से मतलब में कुछ साफ नहीं समझा लेकिन आम तौर पर जो लोग आते हैं वह ज्यादातर या तो मेहनतकश हैं या मेहनत करने वाले मजदूर हैं और कभी किसान लोग भी होते हैं। अब हालत यह है कि यह असम के रहने वाले लोग भी चाहे वह हिन्दू हों अथवा मुसलमान क्योंकि इस वक्त वहां असम में मजदूरों की कमी है इसलिये जहां से भी मजदूर आते हैं उनका वह स्वागत करते हैं। इसलिये आपको महसूस करना चाहिये कि मेरा यह मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से गैर-कानूनी तौर पर आने वालों की रोकथाम का माकूल इन्तजाम नहीं होना चाहिये। उसकी रोकथाम का माकूल इन्तजाम होना चाहिये और वह तो हम करेंगे लेकिन तब भी हमारी दिक्कतें उसमें साफ हैं फिर जितनी परेशानी आप उसमें समझते हैं वह परेशानी उतनी होनी नहीं चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथपाई :** इस मामले के किसी भी प्रश्न का कोई निश्चत उत्तर नहीं दिया गया है। इसको देखते हुये क्या सरकार को कुछ समाचार पत्रों में व्यक्त किये गये संदेह और आरोप विदित हैं कि पाकिस्तान से इतने बड़े पैमाने पर लोगों के आने को आसाम सरकार में कुछ लोग छल और कपट से प्रोत्साहन दे रहे हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यह सर्वथा गलत आरोप है। यह बिल्कुल ठीक नहीं है वास्तव में आसम सरकार इस प्रकार लोगों के घुसने को रोकने के लिये विभिन्न कार्यवाहियां कर रही है। कुछ समय पूर्व आसाम सरकार ने फैसला किया है कि वे जिला न्यायाधीशों और पुलिस सुपरिन्डेन्टों को, जहां वे ऐसा करना आवश्यक समझती है ये अधिकार दे कि उन लोगों को धकेल दें जो अवैध रूप से आसाम में घुसते हों।

†**श्री बसुमतारी :** क्या आसम के कुछ लोगों ने शिकायत की है कि कुछ आन्तरिक कठिनाई के कारण आसाम सरकार के लिये यह पता लगाना कठिन है कि पाकिस्तान से कितने लोग आसाम में घुस आये हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** कुछ कठिनाई हो सकती है, किन्तु हम वास्तविक संख्या जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम अभी कुछ आंकड़ों को देख रहे हैं जो हमारे पास जनगणना विभाग से आये हैं।

†**श्रीमती रेणुका राय :** प्रश्नोत्तर में मा० मंत्री ने उत्तर दिया है कि लोग भारत के अन्य भागों से भी आसाम गये हैं। उसका इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है, जो पाकिस्तानी लोगों के आने के बारे में है। यदि लोग भारत के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं तो उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं क्यों कि जहां कहीं उद्योगों का विकास होता है, देश के सभी भागों से लोग वहां जाते हैं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** संभवतः मा० सदस्या ने आसाम की हमारी सदस्या का प्रश्न नहीं सुना उसने सुझाव दिया था कि क्या देश के अन्य भागों से भी लोग आसाम में आये हैं। उसका उत्तर मैंने 'हां' दिया था। कुछ मुसलमान भी आसाम गये हैं। जब आसाम में मुसलमानों की संख्या की वृद्धि का विचार किया जाता है तो इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है।

†**श्रीमती रेणुका राय :** यह हिन्दुओं और मुसलमानों का प्रश्न नहीं, पाकिस्तानी और भारतीय का प्रश्न है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान में हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा की पुनर्व्यवस्था के बारे में बड़ा गन्दा प्रचार किया जा रहा है, यदि हां तो उनकी दृष्टि के क्या सीमा की सुरक्षा के लिये किये गये उपाय पर्याप्त नहीं हैं क्या सरकार यह सीमा भारतीय सेना को देने का विचार करती है ताकि आसाम पाकिस्तान का वन न बने और हमें बदलना न पड़े ?

†**श्री नाथ पाई :** उस का लद्दाख बन जायेगा।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** हम ऐसा करना नहीं चाहते। मैं यह नहीं कहता कि वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है हम पुर्नव्यवस्था करना चाहते हैं और उन क्षेत्रों में अपनी पर्यवेक्षण गतिविधियां बढ़ाते हैं। हमें इस सम्बन्ध में बहुत से कार्य करने होंगे और हम स्थिति कार्य पूरी तरह मुकाबिला कर सकते हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** और अधिक लोग घुस आयेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नाथ पाई : उस का लद्दाख बन जायगा ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि १९६१ में जो जन-गणना हुई, उस में आसाम की जनसंख्या में और प्रान्तों की अपेक्षा कितनी प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई है और क्या सरकार ने उस का पता लगाने का प्रयास किया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं इस का जवाब दे चुका हूं । शायद श्री शास्त्री उस वक्त हाउस में नहीं थे । आबादी सब से ज्यादा आसाम में बढ़ी है, लेकिन वह कोई इन्फिल्ट्रेशन की वजह से बढ़ी है, यह ग़लत ख्याल है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मेरा प्रश्न यह है कि आसाम की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है, वह और प्रान्तों की अपेक्षा कितने प्रतिशत ज्यादा है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री: सारे देश में लगभग २३ प्रतिशत आबादी बढ़ी है, लेकिन आसाम में ३४, ३४।। प्रतिशत बढ़ी है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : श्री बरुआ ने सीमा की पुनर्व्यवस्था के सम्बन्ध में पाकिस्तान में की गई मांग के बारे में पूछा है । क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है ? यदि हां तो उस की प्रतिक्रिया क्या है ? क्या हमारी सरकार पूर्व पाकिस्तान को हमें अनुपाततः भूमि देने को कहेगी, जो उन लोगों की संख्या में अनुपात में हो, जो यहां आ रहे हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैंने इस मामले पर विचार नहीं किया, अतः मैं उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस प्रक्रिया का क्रमबद्ध प्रयत्न है ।

†**श्री कालिका सिंह** : कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार को विदित है कि आसाम के कुछ गैर औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या अधिकतम है ? बोरपेत, उत्तर लखीमपुर और नौगौंग ऐसे क्षेत्र हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं वहां की स्थिति के बारे में ठीक से कुछ नहीं कह सकता, किन्तु यह सच है कि क्योंकि ये क्षेत्र पूर्व पाकिस्तान के साथ लगते हैं, उन जिलों में मुसलमानों की संख्या विशेष रूप से बढ़ गई है ?

प्रश्न संख्या १३४ और १६७ के बारे में ।

†**श्री सूपकार** : प्रश्न संख्या १६७ भी अगले प्रश्न के साथ ले लिया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, प्रश्न संख्या १६७ ले लिया जाय ।

संगीत नाटक अकादमी

+
†*१२५. { **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री साधन गुप्त :
श्री प्र० के० देव : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी के कार्य भार संभालने के लिए नई संस्था बनाई गई है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) ऐसा करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अब तक यह संस्था पंजीबद्ध नहीं हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग). संगीत नाटक अकादमी १९५२ में संकल्प द्वारा स्थापित की गई थी और वह तभी से प्रविधिक तौर पर मंत्रालय का अंग रही है। इसे पृथक वैध अस्तित्व देने के लिये इस सितम्बर १९६१ में एक संस्था के तौर पर पंजीबद्ध किया गया था ।

संगीत नाटक अकादमी

+

†*१६७. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सूपकार :
श्री दो० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी के कार्यों की जांच का काम समाप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के मुख्य परिणाम क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** (क) जी हां ।

(ख) १,८५,०८९ रुपये की राशि के गबन की सूचना है ।

(ग) अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोग चलाये गये हैं और मामले की सुनवाई हो रही है ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : इस समिति को सरकार से कितनी सहायता दी जाती है और यह समिति कलाकारों को किस आधार पर मदद करती है ?

श्री हुमायून् कबिर : हर साल इस का बजट बनता है, और उस के मुताबिक इस को ग्रान्ट दी जाती है। यह सोसायटी अपने रूल्ज़ के मुताबिक दूसरी आरगनाइज़ेशन्ज़ को ग्रान्ट देती है।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या सरकार को मालूम है कि इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जो सहायता दी गई है, वह व्यक्तिगत आधार पर दी गई है और अच्छे कलाकारों को वह सहायता नहीं दी गई है ?

श्री हुमायून् कबिर : ऐसी शिकायतें आईं। और भी कुछ मालूम हुआ। इसीलिए यह तब्दीली की गई ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या इस समय संस्था की स्थापना का उन अनियमितताओं से भी संबंध है जिन के बारे में जांच की गई है और अभियोग चलाये गये हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : अभी एक सैकंड पूर्व मैं ने इस का उत्तर दिया था ।

†**श्री प्र० गं० देव** : पिछले पदाधिकारियों का क्या हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर** : उन की अवधि पूरी हो गई । जब नई संस्था पंजीबद्ध हुई थी, तो पंजीयन के निबंधनों के अन्तर्गत वे स्वयंमेव पदाधिकारी पद से मुक्त हो गये ।

डा० गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी ने कहा कि पता यह लगा है कि एक लाख और कुछ हज़ार रुपया वहां पर खाया गया है । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितने आदमियों ने यह किया और उन में से किन किन के कौन कौन से पद थे ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मामले की सुनवाई हो रही है । तीन व्यक्तियों पर अभियोग चलाया जा रहा है और पुलिस तथ्यों को जानती है ।

विदेशों में भारतीयों के लेखे

+

†*१३०. श्री नाथ पाई :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री तंगामणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक ने भारत के निवासियों द्वारा विदेशों में विदेशी मुद्रा के लेखों के बारे में जानकारी प्राप्त की है ;

(ख) यह जानकारी किन कारणों से इकट्ठी की गई है .

(ग) विदेशों में लेखे रखने वाले कितने भारतीय निवासियों ने यह जानकारी दे दी है ;

(घ) कितने व्यक्तियों ने यह जानकारी देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ङ) जिन व्यक्तियों ने यह जानकारी नहीं दी है उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय राष्ट्रजनों की विदेशों में सम्पत्ति का सही अनुमान लेने के लिये सूचना मांगी गई थी ।

(ग) से (ङ). रिज़र्व बैंक अपेक्षित सांख्यिकीय का संकलन कर रहा है और कोई आंकड़े बताना या उन के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना, जिन्हों ने सूचना नहीं दी, जब तक कि संकलन कार्य पूरा न हो जाय, संभव नहीं है । उस के पश्चात् विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उचित कार्रवाई की जायेगी ।

†**श्री नाथ पाई** : जिन लोगों ने सूचना दी है या नहीं दी है, क्या उन लोगों में उड़ीसा के मुख्य मंत्री श्री पटनायक भी हैं ? ? यदि हां, तो उन्हों ने विदेशों में क्या सौदा किया या जमा रखा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां पर व्यक्तिगत मामले नहीं पूछे जाते । मैं ने सामान्य प्रश्न के उत्तर की अनुमति दी है कि क्या विदेशों में भारतीयों के लेखों के लिये क्या कार्रवाई की गई है । हम प्रत्येक मामले को नहीं लेते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई** : यह प्रश्न पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना से पूछा गया है। क्योंकि इस बारे में बड़ा भारी विवाद हुआ है और सम्पादकीय टिप्पण समाचारपत्रों में आये हैं। सभा को यह जानने का हक है कि क्या हो रहा है। पत्र व्यवहार होता रहा है और प्रधान मंत्री के पत्र भी प्रकाशित हुए हैं। केवल सभा को पूछने नहीं दिया जाता। यद्यपि यह व्यक्तिगत मामला है, यह केवल मामूली व्यक्ति नहीं है। वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री के पत्र जनता के सामने हैं। हम सही हालत जानना चाहते हैं। आप को इस की अनुमति देनी चाहिये। यह बात मुख्य मंत्री के भी हित में है कि कोई सन्देह बकाया न रहे।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : वैधानिक स्थिति यह है कि किसी व्यक्ति का बैंक लेखा बताया नहीं जा सकता। मैं भी नहीं बता सकता। ऐसे मामलों में पूछताछ जारी है और मैं इतना ही कह सकता हूं। जांच क्या है किस हालत में है यह भी नहीं बताया जा सकता। पूरी शक्ति वाला एक अधिकारी जांच कर रहा है। सरकार उस में दखल नहीं देती।

†**एक माननीय सदस्य** : समाचार पत्रों को कैसे पता लगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : समाचार पत्रों को बहुत सी बातें मालूम रहती हैं। कई बार यथार्थ बातें और कभी कभी ऐसी बातें जो सच नहीं होतीं। इस मामले में सरकार ने कुछ प्रकाशित नहीं किया। कुछ लोगों ने कुछ प्रकाशित किया है। अतः मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यह विधि का उल्लंघन करना होगा। जब मामला पूरा हो जायेगा तो जो सूचना देने योग्य होगी दी जायेगी।

†**श्री नाथ पाई** : प्रतिरक्षा मंत्री बचाव मांगते हैं---वित्त मंत्री भी सम्बद्ध अधिनियम की धारा १९ की उपधारा ४ के अन्तर्गत बचाव मांगते हैं कि ये बातें बताई नहीं जा सकतीं। इस दौरान में बातें जनता को मालूम हो जायेंगी। वे जितनी बात बता सकते हैं उतनी बता देनी चाहिये। राशि न बताई जाय। क्या मैं उस पत्र में से एक वाक्य पढ़ कर सुना दूं जो प्रधान मंत्री और . .

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले मैं यह फैसला दे दूं कि आया इन मामलों की चर्चा या उल्लेख की अनुमति दी जा सकती है। यदि अनुमति दूं, तो वह शब्दशः पढ़ कर सुना सकते हैं। मा० मंत्री ने कहा है कि यदि जांच आरम्भ नहीं हुई, तो किसी व्यक्ति के बैंक लेखे सरकार को भी बताये नहीं जाते। यदि जांच में सरकार बैंक लेखे जान लेती है, तो उसे सभा को बताने का हक नहीं है। जांच जारी है। मा० मंत्री ने यह बताया है। श्रीमती रेणु च क्रवर्ती ने भी प्रश्न पूछा है कि समाचार पत्रों में यह कैसे प्रकाशित हुआ है। अतः हम केवल समाचारपत्रों के आधार पर चर्चा नहीं कर सकते।

†**श्री नाथ पाई** : यह प्रधान मंत्री के पत्र में से है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह केवल समय का प्रश्न है। जांच पूरी होने तक मा० सदस्य प्रतीक्षा करें। इस से जांच पर असर पड़ेगा।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : प्रधान मंत्री का पत्र समाचार पत्र में है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री ने बहुत सी चीजें लिखी हो सकती हैं। उन बातों को देखना जांच अधिकारी का काम है। जांच वाले मामले की चर्चा की मैं अनुमति नहीं दे सकता।

†**विधि मंत्री (श्री अ० क० सेन)** : विधि के अन्तर्गत भी इस का न्यायनिर्णय न करना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी म

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह बात एक सामान्य प्रश्न के अन्दर पूछी गई है। इसमें व्यक्तिगत मामले का सवाल नहीं आता। यह अलग सवाल है । इस का उससे कोई संबंध नहीं है ।

†**श्री नाथ पाई** : इस पर मैं आपके निर्णय को मानने को तैयार हूं। इस बारे में रिजर्व बैंक ने एक प्रैस नोट जारी किया है और मैं उस पर अमुपूरक पूछना चाहता हूं। उनको सलाह दी गई है कि या तो वे लेखे बन्द कर दें और वह राशि भारत में जमा करवायें अथवा रिजर्व बैंक से वहां खाते रखने की अनुमति मांगें। रिजर्व बैंक उन प्रार्थनाओं पर विचार करेगा। १२ नवम्बर तक ऐसे करने वालों को कोई दन्ड नहीं दिया जायेगा। इस स्थिति में यह छूट क्यों दी जा रही है? सभा को पता है कि पिछले अवसर पर देश के विख्यात लोगों के नाम अन्तर्गस्त थे, तब दंड की ऐसी मुक्ति नहीं दी गई थी। उस अवसर पर क्यों ऐसी मुक्ति दी गई है। क्या इस का यह कारण है कि कोई व्यक्ति इस में अन्तर्ग्रस्त है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह बात तथ्य जानने के लिये की गई है। इस समय यह जानने के लिये सरकार के पास सामग्री नहीं है कि किन लोगों के खाते बाहर हैं और जिनका हमें पता नहीं है। जिस व्यक्ति पर संदेह किया जा रहा है, वह इसमें अन्तर्ग्रस्त नहीं है। और कोई छूट नहीं है। आप अनावश्यक वक्रोक्ति कर रहे हैं ।

†**श्री नाथ पाई** : मैं वक्रोक्ति नहीं कर रहा। यह सत्य पर आधारित बात है। मा० मंत्री ने मेरे ऊपर यह अत्यन्त भीषण आरोप लगाया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मा० सदस्य ने एक सुझाव अवश्य दिया था ।

†**श्री नाथ पाई** : मैं ने केवल प्रश्न पूछा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : सुझाव प्रश्न के रूप में भी सुझाव होते हैं। मा० सदस्य ने रिजर्व बैंक की अधिसूचना का उल्लेख करते हुए इस छूट देने का कारण पूछा था। उन्होंने अन्य मामले का भी उल्लेख किया जहां छूट नहीं दी गई थी। उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या यह विशिष्ट कार्य के लिये अभिप्रेत था। क्या यह वक्रोक्ति नहीं है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : जांच किस स्तर पर है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने कवल सामान्य प्रश्न की अनुमति दी थी, किन्तु सदस्य अधिक ब्यौरा पूछने लगे हैं ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मा० मंत्री ने बताया है कि जांच हो रही है। जांच किस स्तर पर है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कटंगा में भारतीय सेना पर 'बजूका' का प्रयोग

†*११७. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि इस समय कटंगा में संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये काम करने वाली भारतीय सेना पर कटंगा की सशस्त्र सेना ने 'बजूका' नामक एक हल्के राकेट छोड़ने वाले टैंक मार अस्त्र का प्रयोग किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 'बजूका' उत्तर अन्ध महासागर समझौता संघ द्वारा प्रयोग किये जाने वाले हथियारों में से एक है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अस्त्र के इस्तेमाल के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में विरोध प्रकट किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**प्रतिरक्षा उप-मंत्री (श्री रघुरामैया)** (क) जी हां ।

(ख) 'बजूका' हथियार का संसार की सभी बड़ी सेनायें इस्तेमाल करती हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन

*१२६. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३ जून, १९६१ के बाद अब तक चीनी वायुयानों द्वारा भारतीय वायु-सीमा के उल्लंघन की कोई घटना हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके बारे में एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जायगा ?

†**प्रतिरक्षा उप-मंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कावेरी बेसिन में तेल की खोज

†*१२७. श्री हेम बरूआ :
श्री प्र० चं० बरूआ ।
श्री दो० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्टेन्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी के विशेषज्ञों से कावेरी बेसिन में स्थित तंजौर क्षेत्र के बारे में भूकम्पीय तथा अन्य आंकड़ों का अध्ययन करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो स्टेन्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी के विशेषज्ञों की क्या उपपत्तियां हैं ;

(ग) क्या स्टैन्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी को इस क्षेत्र में तेल की खोज करने के लिये लाइसेंस दिया गया है ;

(घ) क्या किसी समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

†*१२८. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारह वर्ष तक की आयु वाले लड़के तथा लड़कियों को अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा देने के बारे में क्या प्रगति की गई है ;

(ख) क्या राज्य सरकारें इस से सहमत हो गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो कौन कौन राज्य सरकारें इस से सहमत नहीं हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १६]**

---

†मूल अंग्रेजी में

सैनिक स्कूल

†*१२९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक स्कूलों में भरती हुए विद्यार्थियों में प्रत्येक राज्य के कितने कितने विद्यार्थी हैं ; और

(ख) क्या गवर्नरों के बोर्ड ने राज्यवार कोटे के आधार पर विद्यार्थियों को भरती करने का निर्णय किया था ?

†**प्रतिरक्षा उप-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) जी हां। जिस राज्य में स्कूल स्थापित है उस राज्य के लड़कों के लिये स्कूल में ६७ प्रतिशत सीटें रिजर्व हैं। शेष ३३ प्रतिशत अन्य राज्यों के लड़कों से भरी जाती हैं। कुल सीटों में से ३३ प्रतिशत सेवाओं अथवा भूतपूर्व सैनिकों के लड़कों के लिये रिजर्व हैं।

प्योर झरिया कोलियरी में आग

†*१३२. **श्री सं० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री अनिरूद्ध सिंह :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्योर झरिया कोलियरी की भूमिगत आग को बुझाने की कौन सी कार्यवाही सफल हुई है ;

(ख) क्या निकटस्थ दोबारी कोलियरी पर कोई प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या गहरी खाइयां खोदी गई हैं ; और

(घ) सुरक्षात्मक कार्यों के लिये कोलियरी को कितनी रकम दी गई है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह)** : (क) (१) प्योर झरिया कोलियरी और मैसर्स आर० एन० बागची की दोबारी कोलियरी के बीच गहरी खाइयां खोदने से आग फैलने से रुक गई। खान की निचली पर्त की गहराई में पड़े हुए मलबे में आग लगने का खतरा भी अब दूर हो गया है।

(२) प्योर झरिया और दोबारी कोलियरियों में पम्प द्वारा पानी फैंके जाने के कारण बागची की दोबारी कोलियरी के पुराने कार्यवहन में आग नहीं फैल पाई और इसके अतिरिक्त रेलवे साइडिंग और निकटस्थ कोलियरयिों में आग फैलने से रुक गई।

(ख) बागची की दोबारी कोलियरी की एक्स पर्त के पुराने भाग में आग लग गई थी।

(ग) जी हां।

(घ) **स्वीकृत धनराशि**

दोबारी कोलियरी ४८,०६१ रुपये ३५ नये पैसे।

प्योर झरिया कोलियरी १,२९,९१० रुपये ८० नये पैसे।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि विकास वित्त निगम

†*१३३. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **वित्त** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वित्त निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के ब्यौरे क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

चीनी राष्ट्रजन

†*१३४. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९६१ से कितने चीनी राष्ट्रजनों से भारत से चले जाने को कहा गया है ; और

(ख) उन में से कितने इस देश से चले गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). १ सितम्बर १९६१ से १३ चीनियों को भारत से चले जाने का नोटिस दिया गया है। इन में से चार जा चुके हैं और एक ने शीघ्र ही चले जाने को कहा है। ६ की नोटिस की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है और शेष दो के बारे में अन्तिम जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है ।

निर्यात से होने वाली आय पर आयकर की छूट

†*१३५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री महन्ती :
श्री अगाड़ी :
श्री वोडयार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन के उपाय के तौर पर निर्यात से होने वाली आय पर आयकर में छूट देने के प्रश्न पर इस वर्ष सितम्बर में नई दिल्ली में हुई निर्यात संवर्धन सलाहकार परिषद् में चर्चा की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां ।

(ख) सरकार मामले पर विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यकीय सेवा

†*१३६. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यकीय सेवा इन दोनों अखिल भारतीय सेवाओं में कुल कितने व्यक्ति रखने का विचार है ; और

(ख) क्या इस को भर्ती सीधे तौर पर होगी या पदोन्नति के द्वारा होगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) दोनों सेवायें केन्द्रीय सेवायें हैं । अखिल भारतीय सेवायें नहीं । आरंभिक गठन के लिये अभी अधिकृत संख्या निश्चित नहीं की गई है और उस के बाद दोनों सेवाओं का प्रबन्ध किया जायेगा ।

(ख) दोनों सेवाओं के आरंभिक गठन के बाद प्रत्येक वर्ग में रिक्त स्थानों को पदोन्नति तथा सीधी भरती से भरा जायेगा परन्तु प्रथम श्रेणी के रिक्त स्थानों को सामान्यतः पदोन्नति से ही भरा जायेगा ।

शस्त्रों का निर्यात

†*१३७. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे शस्त्रों के निर्यात के लिये कोई योजना बनाई गई है या सोची जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मोटी रूपरेखा क्या है ;

(ग) किन-किन देशों को निर्यात किया जायेगा ;

(घ) क्या यह विदेशी मुद्रा को बचाने और प्राप्त करने के हेतु सशस्त्र सेनाओं के प्रयत्नों का अंग है ; और

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (घ) में उल्लिखित व्यापक योजना के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा बचाने के लिये और क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां । विदेशी मुद्रा कमाने के लिये शिकार के हथियारों तथा गोली बारूद का निर्यात करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

(ख) योजना के ब्यौरों पर अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है । सामान्यतः निकट के मित्र देशों में निर्यात क्षमता का सर्वेक्षण करने का विचार है । इस सर्वेक्षण के आधार पर उपयुक्त योजना बनाई जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सर्वेक्षण के परिणामों पर यह आधारित होगा ।

(घ) जी हां ।

(ङ) विदेशी मुद्रा के व्यय में कमी करने तथा विदेशी मुद्रा कमाने के लिये बहुत से निम्न प्रकार के प्रयत्न किये जाते रहेंगे :—

(१) अब तक आयात की जाने वाली सामग्री शस्त्रास्त्र और अन्य प्रतिरक्षा भांडारों का देश में निर्माण जिस से शस्त्रास्त्रों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके ।

(२) देश में उपलब्ध सामग्री तथा टैक्नीकों के आधार पर प्रतिरक्षा भांडारों की विशिष्टताओं के लिये नये डिजायन बनाना ।

(३) अब तक आयात की जाने वाली सामग्री तथा भांडारों के निर्माण के लिए उद्योग को सहायता कर के अथवा असैनिक बाजार में उस का उत्पादन कर के ।

(४) निकटस्थ मित्र देशों को शिकार के शस्त्र तथा गोली बारूद का सीधा निर्यात कर के ।

कांडला में तेल जमा करने की व्यवस्था

†*१३८. **श्री साधन गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल समवाय ने कांडला में तेल जमा करने की व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त टैंकों की क्षमता कितनी है ; और

(ग) इस व्यवस्था से किन-किन क्षेत्रों को पैट्रोलियम की चीज़ों का वितरण किया जायेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) १५,००० किलो लिटर के दो भांडार टैंक इस समय भी चालू हैं । अतिरिक्त क्षमता निर्माणाधीन है ।

(ग) साधारणतया कांडला में इकट्ठे तेल को निम्नलिखित क्षेत्रों में वितरित किया जायेगा :

(१) गुजरात के मीटर गाज विभाग के एक भाग में ।

(२) राजस्थान के मीटर गाज विभाग (उत्तर रेलवे तथा पश्चिम रेलवे से) ।

(३) हिसार और शकूरबस्ती में ले जा कर पंजाब के सभी बड़ी लाइन के स्टेशनों को ।

(४) शकूरबस्ती में ले जा कर बड़ी लाइन विभाग के उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में ।

इन्दौर में विश्वविद्यालय

†*१३९. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन्दौर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है ; और

(ग) इस विषय में कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की संभावना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) आयोग ने नियुक्त की जाने वाली प्रस्तावित समिति को प्रस्ताव सौंपने का निर्णय किया है कि वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में नये विश्वविद्यालयों के लिये योजना की रूपरेखा बनायें ।

(ग) प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय लिये जाने की सीमावधि बताना संभव नहीं है ।

केंद्रीय सचिवालय सेवा का विकेंद्रीकरण

***१४०. श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सेन्ट्रल सेक्रेटेरियट सर्विस) के विकेन्द्रीकरण के लिये सरकार ने जो फैसला किया था उसे अमल में लाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार दो-दो, तीन-तीन मंत्रालयों का एक-एक ग्रुप बनाना चाहती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसा करना विकेद्रीकरण की नीति के विरुद्ध नहीं होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) तक जिस निर्णय का निर्देशन किया गया है उसे अमल में लाने के लिये जो कारईवाइयां करनी हैं उन पर इस समय विचार हो रहा है, और अभी तक कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ है ।

निर्वाचन चिन्हों का नियतन

†*१४१. **श्री सूपकार :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री प्र० गं० देव
श्री कालिका सिंह

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन दलों को जिन्होंने गत सामान्य निर्वाचनों में किसी विशिष्ट राज्य में तीन प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त किये थे, चिह्न नियत करने से सम्बन्धित अब तक प्रचलित नियम में हाल में ही परिवर्तन कर दिया गया है, जिस से उन दलों को बड़ी हानि हुई है ; और

(ख) क्या इस विषय में परिवर्तन करने से पूर्व राज्यों में काम करने वाले प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के विचार पता किये गये थे ?

†**विधि उप-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी नहीं। पिछले आम चुनावों में पड़े मतों के ३ प्रतिशत का आधार ही रखा गया है परन्तु विधान सभा के चुनावों तथा संसद चुनावों के लिये राज्य का आधार ही रखा गया है ।

(ख) चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुला कर इस की चर्चा की थी और उन के विचारों पर ध्यान दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवा

*१४२. श्री सरजू पांडे :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतान की कृपा करेंगे कि पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवा बनाने का प्रश्न इस समय किस स्थिति में है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : विषय अभी तक विचाराधीन है ।

लुमुम्बा फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को

†*१४३. श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री सूपकार :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष मास्को में लुमुम्बा फ्रैंडशिप यूनिवर्सिटी में ३० से ४० तक भारतीय छात्र दाखिल किये जायेंगे ; और

(ख) इन छात्रों को किन-किन विषयों का प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) भारतीय विद्यार्थियों के लिये ३०–४० सीटों का प्रस्ताव मिला है ।

(ख) अध्ययन के विषयों पर विचार किया जा रहा है ।

विदेश स्थित भारतीय सेना

†*१४४. श्री झूलन सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए विदेशों में भेजे गये हमारे सनिकों में से कुल कितनों की मृत्यु हुई और कितनों को चोटें आयीं ; और

(ख) क्या सेना के नियमों के अन्तर्गत ऐसे मामलों में कुछ विशेष धन या और किसी प्रकार का मुआवजा अथवा प्रोत्साहन दिया जाता है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क)

मरने वालों के मामले	१४
घायलों के मामले	६७
जोड़	८१

(ख) परन्तु हमारे नियमों के अधीन सामान्य लाभ मिलेंगे ।

†मूल अंग्रेजी में

चालुक्य काल के लिये संग्रहालय

†*१४५. **श्री अगाड़ी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रारम्भिक तथा चालुक्योत्तर काल के लिए संग्रहालय बनाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर ; और

(ग) वे संभवतः कब तक स्थापित हो जायेंगे ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्कूलों के बच्चों का स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार

†*१४६. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री झूलन सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री ३० अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूलों के बच्चों के स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार के वर्तमान स्तर का अनुमान लगाने के लिए स्कूल स्वास्थ्य समिति ने क्या प्रगति की है ;

(ख) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बारे में क्या कोई समय सीमा निश्चित की गयी है ; और

(ग) यदि इस बीच वह रिपोर्ट प्राप्त हुई हो तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) समिति ने लगभग अपना काम पूरा कर लिया है और आशा है कि नवम्बर, १९६१ के अन्त तक वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

(ख) जी हां ; ३० नवम्बर, १९६१ ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में अनाज आदि गिराने का कार्य

†*१४७. **श्री प्र० के० देव :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री बं० चं० मलिक :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में इस वर्ष की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों में अनाज आदि गिराने का काम चालू रखने के लिए भारतीय विमान बल से विमान मंगाये थे ;

(ख) कितने विमान इस काम पर लगाये गये थे और कब ; और

(ग) क्या अनाज की थैलियां गिराने के कारण पीड़ित व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की और कहां कहां ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जुलाई और सितम्बर, १९६१ में राज्य में आई बाढ़ के सहायता कार्यों के लिये उड़ीसा सरकार की प्रार्थना पर वायुसेना का एक विमान उसे दिया गया था ।

विभिन्न तिथियों को काम पर लगाये गये विमानों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

तिथि	विमान का प्रकार	विमानों की संख्या
८–७–१९६१ १७–७–१९६१ और १८–७–१९६१	एच० टी० २	एक
११–७–१९६१ से १४–७–१९६१	पैकेट	दो
९–७–१९६१ से १४–७–१९६१	डकोटा	आठ
७–९–१९६१ से १३–९–१९६१	डकोटा	पांच

उपलब्ध जानकारी के अनुसार उड़ीसा की बाढ़ के दौरान में गिराये गये पैकेटों से कोई व्यक्ति नहीं मरा था । राज्य सरकार से यह सूचना मंगाई गई थी । उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी की दाखिले की परीक्षा

*१४८. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, बम्बई, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास के अन्तर्गत दाखिले के लिये विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सही है कि इसके अन्तर्गत बैठने वाले परीक्षार्थियों को मार्कशीट नहीं दिया जाता है और इसे गोपनीय रखा जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से भिन्न तरीका अपना कर इसे गोपनीय क्यों रखा जाता है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) इन परीक्षाओं के लिये स्टीट्यूट ने कोई अलग व्यवस्था अथवा अतिरिक्त कर्मचारियों को मुकर्रर नहीं किया है, उम्मीदवारों के कोड नम्बर देकर उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है । इसलिये जिसको इंटरव्यू के लिये बुलाना है उसी का रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है औरों का रिजल्ट बतलाना मुमकिन नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

सीमावर्ती क्षेत्रों में असैनिक कर्मचारियों को सुविधायें

†*१४९. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २५ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमावर्ती क्षेत्रों में असैनिक कर्मचारियों को कुछ सुविधायें और भत्ते देने के प्रश्न के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : मामला अभी विचाराधीन है ।

कोयले के परिवहन के लिये वैगनों का वितरण

*१५०. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खानों के लिए माल डिब्बे इस तरीके से नियत किये जाते हैं कि कुछ खानों को अपनी जरूरत से ज्यादा माल डिब्बे मिलते हैं और कुछ को अपनी जरूरत से कम मिलते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने माल डिब्बों के वितरण की जांच की है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). उपभोक्ताओं की, जिन्होंने खानों को आर्डर भेजे होते हैं, आवश्यकताओं को सामने रखते हुए प्रत्येक खान को माल डिब्बों का नियतन किया जाता है । उन उपभोक्ताओं, सम्बन्धित जोन (Zone) में डिपो और पाइलाट क्षमताओं और रेलों की कार्यवाही की सुविधाओं को अग्रता दी जाती है । इस्पात प्लांट और रेलों जैसे उच्च अग्रताप्राप्त उपभोक्ताओं के साथ सम्मिलित कई खानों ने लदान कर्य्यक्रम को नियत किया है और इसलिये उनको इस कार्यक्रम के अनुसार माल डिब्बों का आवण्टन किया जाता है तथा दूसरों को उनके द्वारा भेजे गये इन्डेन्टों के अनुसार माल डिब्बों का नियतन किया जाता है । इसलिये किसी भी खान को उनके द्वारा निश्चित किये गये लदान कार्यक्रम या उनके द्वारा भेजे गये इन्डेन्टों के अतिरिक्त अधिक माल डिब्बों के प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता है ; परन्तु यह सम्भव है कि खानों को, विशेषकर जो निम्न श्रेणी के कोयले का उत्पादन करती हैं, उनके अपने इन्डेन्टों के अनुसार पूर्ण माल डिब्बे प्राप्त नहीं होते हैं । लदान करने वाली रेलों तथा कोयला नियंत्रक द्वारा स्थिति का लगातार निरीक्षण किया जाता है और उपभोक्ताओं तथा कोयले के उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त वैगनों को लाभदायक तरीके से इस्तेमाल करने का प्रयत्न किया जाता है । सरकार यह नहीं समझती है कि इस स्थिति पर कोई खास छानबीन की जाए ।

उच्च अध्ययन केंद्र

†*१५१. **श्री कोडियान** :
श्री वारियर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के विभिन्न भागों में स्थित विश्वविद्यालयों में कुछ चुने हुए विषयों के लिए उच्च अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे कितने केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). आयोग के सभापति ने योजना का ब्यौरा बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति स्थापित की है ?

ग्राम सेवा का प्रमाणपत्र

†*१५२. **श्री वै० चं० मलिक** : क्या **शिक्षा** मंत्री २५ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाकी विश्वविद्यालयों और तीन राज्य सरकारों ने रोजगार तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए ग्राम सेवा के प्रमाणपत्र को बी० ए० उपाधि के बराबर इस बीच मान लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देर के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) और (ख). २५ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३६४ के उत्तर के बाद से अन्नामलाई, बड़ौदा, कर्नाटक और नागौर विश्वविद्यालयों ने उपाधि को मान्यता दे दी है। जम्मू तथा काश्मीर और उड़ीसा राज्य सरकारों ने भी उपाधि को मान्यता दे दी है। गुजरात ने अभी मान्यता नहीं दी है। राज्य सरकार से मामले के बारे में बातचीत की जा रही है।

मलाया में भारतीय अध्यापक

†*१५३. {**श्री पुन्नूस :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलाया में २२ भारतीय अध्यापक जिन्हें मलाया के शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षा मंत्रालय की प्रत्यक्ष सहायता से भरती किया था, अपनी नौकरी से वंचित होने तथा छंटनी लाभ के रूप में बिना एक पाई के घर वापस लौटने की भावना से उद्विग्न हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत सरकार ने इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की हो तो वह क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). मलाया की संघ सरकार ने १९५३ और १९५४ में भारत से भरती २२ भारतीय अध्यापकों पर ठेके समाप्त करने का नोटिस दे दिया है। इन अधिकारियों द्वारा हस्तान्तरित ठेकों की शर्तों के अधीन मलाया की सरकार अधिकारियों तथा उनके परिवारों के लिए भारत तक आने की व्यवस्था करेगी। परन्तु ठेकों के ठेका समाप्त करने के लिए अथवा उपदान के रूप में वेतन देने की व्यवस्था नहीं है।

(ग) अध्यापकों ने मलाया की संघ सरकार से ; ना की है कि उनके द्वारा लगभग आठ वर्ष तक वफादारी से सेवा करने के कारण उन्हें कुछ उपदान दिया जाना चाहिए यद्यपि ठेके में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भगरत सरकार भी मलाया संघ सरकार से इस प्रश्न के सम्बन्ध में बातचीत कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में तेल के लिये छिद्रण

†*१५४. **श्री रघुवीर सहाय:** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में भूछिद्रण (ड्रिलिंग) कार्य कब से चल रहा है ;

(ख) अभी तक कितने कुएं खोदे जा चुके हैं और किस गहराई तक ;

(ग) क्या कोई कुआं छोड़ दिया गया है ;

(घ) कितने कुओं पर अब भी कार्य जारी है ; और

(ङ) तेल मिलने की वहां पर क्या संभावनायें हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) २६-८-१९६० को पहला छिद्र किया गया था ।

(ख) दो कुवों का छिद्रण कर लिया गया है । संख्या १ का १२४७ मीटर तक तथा संख्या २ का १०६५ मीटर तक ।

(ग) और (घ) दोनों कुवों का छिद्रण केवल भूतत्वीय जानकारी के लिए किया गया है और यह कुवें पूरी तरह बन चुके हैं । ३००० मीटर की गहराई का कुवां खोदा जा रहा है और एक दूसरा भी १२०० मीटर की गहराई का खोदा जा रहा है :

(ङ) हाइड्रो कार्बन संभावनाओं का निर्धारण करने के लिए अभी पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

सेरथा (गुजरात) में तेल

†*१५५. **श्री क० उ० परमार :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सेरथा नामक स्थान के आसपास अब तक कुल कितने तेल के कुओं की खुदाई हुई है ;

(ख) कितने कुओं में तेल पाया गया है ;

(ग) अनुमानत: कितना तेल प्राप्त होगा तथा वह तेल किस किस्म का होगा ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को यह परामर्श दिया है कि वह प्रस्तावित राजधानी के लिये स्थायी निर्माण न करे ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जून, १९६१ में एक कुवां पूरा हो गया था और एक दूसरे कुवें का छिद्रण किया जा रहा है ।

(ख) एक ।

---

† ूल अंग्रजी में

(ग) ब्यौरेवार विश्लेषण उपलब्ध नहीं है। परन्तु सामान्यतः अंकलेश्वर में पाये गये तेल के समान ही है। क्योंकि केवल अब तक एक कुवा पूरा हो पाया है इसलिए यहां के रिजर्व के अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निधियों का विनियोजन

†*१५६. **श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मंत्री ७ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७१८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर विचार कर लिया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की निधियों को कहां लगाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है।

†**वित्त-उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) और (ख) अभी मामला विचाराधीन है।

रूस में भारतीय विद्यार्थियों की शिक्षा

†*१५७. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वैज्ञानिक, अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस में भारतीय विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था करने के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : रूस में भारतीय राष्ट्रजनों को अध्ययन/प्रशिक्षण/अनुसंधान के लिए छः योजनाय लागू हैं।

ट्रक तथा ट्रेक्टरों का निर्माण

†*१५८. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने उड़ीसा में हीराकुड नामक स्थान पर ट्रक तथा ट्रेक्टरों के निर्माण के लिये एक कारखाना बनाने के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रस्ताव की विस्तृत बातें क्या हैं ;

(ग) यह कारखाना कब बनेगा ;

(घ) क्या इस कारखाने के नक्शों एवं उसका अनुमानतः व्यय का ब्यौरा तैयार हो गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो वह अनुमानतः व्यय क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) . प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण

†*१५९. { श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री कालिका सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री ए० एन० मुल्ला के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित हुआ है जो २५ अक्तूबर, १९६१ के "स्टेट्समैन" नामक पत्र में प्रकाशित हुआ है और जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका तब तक सन्तोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर सकतीं जब तक कि न्यायापालिका के अधिकारो एवं विशेषाधिकारों पर कार्यपालिका के "निरन्तर एवं कपटपूर्ण व्यवहार" पर रोक नहीं लगाई जाती ; और

(ख) क्या वह शीघ्र ही न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रभावी प्रबन्ध करेंगे जिसकी व्यवस्था संविधान में की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां । परन्तु कोई ठोस उदाहरण नहीं दिया गया है ।

(ख) राज्य सरकारें प्रथमतः मामले पर विचार करेंगी ।

चुनाव चिन्ह

†*१६०. **श्री बा० चं० कामले** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चुनाव आयोग द्वारा किसी राजनीतिक दल को, उसके लिये निर्वाचन चिह्न रक्षित किये जाने के प्रयोजन से, मान्यता प्रदान किये जाने के लिये किसी स्वतंत्र कार्यक्रम अथवा नीति की आवश्यकता नहीं है ; और

(ख) क्या कोई ऐसे सामान्य आधार अथवा कारण हैं (यदि वे हैं तो क्या) जिनके कारण एक मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल के विभिन्न उम्मीदवारों को एक और वही चुनाव चिह्न दिया जाता है यदि उत्तर के अनुसार राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के लिये चुनाव चिह्न रक्षित किये जाने का उस दल के कार्य क्रम अथवा नीति से कोई संबंध नहीं है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). एक राजनीतिक दल को उसके उम्मीदवारों के लिए समान चुनाव चिह्न का रक्षण को मान्यता देने के बारे में चुनाव आयोग उसके कार्यक्रम अथवा नीति पर विचार नहीं करता है अपितु उसकी अलग स्थति और मतदाताओं के समर्थन पर विचार करता है । एक मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल के द्वारा खड़े किए गए सभी उम्मीदवारों को एक ही चिह्न दिया जाता ह ।

नागपुर स्थित भारतीय खान ब्यूरो कार्यालय में गबन

†*१६१. **श्री तंगामणि** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ६ सितम्बर, १९६१ के राज्य सभा के तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायदंडाधिकारी की उस टिप्पणी की जांच की है और उस पर विचार किया है कि नागपुर स्थित भारतीय खान ब्यूरो कार्यालय में हुये गबन में उच्चाधिकारियों का हाथ है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या संबंधित पदाधिकारियों पर इसका दायित्व निर्धारित करने के लिये कोई विभागीय जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं ; और

(घ) इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक जांच की गई थी और तीन अधिकारियों के स्पष्टीकरण ले लिए गए हैं ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

कोयला खानों में विस्फोटक पदार्थों की कमी

†*१६२. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इँधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि बाहर और बंगाल की कोयला खानों तथा बिहार की अभ्रक खदानों में विस्फोटक पदार्थों की कमी के कारण गम्भीर स्थति उत्पन्न हो गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार के हज़ारीबाग़ जिले में अभ्रक की खानों के मालिकों ने विस्फोटक पदार्थों की कमी के कारण अपनी खानों को बन्द कर दिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विस्फोटक पदार्थों की यह कमी उन फर्मों को विस्फोटकों का आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा देने में संकोच से काम लिया है जो कि विस्फोटक पदार्थों के आयात का काम करती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो स्थति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) बिहार और बंगाल की कुछ कोयला खानों और बिहार की अभ्रक की खानों ने शिकायत की है कि विस्फोटक पदार्थों की कमी का खनन कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ।

(ख) विस्फोटक पदार्थों की कमी के कारण हज़ारीबाग़ ज़िले की अभ्रक की खानों के बन्द होने की रिपोर्ट मिली है ।

(ग) और (घ). विस्फोटक पदार्थों की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में विदेशी मुद्रा की बड़ी कठिनाई है । देशी उत्पादन बढ़ाकर तथा आवश्यक विदेशी मुद्रा देकर आयात करके तथा रुपये के क्षेत्रों से लेकर और ऋण निधि आदि का विकास करके विस्फोटक पदार्थों की कमी पूरी करने के लिए सभी संभव कार्यवाही की जा रही है ।

टेक्नोलोजी की भारतीय संस्था में प्रवेश के लिये सार्वजनिक परीक्षा

†*१६३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत की चारों भारतीय टेक्नोलोजी संस्थाओं में प्रवश पाने के लिये एक सामान्य प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह परीक्षा इसी सत्र से आरम्भ हो गई है ?

---

†मूल अंग्रेज में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). जी हां।

(ग) चार संस्थायें बारी बारी से जांच करेंगी। टैक्नोलौजी की भारतीय संस्था, खड़गपुर ने इस वर्ष जांच की थी, अगले वर्ष टैक्नोलोजी की भारतीय संस्था, बम्बई जांच करेगी।

इस्पात संयंत्रों का विस्तार

†*१६४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बर्मन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती इला पालचौधरी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २३९ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्रों के विस्तार की योजना पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). तीनों विस्तार योजनायें पूरी होने को हैं। भिलाई, रूरकेला तथा दुर्गापुरके ब्यौरेवार परियोजना प्रतिवेदन हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से मिल गये हैं। भिलाई और रूरकेला के मामले में, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा नियुक्त प्रविधिक समिति ने यह जांच कर ली है और अब सरकार उसकी जांच कर रही है। दुर्गापुर के प्रतिवेदन की हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड अभी जांच कर रहा है।

कम्यूनिस्टों के कारावास की अवधि की माफी

†*१६५. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्यूनिस्टों के कारावास की अवधि की माफी के लिये एक शिष्टमंडल अभी हाल प्रधान मंत्री से मिला था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) शिष्टमंडल ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें कम्यूनिस्ट कैदियों को पहले ही छोड़ देने की प्रार्थना की गई है। कैदियों की सूची भी इससे संबद्ध है। उनके द्वारा किए गए अपराध उन कानूनों से संबंधित थ् जो राज्य सरकारों की कार्यपालिका शक्ति में आते हैं। क्योंकि मामला राज्य सरकारों से संबंधित है इसलिए ज्ञापन उन राज्यों की सरकारों को भेज दिया गया है जिनमें उन कैदियों पर दण्ड लगाया था।

तेल की कीमतों के बारे में दामले समिति

†*१६६. श्री गोरे :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री अगाड़ी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हेम बरुआ :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री सुगंधि :
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल की कीमतों के बारे में दामले समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या यह सच है कि तेल समवायों ने सरकार के विरुद्ध यह आरोप लगाये हैं कि सरकार ने उन्हें प्रतिवेदन के अध्ययन के लिये पर्याप्त समय दिये बिना ही, एक पक्षीय निर्णय कर लिया है, यदि यह सही है तो उक्त आरोप कहां तक सत्य है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

तेल मूल्य जांच समिति का प्रतिवेदन १९-७-६१ को सरकार को प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद सरकार ने १-१०-६१ से प्रतिवेदन की सिफारिशों को स्वीकार

---

†मूल अंग्रेजी में

करने का और एक वर्ष अथवा दो वर्ष बाद स्थिति पर पुनः विचार करने का निर्णय किया। तेल समवायों को प्रतिवेदन की प्रतियां २७-९-६१ को दे दी गई थीं। उसके बाद २९-९-६१ को सरकारी निर्णय के बारे में एक पत्र भी उन को दे दिया था और कहा गया था कि उस में निहित सिफारिशों को लागू करें।

२०-११-६१ को सभा पटल पर रखे गये विवरण में इस निर्णय को लेने के आधारों का स्पष्टीकरण किया गया था। समवायों ने सरकार से इकतरफा निर्णय लेने की शिकायत की परन्तु निम्नलिखित कारणों से ऐसा करना पड़ा :—

१. तेल समवायों को अपना मत बताने के लिए तथा तेल मूल्य जांच समिति को आंकड़े देने के लिये पर्याप्त समय दिया गया था।

२. मूल्य निर्धारण संस्थाओं जैसे प्रशुल्क आयोग, की सिफारिशों को लागू करने के बारे में सरकार इसी प्रकार की व्यवस्था का अनुसरण करती है।

३. हमारे गत अनुभवों से हमें मालूम हुआ है कि तेल समवायों से बातचीत में बहुत समय लग जाता है।

४. सरकार यह नहीं समझती कि समिति की सिफारिशों को लागू करना समवायों के लिये असंभव है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में एक अनुसंधान सहकारी की मृत्यु

†*१६८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ४ सितम्बर, १९६१ को दिल्ली विश्वविद्यालय के जीवविज्ञान की प्रयोगशाला में एक विद्यार्थी मरा पाया गया; और

(ख) यदि हां, उस सम्बन्ध में की गई पड़तालों से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय पुलिस की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भारत को ऋण

†*१६९. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण के लिये बातचीत करने के लिये एक प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त उप-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वाशिंगटन गये शिष्टमंडल ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से उड़ीसा की सलांदी सिंचाई परियोजना, गुजरात की शेत्रुंजी सिंचाई परियोजना तथा पंजाब सरकार की नाली व बाढ़ नियंत्रण परियोजना के लिए धन की व्यवस्था के लिए तीन ऋणों के बारे में बातचीत कर ली है। २१ नवम्बर, १९६१ को इन परियोजनाओं के लिए २२.५ मिलियन डालर का ऋण समझौता हुआ है। मिलने पर समझौतों की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी जायेंगी।

फौजी फौजदारी कानून के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र

*१७०. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री हेम राज :

क्या **गृह कार्य** मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फौजदारी कानून (संशोधन) अधिनियम, १९६१ की धारा ३ के अनुसार उत्तरी सीमान्त में अधिसूचित क्षेत्र (नोटीफ़ाइड एरियाज़) घोषित करने का जो प्रश्न विचाराधीन था उसके बारे में क्या इस बीच निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन अधिसूचित क्षेत्रों की सीमा आदि पर प्रकाश डालने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा;

(ग) उस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये कौन सी विशेष कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि उपरिलिखित भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा की जाती है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) से (घ). इस विषय पर राज्य सरकारों से राय ली जा रही है और शीघ्र ही निर्णय करने की कोशिश की जायगी।

संघों को मान्यता

†*१७१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन संघों को, जिन्हें जुलाई, १९६० के पश्चात् मान्यता विहीन कर दिया गया था पुनः मान्यता प्रदान कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे संघों की सूची क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) मान्यता वापस लेने के समय लागू शर्तों पर ३२ संघों को पुनः मान्यता देने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। एक के अतिरिक्त अन्य सभी संघों को मान्यता दे दी गई है। उपरोक्त संघ के मामले में, स्थानीय अधिकारी विचार कर रहे हैं।

(ख) ३१ कार्मिक संघों की सूची सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या १७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

†*१७२. **श्री तंगामणि :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ के दौरान केन्द्रीय सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भष्टाचार के आरोप में मुअत्तिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ग) वे किन विभागों में काम कर रहे हैं और उनके पद क्या क्या हैं; और

(घ) क्या विशेष पुलिस संस्थान ने इन अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये विभिन्न आरोपों की जांच कर ली है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और पूरा होते ही उसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

चौथे इस्पात संयंत्र की स्थापना

†*१७३. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री प्र० चं० बरुआ :
पं० द्वा० ना० तिवारी :
श्री कोडियान :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से बोकारो में चौथे संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में अमरीका से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के विस्तृत विवरण क्या हैं;

(ग) भारत सरकार की इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) चौथे इस्पात संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में निश्चित स्थान पर इस समय तक क्या कार्य किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

दिनांक १४ अगस्त, १९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या ४७९ के उत्तर में लोक सभा को जो जानकारी दी गई थी उसके पश्चात् किये गये कार्य की प्रगति इस प्रकार है :

भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। ७२ एकड़ भूमि क्षेत्र की कन्टूर रेखाएं खींच दी गई हैं। ५८ अस्थायी क्वार्टर, एक भोजन कक्ष और एक कार्यालय के निर्माण के ठेके को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। चार कमरों वाले अतिथिगृह के निर्माण के लिये टेंडरों की जांच की जा रही है। हवाई अड्डे के निर्माण का ठेका भी दिया जा चुका है ।

अन्य कार्य, निर्माण उपकरण, कारखाने की मशीनें, जल संभरण (प्राथमिक अनुमान), १००० स्थायी मकान, प्राथमिक स्कूल और बाजार के सम्बन्धी प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं। वाह्य स्वच्छता और जल सप्लाई के लिये टेंडर जारी कर दिये गये हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये विश्व बैंक से सहायता

†*१७४. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २२९ जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये विश्व बैंक से सहायता के सम्बन्ध में था के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवशेष परियोजनाओं के सम्बन्ध में विश्व बैंक से हुई बातचीत के सम्बन्ध में तब से क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके विस्तृत विवरण क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां ।

(ख) पहले के प्रश्न के उत्तर में निर्दिष्ट दो संविदों पर ९ और १७ अगस्त, १९६१ को हस्ताक्षर किये गये थे। इनके अन्तर्गत क्रमशः ३५० लाख **और** २१० लाख डालर गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र और कलकत्ता पोर्ट में कोयला उद्योग के विकास के लिये उपलब्ध है। इन संविदों की प्रतियां अब संसद् के पुस्तकालय में रख दी गई हैं। इन दो संविदों के अतिरिक्त भारतीय रेलों के लिये ५०० लाख डालर ऋण के लिये १३ अक्तूबर, १९६१ को हस्ताक्षर किये गये हैं। उपलब्ध होते ही संविदे की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रख दी जायेंगी। जो शेष परियोजनाएं विचाराधीन हैं दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में विद्युत् विकास के लिये ऋण प्राप्ति के लिये हाल ही में वाशिंगटन में बातचीत प्रारम्भ हुई है।

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय कानूनों का हिन्दी अनुवाद

*१७५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री भक्त दर्शन :
श्री बलराज मधोक :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय कानूनों का हिन्दी अनुवाद करने के लिए जो आयोग नियुक्त किया गया था उसने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) आयोग ने अपना कार्य करने के लिए जो पद्धति अपनाई है उसकी क्या रूपरेखा है; और

(ग) केन्द्र में जो नये कानून अब बनेंगे क्या इस आयोग को यह भी काम सौंपा जायेगा कि उनका अनुवाद भी साथ-साथ देता रहे ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस): (क) आयोग ने केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद का वास्तविक कार्य अभी आरम्भ नहीं किया है ।

(ख) आवश्यक संगठन बनाने का काम पूरा किया जा रहा है । यह काम इस प्रकार का नहीं है कि यह किसी कठोर तंत्र में जकड़ा जा सके ।

(ग) सम्भवतः प्रश्न के इस भाग का आशय संसद् में पेश किये जाने वाले विधेयकों से है यदि ऐसी बात है तो आयोग से उचित समय पर यह अनुरोध किया जायेगा कि वह भावी केन्द्रीय विधेयक और साथ साथ ही उनके हिन्दी अनुवाद किये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श दे ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र

†*१७६. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात सन्यन्त्र में लोहे और इस्पात के उत्पादन में पर्याप्त कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके विस्तृत विवरण क्या हैं; और

(ग) क्या इसका कारण यह था कि दो धमन भट्टियों से पिघली हुई धातु को बाहर निकालने के लिये लेडल उपलब्ध नहीं हो सके और लेडलों का उपलब्ध न हो सकना मालगाड़ियों की कमी के कारण हुआ ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). रूरकेला में लोहे तथा इस्पात के उत्पादन में उल्लेखनीय कमी नहीं हुई है । यह निम्न आंकड़ों में स्पष्ट है :—

महीना	कच्चा लोहा	इस्पात
जुलाई, १९६१	२८, २८० टन	२०, १२१ टन
अगस्त, १९६१	३२,४६५ टन	२४,८६३ टन
सितम्बर, १९६१	३१,९४१ टन	२२,४०० टन
अक्तूबर, १९६१	४१,९०४ टन	३३,९१२ टन

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जुलाई और सितम्बर में उत्पादन में कुछ कमी हो गई थी इसके कारण इस प्रकार हैं:—

(१) ब्लूमिंग और स्लोविंग मिल मोटर में अवरोध के फलस्वरूप कच्चे लोहे और इस्पात का कम उत्पादन ।

(२) टेप होल को मरम्मत के लिये उदग्र भट्टी नं० १ को रोकना; और

(३) अधिक वर्षा के कारण स्लैक डम्पिंग यार्ड में अव्यवस्था ।

तकनीकी विषयों पर सस्ती पाठ्य पुस्तकें

†*१७७. श्री हेम बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री चुनी लाल :

क्या शिक्षा मन्त्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तकनीकी विषयों की सस्ती पाठ्य पुस्तकों के तैयार करवाने और वितरण करने की योजना के ब्यौरे को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

सिद्धान्त रूप में इस योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है किन्तु विस्तृत रूपरेखा अभी तैयार की जा रही है। कतिपय निर्देशात्मक सिद्धान्तों के आधार पर कुछ पुस्तकों का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया है। लाइनस पालिंग कृत "कालेज केमिस्ट्री" १२ रुपये ५० नये पैसे में बिक्री के लिये उपलब्ध है जबकि इसकी मूल कीमत ६·७५ डालर अर्थात् ३० रुपये है ।

एक मिले-जुले भारत-अमरीकी बोर्ड का निर्माण किया गया है और ४ नवम्बर, १९६१ को इसकी एक बैठक हो चुकी है । नियमित अवधि के पश्चात् इसकी बैठक होती रहेगी और योजना के संचालन सम्बन्धी समस्याओं तथा भारतीय लेखकों और प्रकाशकों के हितों के संरक्षण पर विचार करेगी ।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में तेल के लिये छिद्रण

†*१७८. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस्पात, खान और इंधन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में तेल निकालने की कार्य दक्षता और व्यय का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पता चला है कि गैर-सरकारी क्षेत्र इस दिशा में अधिक कार्य दक्ष और मितव्ययी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(घ) सरकारी क्षेत्रों में तेल निकालने के कार्य को अधिक सस्ता बनाने के लिये कौन से उपाय किये गये अथवा किये जाने वाले हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस कमीशन ने हाल ही में यह अध्ययन प्रारम्भ किया था ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

भाषाई अल्प-संख्यकों सम्बन्धी क्षेत्रीय परिषदों की समिति

†*१७९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, १९६१ में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार, भाषाई अल्प-संख्यकों के संरक्षण के लिये क्षेत्रीय परिषदों की समिति स्थापित कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी बैठक कब होगी;

(ग) क्या पूर्वी क्षेत्र परिषद् ने मुख्य मन्त्री सम्मेलन के निर्णयों पर चर्चा की है, और अपने क्षेत्रों में इनको ठोस रूप में लागू करने की योजना बनाई है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). क्षेत्रीय परिषदों के वाइस चेयरमैनों की समिति की पहली बैठक १६ नवम्बर, १९६१ को हुई थी ।

(ग) और (घ). मुख्य मन्त्रियों की कान्फ्रेंस के पश्चात् पूर्वी क्षेत्रीय परिषदों की कोई मीटिंग नहीं हुई । क्षेत्रीय परिषदों के वाइस चेयरमैनों की राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी समिति ने हाल की मीटिंग में यह निर्णय किया है कि प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् में एक स्थायी समिति हो जिसमें मुख्य मंत्रियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय परिषदों का वाइस चैयरमैन संयोजक के रूप में हो । मुख्य मंत्रियों की कान्फ्रेंस में निर्णीत विविध विषयों को क्रियान्विति यह करेगी जिनमें भाषायी अल्प-संख्यकों के हितों की सुरक्षा भी सम्मिलित है ।

पेट्रोल की बिक्री के डिपो

†*१८०. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कम्पनी पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरी और देहाती क्षेत्रों में पेट्रोल की बिक्री के डिपो स्थापित करने जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना क्या है और मण्डी में पेट्रोल किस मूल्य पर बेचा जायेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) जैसा अब है, कम्पनी ने पंजाब में पठानकोट, अम्बाला, फीरोजपुर, जालंधर, हिसार, अमृतसर और लुधियाना में दिल्ली में शकूरबस्ती में; राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर में, और उत्तर प्रदेश में; मुगलसराय, आगरा, गोरखपुर, बस्ती, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी,

---

†मूल अंग्रेजी में

कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर और मेरठ में डिपो स्थापित करने का निर्णय किया है। बिक्री डिपो की तरह भण्डार डिपो भी अन्य स्थानों पर बनाये जायेंगे।

इण्डियन आयल कम्पनी ने कोई और योजना नहीं बनाई है परन्तु वे सभी प्रमुख मण्डियों में पहुंचना चाहते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त होने पर इण्डियन आयल कम्पनी द्वारा पेट्रोल की बिक्री उसी मूल्य पर की जायेगी जो अन्य पक्षों द्वारा सम्भरण पर लागू है।

मध्य प्रदेश की कोयला खानें

†*१८१. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से कुछ कोयला खानें लेने की इच्छा प्रकट की है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को दिया गया कोयला साधारण रूप में महंगा समझा गया है; और

(ख) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से कोई कोयला खान लेने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के किसी प्रस्ताव के बारे में केन्द्रीय सरकार को पता नहीं है।

तथापि केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को तहसील और जिला बेतूल में सरकारी रक्षित वन में ७,२९३ एकड़ से अधिक आमला रेंज कोयले के लिये खनन पट्टे पर देने की सिफारिश प्राप्त हुई है। मामला विचाराधीन है।

तरल सोना

*१८२. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में तरल सोने की खोज करने की दिशा में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की विचाराधीन प्रस्थापना के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : विषय अभी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विचाराधीन है।

सिक्किम में जस्त और तांबा

*१८३. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिक्किम दरबार द्वारा फरवरी, १९६० में जिस सिक्किम खान निगम की स्थापना की गई थी उस के प्रोग्राम के अनुसार भूटान में अब तक कितना तांबा और जस्ता निकाला गया है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : सिक्किम खान निगम ने भौटांग खानों से अभी कच्चे तांबा, सिक्का और जस्ता के उत्पादन को शुरू नहीं किया है। १९६२ के पहले ६ महीनों के दौरान में धातु के उत्पादन के शुरू होने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दंगे

श्री विभूति मिश्र :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० गं० देव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री सूपकार :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री बालमीकी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री अजित सिंह सरहदी :

†*१८४. डा० राम सुभग सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री राम शंकर लाल :
श्री कुन्हन :
श्री पहाड़िया :
श्री हेम राज :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री बलराज मधोक :
श्री कोडियान :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अगाड़ी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री न० म० देब :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दातार के साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दंगा पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया था, जहां कि हाल के साम्प्रदायिक दंगों में १७ व्यक्ति मरे और ५० घायल हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी अथवा की जाने वाली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां। परन्तु जहां तक विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है केवल ८ विद्यार्थियों को चोट आयी और कोई मारा नहीं गया।

(ख) शिक्षा मंत्री के गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बी० एन० दातार) और रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) के साथ ५ अक्तूबर, १९६१ को प्रातः अलीगढ़ का दौरा किया और स्थिति का अध्ययन करके और आवश्यक पूछताछ करके उस ही शाम को वापस लौट आये। उनके वहां ठहरने के दौरान, उन्होंने विश्वविद्यालय, सरकारी अस्पताल और दंगा पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया और स्थानीय अधिकारियों, आगरा डिवीज़न के डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, विश्वविद्यालय के अधिकारियों और अलीगढ़ के प्रमुख नागरिकों से बातचीत की।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक कार्यवाही की है। वे इसकी जांच भी कर रहे हैं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने भी संघ चुनावों के समय विश्वविद्यालय में हुई दुर्घटना की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की है। इस समिति की रिपोर्ट की प्रति और उस पर कार्यकारी परिषद् के विचार प्राप्त होने पर भारत सरकार यह विचार करेगी कि क्या इस मामले में और कार्यवाही करना आवश्यक है।

चान्दा जिले का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†*१८५. **श्री कोडियान :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पांगरकर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के चांदा जिले की तहसील गरची सोली में अरमीरी के पास वैरागढ़ क्षेत्र का हाल में भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रारम्भिक सर्वेक्षण में हीरे, उच्च कोटि के लोहे तथा तांबे के निक्षेपों के मिलने के कुछ चिह्न प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) ये निक्षेप कैसे और कितने हैं तथा इसका पता लगाने के लिये और आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष १९६०–६१ में किये गये सर्वेक्षण से हीरे की कोई चट्टान नहीं मिली है। उच्च कोटि के कोई लोहे तथा तांबे के निक्षेप भी नहीं पाये गये।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रूसी सहायता से तीसरी योजना के अन्तर्गत आरम्भ की जाने वाली परियोजनायें

†*१८६. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रूसी सहायता का आश्वासन प्राप्त हुआ है ;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर क्या खर्च होगा, रूसी सहायता की राशि क्या होगी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस बात का कोई निर्णय किया गया है कि वे कहां स्थित होंगे ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८]**

स्कूल के बच्चों के लिये दोपहर का भोजन

†*१८७. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन देने के लिये किसी केन्द्रीय योजना या केन्द्र द्वारा समर्पित योजना पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) यह भी एक योजना है जो, तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार, योजना के राज्य क्षेत्र में आती है।

कोयला बोर्ड का कार्यालय

†*१८८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री न० म० देव :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला बोर्ड के कार्यालय को कलकत्ता से स्थानान्तरित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किस आधार पर किया गया है ;

(ग) क्या यह निर्णय करने से पहले सब सम्बन्धित हितों से परामर्श कर लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ; और

(ङ) स्थानान्तरण के कारण कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) इस बारे में एक प्रस्ताव है परन्तु इस मामले में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स

†*१८९. **श्री अगाड़ी :**
श्री बोडयार :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर आयरन एन्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती, मैसूर राज्य के पूंजी ढांचे के बारे में अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या वित्तीय सहायता के लिये कोई निर्णय किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या कारखाने की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके मुख्य पहलू क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) और (ङ). मैसूर आइरन एन्ड स्टील वर्क्स का विस्तार कार्य, ३०,००० टन इस्पात के पिंड प्रति वर्ष की क्षमता को बढ़ा कर १,००,००० टन प्रति वर्ष करके, जो मूलतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया जायगा । इस विस्तार में शामिल की गई नयी मदें एल० डी० प्लांट, इस्पात बनाने के लिये बिजली की भट्टी, बिलेट एण्ड लाइट स्ट्रक्चरल मिल और यार्ड, फाउन्ड्री आदि के विस्तार के लिये सहायक योजनायें हैं । इसके अतिरिक्त तृतीय पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में आरम्भ किये गये, सिन्टरिंग प्लांट और फेरो-सिलीकोन प्लान्ट की स्थापना पूरी हो जायेगी ।

एक ओजार तथा मिश्रित धातु संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी, जिसकी क्षमता १५,००० टन प्रति वर्ष होगी, सरकार के विचाराधीन है ।

खेतरी ताम्बा परियोजना

†*१९०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० जं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खेतरी ताम्बा परियोजना शुरू करने में क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १९]**

कोयला उत्पादन का लक्ष्य

†*१९१. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री प्र० चं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला परिषद् ने अपनी हाल की बैठक में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोयले के उत्पादन के ९७० लाख टन के लक्ष्य का पुनर्विलोकन किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या कोयले के उत्पादन के लक्ष्य को समूचे योजना काल के **बजाय तृतीय पंचवर्षीय योजना** काल में प्रति वर्ष निर्धारित करने के सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) इस विषय में सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें क्षेत्र-वार लक्ष्यों का बंटवारा बनाया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २०]**

(ग) इस बारे में कोई विशिष्ट सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं परन्तु योजना की वास्तविक क्रियान्विति पर नियंत्रण के लिये वार्षिक योजनायें तैयार की जाती हैं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

†*१९२. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री भक्त दर्शन :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री न० म० देव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा पर अब तक कितनी सामग्री तैयार की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ) .एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया—देखिये संख्या एल० टी०—३३२२।६१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

पैट्रोलियम संग्रह डिपो

†*१९३. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री हेम बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कम्पनी ने सारे भारत में पैट्रोलियम संग्रह डिपो खोलने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने खोले गये हैं और कहां ; और

(ग) इन डिपों के स्थान निश्चित करने के बारे में किन बुनियादी बातों को ध्यान में रखा जाता है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) अभी तक कम्पनी ने अहमदाबाद, बड़ौदा, इन्दौर, रतलाम और नागपुर में ५ डिपो चालू किये हैं ।

(ग) डिपो की स्थापना के बारे में मुख्यतः आर्थिक और प्रविधिक बातों पर निर्णय किया जाता है, अर्थात् किसी क्षेत्र में बिक्री की संभावना और निरन्तर संभरण की संभाव्यता । क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों के संभरण में रेलवे टैंक वैगनों का मुख्य हाथ है, इन डिपुओं को निश्चित रूप से रेलवे स्टेशनों पर, जो अधिक खपत क्षेत्रों के केन्द्र हैं, बनाना पड़ता है ।

हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्रीय व्यवस्था

†*१९४. श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री हेम राज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद् ने अपने क्षेत्र में लोकतंत्रीय व्यवस्था के बारे में एक संकल्प पारित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की प्रक्रिया क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, हां ।

(ख) जैसा पहले लोक सभा में कहा जा चुका है, मुझे आशा है कि मैं संसद के चालू सत्र में संघ-राज्य-क्षेत्रों की स्थापना के बारे में एक वक्तव्य दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली की कुतब मीनार से आत्म-हत्यायें

†*१९५. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री साधन गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री न० म० देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की कुतब मीनार से छलांग लगा कर १९६१ में अब तक कितने लोगों ने आत्म हत्या की;

(ख) पिछले साल कितने लोगों ने आत्म हत्या की ; और

(ग) इन घटनाओं को रोकने के लिय क्या कदम उठाय गय या उठाये जाने वाले हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** :(क) और (ख). १९६० में ६। १९६१ में ३१-१०-६१ तक १ ।

(ग) पूर्वविधान के तौर पर किसी भी दर्शक को, जबतक उसके साथ दो अन्य व्यक्ति न हों, कुतब मीनार पर नहीं जाने दिया जाता । यह सुनिश्चित करनेके लिये कि इस नियम का पालन होता है, प्रवेश द्वार पर एक चौकीदार और दो पुलिस कांस्टेबिल नियुक्त किये गये हैं । सभी दर्शकों के लिये सूर्य छिपने के समय से सूर्य निकलने के समय तक प्रवेश बन्द रहता है । इसके अतिरिक्त, प्रथम और सबसे ऊपर के छज्जों के चारों ओर रेलिंग लगाये गये हैं जब कि दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल के छज्जों के प्रवेश द्वार स्थायी रूप से बन्द कर दिये गये हैं ।

पर्वतारोहण

***१९६. श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वतारोहण को प्रोत्साहन देने के लिये जो योजना अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् के विचाराधीन थी, उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ; और

(ख) उस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

अखिल भारतीय खेल परिषद् ने पर्वतारोहण को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित का का अनुमोदन किया है :—(क) हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दारजिलिंग का विकास, (ख) विश्वविद्यालयों में पर्वतारोहण क्लबों की स्थापना और उनको वित्तीय सहायता देना; तथा (ग) एक अखिल भारतीय स्कोइंग क्लब की स्थापना । इस काम के लिए निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किये गये हैं :—

(१) हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दारजिलिंग को साज-सामान खरीदने के लिए २०,००० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) जबलपुर विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय पर्वतारोहण क्लब द्वारा शिला चढ़ाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने के लिए ३,५०६ रुपये ।

एक अखिल भारतीय स्कीइंग क्लब की स्थापना करने का प्रश्न अभी अखिल भारतीय खेल परिषद् के विचाराधीन है ।

मतदान दिवस पर सवेतन छुट्टी

†*१९७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर के मिल मालिकों ने सामान्य निर्वाचन मतदान दिवस को सवेतन छुट्टी घोषित करने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या इस निर्णय से औद्योगिक श्रमिकों को बहुत कठिनाई होगी ;

(ग) क्या १९५७ के सामान्य निर्वाचनों में उन्होंने यही रवैया अपनाया था ;

(घ) क्या उन में से काफी लोग कम समय दिये जाने के कारण मत नहीं दे सके ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**विधि उप-मंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) से (ङ). वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपक्रमों में मतदान दिवस को सवेतन छुट्टी घोषित करने के प्रश्न को निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम तथा द्वितीय दोनों सामान्य निर्वाचनों के समय जांच की गयी थी और उनको ऐसा करने के लिये कहने को व्यवहार्य नहीं समझा गया । जो कुछ निर्वाचन आयोग कर सकता था, वह यह है कि वह इन संस्थाओं के अधिकारियों पर इस बात का दबाव डाले कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान की अवधि के दौरान कुछ समय का अवकाश दें ताकि वे मतदान कर सकें । जिला निर्वाचन पदाधिकारी, कानपुर के पास मतदान के दिन औद्योगिक संस्थाओं के श्रमिकों को छुट्टी देने के बारे में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है परन्तु स्थानीय रूप से पूछताछ करने पर पता चला है कि वर्ष १९५७ में मतदान दिवस को ऐसी कोई छुट्टी घोषित नहीं की गयी थी । जहां तक संभव होता है, औद्योगिक क्षेत्रों में मतदान रविवार वाले दिन किया जाता है ताकि वाणिज्यिक और औद्योगिक उपक्रमों में कर्मचारियों को कोई कठिनाई नहीं हो ।

अंकलेश्वर तेल क्षेत्र

†*१९८. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री महन्ती :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, १९६१ में अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में तेल-उत्पादन के कार्यक्रम में कुछ कठिनाइयां पैदा हो गई थीं और उसके फलस्वरूप उत्पादन कार्य कुछ समय के लिये बन्द कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उत्पादन बन्द करने के कारण तेल की मात्रा और उसके मूल्य की कुल कितनी हानि हुई ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

इंडिया आफिस लाइब्रेरी

*१९९. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री हेम बरुआ :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री अगाड़ी :
श्री बोडयार :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ९ अगस्त १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और इंगलैंड सरकार के बीच इंडिया आफिस लाइब्रेरी के सम्बन्ध में अबवार्ता पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकारों के समझौते को ध्यान में रख कर यह अभी नहीं बताया जा सकता ।

रोष्ट्रीय कोयला विकास निगम में विकेन्द्रीकरण

†*२००. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के संगठन का विकेन्द्रीकरण करने और उत्पादन निदेशक तथा योजना निदेशक के नये पद बनाने से कोयले के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो वृद्धि किस प्रकार की हुई है और भविष्य में उसकी क्या सम्भावनायें हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). द्वितीय योजना में १३५ लाख टन के उत्पादन-लक्ष्य से तृतीय योजना में प्रति वर्ष ३२० लाख टन तक की वृद्धि होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के संगठनों के विस्तार की समस्या को सुलझाने के लिये विकेन्द्रीकरण किया गया । क्योंकि तृतीय योजना की क्रियान्विति अभी आरम्भ हुई है, इस समय इसका अतिरिक्त कोयला उत्पादन के रूप में प्रभाव का मूल्यांकन करना संभव नहीं है । तथापि, आशा यह है कि इन उपायों से अच्छे परिणाम निकलेंगे ।

विश्व बैंक में प्रतिनिधित्व

†*२०२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक के नीति निर्धारण और नीतियों के मूल्यांकन के स्तरों पर कम विकसित देशों को अधिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन देशों की ओर से कुछ समय के लिये कुछ लोगों को प्रत्यायोजित करने के लिये मंत्री द्वारा दिया गया सुझाव स्वीकृत हो गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) संभवत: माननीय सदस्य वित्त मंत्री द्वारा १६ सितम्बर, १६६१ को वियना में विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में अपने भाषण में दिये गये सुझावों का निर्देश कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा था कि बैंक में उच्च स्तर पर कम विकसित देशों का अधिक प्रतिनिधान करने की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया था कि कम विकसित देश कम से कम थोड़े समय तक, यदि वे अधिक समय तक अपने व्यक्ति नहीं छोड़ सकते, अपने विशेषज्ञ विश्व बैंक को भेजने के लिये पूरा प्रयत्न करें।

(ख) बैंक की प्रक्रिया के अनुसार, वित्त मंत्री द्वारा, बैंक में भारत के गवर्नर की हैसियत से दिया गया वक्तव्य, वर्ष १६६१ की बैंक की वार्षिक बैठक के रिकार्ड में दर्ज कर लिया गया है। बैंक नि:सन्देह वित्त मंत्री के सुझाव पर वार्षिक बैठक में किये गये अन्य सुझावों के साथ विचार करेगा।

इलक्ट्रानिक इक्विपमेंट पर आयात शुल्क

***२०३. श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलक्ट्रानिक इक्विपमेंट देश में तैयार नहीं होते हैं, उन पर क्या हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है;

(ख) क्या यह भी सही है कि इस बारे में सरकार जांच कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया): (क) ब्राडकास्टिंग और टेस्टइक्विपमेंट को छोड़ कर, इलक्ट्रानिक इक्विपमेंट पर केवल तीन प्रतिशत आयात कर लगाया जाता है। तदापि कुछ इलक्ट्रानिक उपांगों और खाम पदार्थों पर बहुत भारी कर लगाये जाते हैं।

(ख) सरकार इस बात की जांच कर रही है, कि उपांगों और खाम पदार्थों पर भारी करों के कारण, भारतीय उद्योग पर आई कठिनाइयों को कितना कम किया जा सकता है।

(ग) मामला अभी विचाराधीन है।

सिखों के विरुद्ध कथित भेद भाव सम्बन्धी उच्च शक्ति आयोग

†***२०४.** श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री हेमराज :
श्री सूपकार :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री नागी रेड्डी :
श्री कालिका सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने सिखों के विरुद्ध कथित भेदभाव की जांच के लिये एक उच्च शक्ति आयोग नियुक्त किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो आयोग का क्षेत्र, प्रकार्य और उसका गठन किस प्रकार का है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). आयोग नियुक्त करने के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये संकल्प की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २१]**

पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को

†*२०५. **श्री हेम बरुआ**: क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मास्को के पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को, ने भारतीय विद्यार्थियों के लिये आवंटित स्थानों की संख्या की सामान्यतया बढ़ाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार का कोई समझौता हुआ है और विश्वविद्यालय में भारतीय विश्वविद्यालयों की तुलना में शिक्षा का स्तर कैसा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)**: (क) और (ख). पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी ने पिछले वर्ष की तरह वर्ष १९६२-६३ के लिये भारतीय विद्यार्थियों के लिये ३० से ४० सीटें दी हैं। पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी एक नया विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्तर के बारे अभी कोई राय नहीं दी जा सकती। सामान्यतः रूस में शिक्षा का स्तर भारतीय विश्वविद्यालयों के स्तर से अच्छा है।

सुपर सोनिक विमान के विकास के लिये इंग्लैंड का सहयोग

†*२०६. **श्री कोडियान :**
श्री वारियर :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन को नापसंद होने के कारण, इंग्लैण्ड के विमान-निर्माताओं ने एच० एफ० सुपर सोनिक विमान को 'मैक २' (ध्वनि की गति से दोगुनी गति प्राप्त करने तक) **विकसित** करने के कार्यक्रम में सहयोग देने के लिये उपयुक्त उत्साह नहीं दिखाया;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत ने इस सम्बन्ध में अनुसंधान-कार्य जारी रखने का जो अनुरोध किया था, उस से निर्मातागण इस शर्त पर मानने को तैयार हुए हैं कि यदि हमारा देश उसका पूरा खर्च उठाये और उस अनुसंधान-कार्य के किसी निश्चित परिणाम की गारंटी न चाहे;

(ग) क्या यह भी सच है कि अब इस प्रयोजन के लिये सोवियत यूनियन में बने दोहरे इंजनों का परीक्षण किया जा रहा है जो शायद एच० एफ० २४ के उपयुक्त सिद्ध हों; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). भारत सरकार ने सितम्बर, १९५६ में आर्फियस इंजन के निर्माण के लिये, भावी विकास समेत, ब्रिटेन के ब्रिस्टल्स के साथ एक लाइसेंस करार किया था । ब्रिस्टल्स उस समय अन्य देशों द्वारा पूंजी लगाये हुए एक पृथक कार्यक्रम के अधीन बी० ओर १२ इंजन बना रहे थे । यह इंजन एच० एफ० २४ मार्क २ सुपर सोनिक विमान के लिये उपयुक्त पाया गया और एच० एफ० २४ का डिजाइन बी० ओर १२ इंजन की तरह बनाया गया । वर्ष १९५८–५९ के अन्त में भारत सरकार को ब्रिस्टल्स ने बताया कि परिवर्तित आवश्यकताओं के कारण बी० ओर १२ अन्य देश नहीं लेंगे और ब्रिस्टल्स को इस इंजन के विकास के लिये अन्य देशों से जो वित्तीय सहायता मिल रही थी, नहीं मिलेगी । ब्रिस्टल्स ने यह भी सूचित किया कि यदि हम बी० ओर १२ इंजन के और विकास में इच्छुक हों तो हमें विकास की और लागत देने को तैयार रहना चाहिये । इस इंजन के अग्रेतर विकास के लिये और भारत सरकार द्वारा लागत को सहन करने के प्रश्न पर ब्रिस्टल्स से बातचीत अभी चल रही है ।

(ग) पहले से यह पता चल गया था कि ब्रिस्टल्स ने बी० ओर० १२ का अग्रेतर विकास-कार्य रोक दिया है, भारत सरकार एच० एफ० २४ मार्क २ के लिये उपयुक्त वैकल्पिक इंजनों की तलाश में थी । प्राप्त विवरणों से यह पता लगा कि रूस के पास एक ऐसा इंजन है जो पूर्णतः विकसित है और वह इस्तेमाल हो रहा है और जो एच० एफ० २४ मार्क २ के लिये उपयुक्त हो सकता है । रूसी हमें, अगर हम चाहें, इस इंजन के लिये पूरे निर्माण अधिकार देने को सहमत हैं । हम ने उन से परीक्षण के तौर पर ऐसे ६ इंजन खरीदे हैं ।

(घ) एच० एफ० २४ मार्क २ के लिये अन्तिम रूप से इंजन चुनने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है । यह रूसी इंजनों पर किये जाने वाले परीक्षणों पर निर्भर होगा ।

पेट्रोलियम सूचना ब्यूरो

†*२०७. { श्री मो० ब० ठाकुर :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पेट्रोल सम्बन्धी सरकारी नीति के सम्बन्ध में जनता को और अधिक सूचना-सम्पन्न बनाने की अविलम्बनीय आवश्यकता की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो पेट्रोलियम सूचना ब्यूरो द्वारा अनुसंधान तथा प्रचार कार्यक्रमों को शुरू करने और ब्यूरो का संगठन सुदृढ़ बनाने के कार्य की प्रगति को तेज़ करने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) जी, हां ।

(ख) पेट्रोलियम सूचना ब्यूरो ने गुजराती में एक पाक्षिक पत्रिका निकालना आरम्भ कर दिया है और कुछ सूचना बुलेटिन तैयार किये हैं । इस ने तेल उद्योग की विभिन्न प्रावस्थाओं के बारे में पुस्तिका में, सूचना बुलेटिन आदि तैयार करने का एक कार्यक्रम बनाया है ।

†मूल अंग्रेजी में

छोटी कोयला खानों का विलय

†२०२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटी कोयला खानों के विलय सम्बन्धी समिति की सिफारिश के अनुसार छोटी और अधिक खर्च वाली कोयला खानों के विलय के सम्बन्ध में अभी तक हुई प्रगति बताने की कृपा करेंगे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** कोयला खान स्वैच्छिक विलय समिति ने अभी तक स्वेच्छापूर्वक विलय के ३५ प्रस्तावों का अनुमोदन किया है जिन में ७१ कोयला खानें भी हैं। यथार्थ विलय की २० प्रस्तावों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है जिन में ३९ कोयला खानें सम्मिलित हैं। समिति के सामने इस समय ३० प्रस्ताव और विचाराधीन हैं।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

†२०३. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९६१ से ३० सितम्बर, १९६१ तक किराया नियंत्रक के समक्ष फाइल किये गये कुल मामलों की संख्या व्यक्त करते हुए यह बतायेंगे कि उन में से निम्न प्रकार के मामले कितने कितने हैं :

(१) मकान मालिकों और किरायेदारों में से प्रत्येक द्वारा दाखिल किये गये मामले;

(२) मकान मालिकों द्वारा दाखिल किये गये मामले जिन में किरायेदारों से निष्कासन मांगा गया है;

(३) वे मामले जिन में 'मकान मालिक की निजी आवश्यकता' के लिये किरायेदारों से खाली कराने की मांग की गई है;

(४) किरायेदारों द्वारा स्टेण्डर्ड किराया निश्चित करने के मामले; और

(५) हाल ही में स्थानान्तरित भू-गृहादि के सम्बन्ध में किरायेदारों से खाली कराने के मामले ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** संभवतः माननीय सदस्य दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५८ के बारे में जानकारी चाहते हैं। अपेक्षित ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(१) मकान मालिकों द्वारा दायर मुकदमों की संख्या .	१,८१०
किरायेदारों द्वारा दायर मुकदमों की संख्या	१,४४७
(२) किरायेदारों से खाली कराने की मांग के सम्बन्ध में मकान मालिकों द्वारा दायर मुकदमों की संख्या .	१,७९८
(३) 'मकान मालिक के निजी उपयोग' के आधार पर किरायेदारों से खाली कराने के लिये मुकदमों की संख्या . .	३३९
(४) स्टेण्डर्ड किराया निश्चित करने के लिये किरायेदारों द्वारा दायर मुकदमों की संख्या . . .	२०४
(५) हाल में हस्तान्तरित भू-गृहादि के सम्बन्ध में किरायेदारों से खाली कराने के मुकदमों की संख्या . . .	एक भी नहीं

†मूल अंग्रेज़ी में

उत्तर प्रदेश में चीनवासी

†२०४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितने चीनी रहते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उन में से कुछ ने चीन से पासपोर्ट प्राप्त करने से मना कर दिया है; और

(ग) क्या वह भारत में राज्यविहीन नागरिकों के रूप में रहना चाहते हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) ३३३। जिनमें १४१ बच्चे सम्मिलित हैं।

(ख) और (ग). जी हां। ३९ चीनियों ने चीन जनवादी गणतन्त्र से पासपोर्ट लेने से मना कर दिया है। उनमें से सताईस चीनी राज्य विहीन नागरिकों के रूप में रहना चाहते हैं जबकि शेष बारह यह दावा कर हे हैं कि वे भारतीय नागरिक हैं।

भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

†२०५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा १९६०-६१ में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) १९६०-६१ में प्रत्येक राज्य से प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी कितनी है; और

(ग) कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है और शेष कितनी के बारे में अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे पूरा होते ही लोक-सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

दिल्ली में पिछड़े वर्ग

†२०६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछड़े वर्गों के रूप में घोषित जातियों के क्या नाम हैं;

(ख) पिछड़े वर्गों के रूप में वह किस प्रकार के लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). "पिछड़े वर्गों" शब्दों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिम जातियां और अन्य पिछड़े वर्ग शामिल हैं। दिल्ली में अनुसूचित आदिम जातियां नहीं हैं। अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां सूची (रूपभेद करने वाला) आदेश, १९५६ में निर्दिष्ट किया गया है। लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा गया है जिसमें उन जातियों के नाम दिये गये हैं जिन्हें दिल्ली राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियां और अन्य पिछड़ी जातियां माना गया है। इसी विवरण में यह भी बताया गया है कि उन्हें क्या क्या रियायतें दी गई हैं और उनके कल्याण के लिये क्या उपाय किये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या २२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान में भारतीय गैर-सरकारी पूंजी का विनियोजन

†२०७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के पास इस आशय का कोई ब्यौरा है कि पाकिस्तान में कितनी भारतीय गैर-सरकारी पूंजी लगी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी पूंजी लगी हुई है; और

(ग) क्या सरकार अब भी भारतीयों को पाकिस्तान में पूंजी लगाने की अनुमति देती है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). भारत में स्थित फर्मों और व्यक्तियों ने रिजर्व बैंक को जो जानकारी दी है उसके अनुसार पाकिस्तानी प्रतिभूतियों और शेअरों के रूप में ३१ जुलाई, १९६१ तक ३०८ लाख रुपये की पूंजी लगी हुई है। कुछ समय पहले रिजर्व बैंक की गणना के अनुसार भारत की विदेशी आस्तियां और दायित्व के अन्तर्गत पाकिस्तान में भारतीय ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों की कुल आस्तियां अनुमानतः १,७५६ लाख रुपये हैं।

(ग) विदेशी मुद्रा की कमी को ध्यान में रखते हुए, जो देश में उद्योगीकरण के लिये अत्यन्त आवश्यक है, विदेशों में पूंजी विनियोग करने की सामान्यतः अनुमति नहीं दी जाती है।

जम्मू और काश्मीर में प्राथमिक शिक्षा

†२०८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रारम्भिक शिक्षा के विकास के लिये १९६१–६२ में जम्मू तथा काश्मीर सरकार को कुल कितनी वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** राज्य की विकास योजना में सम्मिलित सामान्य शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में २५ लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं।

घड़ियों का तस्कर व्यापार

†२०९. **श्री दी० चं० शर्मा:**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में चोरी से आने वाली घड़ियों की संख्या वृद्धि पर है;

(ख) यदि हां, तो सन् १९६०–६१ में इस प्रकार के कितने मामलों का पता लगाया गया है; और

(ग) तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) सीमा शुल्क विभाग, भूमि शुल्क विभाग, केन्द्रीय आबकारी विभाग अधिकारियों द्वारा १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में क्रमशः १४६ लाख रुपये, ७ लाख रुपये, १३.३१ लाख रुपये, २१.०३ लाख रुपये और २२.१० लाख रुपये के मूल्य की चोरी से आई घड़ियां पकड़ी गई थीं। यह सच है कि जब्त की गई घड़ियों की कीमत अधिक है, इससे यह परिणाम निकालना सही नहीं है कि तस्कर व्यापार में वृद्धि हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १०१३ मामले ।

(ग) उपरोक्त १०१३ मामलों में तस्कर व्यापारियों अथवा सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध निम्न कार्यवाही की गई थी :--

(१) ४८१ मामलों में पकड़ी गई घड़ियां पूर्णतः जब्त कर ली गईं इनमें से ११४ मामलों में व्यक्तिगत जुर्माना भी किया गया और २५ मामलों में अभियोग चलाये गये हैं।

(२) केवल पांच मामलों में व्यक्तिगत जुर्माना किया गया ।

(३) १९३ मामलों में पकड़ी गई घड़ियां जब्ती के बदले में सीमा शुल्क और जुर्माना अदा करने पर घड़ियां छोड़ दी गईं ।

(४) ११४ मामले अभी अनिर्णीत* हैं; और

(५) १०९ मामलों में घड़ियां छोड़ दी गईं ।*

*इनमें सेन्ट्रल एक्साइज कलक्टर, हैदराबाद के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि वह तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

लौह अयस्क

†२१०. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :** क्या **इस्पात, खान तथा ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाली और राजहरा में लौह अयस्क खानों के यन्त्रीकरण की दिशा में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन खानों में श्रम के स्थान पर यन्त्रीकरण कब तक होने की आशा है;

(ग) इस यन्त्रीकरण के फलस्वरूप कितने श्रमिक बेकार हो जायेंगे; और

(घ) इन श्रमिकों को अन्य काम देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) और (ख). राजहरा खान का यन्त्रीकरण हो रहा है और वर्तमान में निर्धारित उत्पाद का ४० प्रतिशत पहुंच चुका है । राजहरा में इस परिवर्तन के लिये निर्धारित अवधि जनवरी, १९६२ है । डाली खानों के यंत्रीकरण के सम्बन्ध में अभी केवल प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ किया गया है ।

(ग) लगभग १०,००० श्रमिक (इनमें से केवल १३७५ श्रमिक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा सीधे नियोजित हैं शेष ठेकेदारों के अधीन काम करते हैं) इनमें से कुछ प्रारम्भिक एवं राजहरा के विस्तार कार्य में नियोजित कर लिये जायेंगे ।

(घ) अन्य काम ढूंढने की दिशा में छंटनी शुदा श्रमिकों को सहायता दी जायेगी । उन्हें यह परामर्श है कि स्थानीय काम दिलाऊ दफ्तर में नाम दर्ज करा दें जो उन्हें अन्यत्र काम प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, अन्य अधीनस्थ परियोजनाओं और संस्थाओं को उन व्यक्तियों के बारे में सूचना देगा जिनकी छंटनी की सम्भावना है ताकि जहां तक सम्भव है बाहर से सीधे भरती न होने पाये । इस विषय पर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय भी विचार करेगा । सब सम्बन्धित व्यक्ति प्रारम्भ से यह बात जानते थे कि यन्त्रीकरण द्वारा खानों में पूर्ण उत्पादन की अवस्था पहुंचने तक श्रमिकों की सहायता से खनन कार्य इस्पात कारखानों को लौह अयस्क पहुंचाने के लिये अस्थायी रूप में किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये ब्रिटिश ऋण

†२११. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिये भारतीय फर्मों को ब्रिटेन से ऋण प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों के नाम और ऋण की रकम कितनी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) जी, नहीं। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार को उपलब्ध विदेशी मुद्रा का कुछ भाग गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के प्रयोग के लिये नकदी के पेटे निर्धारित किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

भारतीय मंत्रियों के विदेशों के दौरों के लिये विदेशी मुद्रा

†२१२. **श्री पुन्नूस :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने सितम्बर और अक्तूबर, १९६१ में किन किन देशों का दौरा किया ;

(ख) प्रत्येक देश में वे कितने समय तक ठहरे; और

(ग) इस यात्रा में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) से (ग). जानकारी निम्न प्रकार है :

देश का नाम जिसका दौरा किया गया	ठहरने की अवधि	दी गयी विदेशी मुद्रा की राशि
घाना	३ दिन (१२–१६ सितम्बर, १९६१)	टिप देने के लिये ६ पौण्ड के अतिरिक्त कुछ नहीं।
आस्ट्रिया	६ दिन (१६–२१ सितम्बर, १९६१)	शून्य
हंगरी	३ दिन (२२–२४ सितम्बर, १९६१)	शून्य
अमरीका	१२ दिन (२५ सितम्बर से ६ अक्तूबर, १९६१)	शून्य

दिल्ली के लिये विधान-मंडल

†२१३. **श्री न० म० देव :**
श्री बलराज मधोक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की दिल्ली विधान-मंडल पुनः स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** जी, नहीं।

†मूल अंग्रेजी में

सड़क के रास्ते कोयले का परिवहन

†२१४. **श्री न० म०देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जामादोवा कोयला-खान से नियमित रूप से कोयले के संभरण की कमी के कारण टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी पर असर पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोयले के सड़क के रास्ते परिवहन की व्यवस्था की है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जमशेदपुर स्थित इस्पात संयंत्र जामादोवा और वेस्ट बोकारो कोयला धोने के कारखानों से धुला हुआ कोयला प्राप्त करता है और कुछ कोयला खानों से बगैर धुला कोयला भी लेता है। ६ सितम्बर, १९६१ को जामादोबा धुलाई संयंत्र में एक दुर्घटना के फलस्वरूप धुले हुए कोयले के संभरण में कमी हो गयी थी जो कुछ कोयला खानों से कच्चे कोयले के संभरण में उतनी ही वृद्धि करके पूरी कर दी गयी थी। इस प्रकार इस्पात संयंत्र की समूची आवश्यकता पूरी कर दी गयी थी। इस इस्पात संयंत्र को सड़क के रास्ते कोयला भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महाराष्ट्र में बेसिक शिक्षा

†२१५. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में बेसिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये महाराष्ट्र सरकार को कुल कितना आवंटन किया गया है ; और

(ख) वर्ष १९६१–६२ में अब तक कितनी धनराशि दी गयी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) महाराष्ट्र सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में इस कार्य के लिये १७४·९९ लाख रुपये की व्यवस्था की है।

(ख) राज्यों को केन्द्रीय अनुदान योजनावार नहीं दिया जाता परन्तु समूची 'शिक्षा' के लिये दिया जाता है और इसलिये केवल बेसिक शिक्षा के लिये केन्द्रीय सहायता के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

कोल्हापुर में विश्वविद्यालय

†२१६. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कोल्हापुर में एक रेज़िडेन्शल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की महाराष्ट्र सरकार की प्रस्थापना को स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं। यह प्रस्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। सामान्यतः न तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और न भारत सरकार ही राज्यों द्वारा नये विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये अनुदान मंजूर करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में शारीरिक विकास संगठनों को सहायता

†२१७. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में अब तक संघ सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले महाराष्ट्र राज्य में शारीरिक विकास संगठनों की क्या संख्या व नाम हैं और उनमें प्रत्येक को कितनी राशि दी गयी है ; और

(ख) वित्तीय सहायता के लिये आवेदन करने वाले उन संगठनों के क्या नाम हैं जिन्हें उस अवधि में सहायता नहीं दी गयी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १ ।

कैवलयधाम श्रीमान माधव योग मन्दिर समिति लोनावला (पूना)––२०,४९४ रुपये ।

(ख) कोई नहीं ।

पुनर्वल्लन मिलें (रीरोलिंग मिल्स)

†२१८. **श्री विद्यावरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता क्षेत्र में भी कच्चे माल की कमी के कारण कुछ छोटे पैमाने के पुनर्वल्लन कारखाने (रीरोलिंग मिल्स) बन्द हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित कच्चे माल के संभरण की व्यवस्था करके उपरोक्त उद्योग की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठायेगी ?

†**इस्पात,खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**:(क) और (ख). सरकार को किसी विशिष्ट मामले का पता नहीं लगा है । छोटे पैमाने की पुनर्वल्लन मिलों को केवल इस शर्त पर ही अनुमति दी गयी है कि ये कारखाने स्थानीय रद्दी का इस्तेमाल करेंगे । तदनुसार, वे नियंत्रित संसाधनों से बिलेटों अथवा रद्दी के आवंटन के पात्र नहीं हैं ।

सिक्कों का गलाया जाना

†२१९. **श्री चुनी लाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कुछ सिक्के जैसे एक नया पैसा, दो नया पैसे आदि स्थानीय सुनारों द्वारा धातु के रूप में इस्तेमाल करने के लिये गलाये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस तरीके को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :(क) और (ख). सरकार ने कुछ जनता द्वारा एक नये पैसे के और दो नये पैसे के सिक्के, उनको धातु के ख्याल से, गलाये जाने के बारे में कुछ रिपोर्टें देखी हैं । कानून के अधीन, सिक्के गलाना और उनको धातु को बेचना या इस्तेमाल करना अपराध नहीं है और इसलिये ऐसे आरोपों के बारे में कोई मामला दर्ज करना अथवा कोई जांच करना पुलिस के लिये संभव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

झरिया कोयला खानों में आग

†२२०. **श्री चुनी लाल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झरिया कोयला खानों को आग लगने से पर्याप्त क्षति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षति हुई है ; और

(ग) क्या अब वहां स्थिति सामान्य हो गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) से (ग). झरिया क्षेत्र में कितनी ही ऐसी कोयला खानें हैं जहां पहले गैर-वैज्ञानिक तरीके से काम होता था । इस कारण, कोयले के खम्भे, जो अधिक मोटे नहीं हैं, टूट जाते हैं और प्राकृतिक दाह के फलस्वरूप आग लग जाती है । इन अग्निकांडों में से अधिकांश २०–३० वर्ष पूर्व आरम्भ हुए । इस आग को फैलने से रोकने के लिये कोयला बोर्ड और कोयला खानों के मालिकों द्वारा सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे हैं । कोयला खान मालिकों को बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

झरिया कोयला खानों में कई आग लगी हैं और अग्नि-पीड़ित क्षेत्रों में कोयले के भंडार का पता लगाना अथवा आग से हुई क्षति का अनुमान लगाना आसानी से संभव नहीं है । तथापि, कोयला बोर्ड आग को नये क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिये और इसको खाईयां खोद कर, धरातल को मजबूत बना कर, पानी को तेजी से बहा कर, खानों को पानी से भर कर, फायर स्टोपिंग्स बना कर और पैकिंग्स के द्वारा इसको रोक कर आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय कर रहे हैं ।

रूसी तेल का आयात

†२२१. **श्री चुनी लाल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितना रूसी तेल प्राप्त हुआ है ;

(ख) यह किन स्थानों पर बेचा जा रहा है ; और

(ग) इसके विक्रय मूल्य की देश में उपलब्ध तेल के विक्रय मूल्य से क्या तुलना है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) अगस्त, १९६० से ३१ अक्तूबर, १९६१ तक इन्डियन आयल कम्पनी द्वारा आयात किये गये रूसी तेल की मात्रा निम्न प्रकार है :

हाई स्पीड डीज़ल	४५,८२८ मीटरिक टन
बढ़िया मिट्टी का तेल	१,०६,६३५ मीटरिक टन
कुल	१,५२,४६३ मीटरिक टन

(ख) यह आसाम, पश्चिम बंगाल और मैसूर राज्यों को छोड़ कर देश भर में बेचा जा रहा है । पश्चिम बंगाल, आसाम और मैसूर राज्यों को संभरण क्रमशः कलकत्ता और मद्रास पत्तनों के जरिये किया जाता है और अभी तक इन स्थानों पर कम्पनी का कोई भंडार नहीं है ।

(ग) इसका विक्रय मूल्य प्रत्येक मामले में वाणिज्यिक बातों के आधार पर गैर-सरकारी तेल कम्पनियों के विक्रय मूल्य के बराबर भी हो सकता है और कुछ सस्ता भी ।

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा सेवाओं में नर्सों की कमी

†२२२. **श्री चुनी लाल:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सेवाओं में नर्सों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया):** (क) जी, हां :

(ख) उठाये गये कदम निम्न प्रकार हैं :—

(१) चुनी गयीं रजिस्टर्ड महिला नर्सों को कमीशन दिया जाना ।

(२) १७–२९ आयु-वर्ग में कम से कम मैट्रीकुलेशन परीक्षा वाली चुनी गयी लड़कियों को प्रशिक्षण की सुविधायें दी गयी हैं । उनको भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा मान्यता-प्रदत्त 'डिप्लोमा' दिये जाते हैं और ३ वर्ष का सफल प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सेना नर्सिंग सेवा में नियमित कमीशन दिया जाता है । अभी हाल तक देश में केवल तीन सैनिक अस्पतालों में यह प्रशिक्षण दिया जा रहा था । अब हमने सशस्त्र बलों में अपेक्षित अधिक संख्या में नर्सों को प्रशिक्षित करने के लिये जालंधर में भी एक नया प्रशिक्षण केन्द्र खोला है । उनके प्रशिक्षण के दौरान इन नर्स शिशुक्षुओं को ३०–५–४० रुपये की दर से निःशुल्क भोजन, नौकर, सज्जित आवास, ईंधन और बिजली, लांड्री और कन्जरवेन्सी सेवाओं के अतिरिक्त अधिछात्रवृत्ति दी जाती है ।

(३) सेना में नर्सिंग का ' के लिये उपयुक्त अभ्यर्थियों को आकर्षित करने के लिये पत्रिकाओं और पर्चों द्वारा, जिनमें वेतन स्तर, सेवा की शर्तें आदि दिये हुए होते हैं, व्यापक रूप से प्रचार किया जाता है ।

निजी थैलियां

†२२४. **श्री नामी रेड्डी:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजाओं वाले राज्यों के भूतपूर्व महाराजाओं को प्रति वर्ष अब तक निजी थैलियों के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गयी ; और

(ख) प्रति वर्ष ५ लाख, १० लाख और १५ लाख और इससे अधिक पाने वालों की क्या संख्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २३]**

सशस्त्र सेना मुख्यालयों का प्रतिरक्षा मंत्रालय के साथ मिलाया जाना

†२२५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त:**
श्री स० मो० बनर्जी:

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६९ के उत्तर के सम्बन्ध

†मूल अंग्रेजी में

में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय के तथा नई दिल्ली में सशस्त्र सेनाओं के मख्यालयों के कर्मचारियों को मिलाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया):** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इस प्रस्ताव पर कई दृष्टिकोणों से विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली में विज्ञान संग्रहालय

†२२६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा:

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विज्ञान संग्रहालय के लिये स्थान का आवंटन कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो संग्रहालय स्थापित करने में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पेट्रो-केमिकल्स का निर्माण

†२२७. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में पेट्रो-केमिकल्स के निर्माण के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) जी, नहीं । मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गोआ से भारतीय आकाश-सीमा का अतिक्रमण

†२२८. **श्री प्र० गं० देव:**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:
श्री दी० चं० शर्मा:

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३० अगस्त, १९६१ के बाद से गोआ से भारतीय प्रदेश की आकाश-सीमा का कोई अतिक्रमण हुआ है; और

---

†*मूल अंग्रजी में*

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया):** (क) जी, हां।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिकृत लेखापालों की नियुक्ति

†२२९. **श्री गोरे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिकृत लेखापाल नियुक्त करने और उनको वित्तीय मंत्रणा, व्यय और प्रशासन के मामलों का निरीक्षण करने, अन्तरिम लेखा-परीक्षण और लेखा संकलन का कार्य सौंपने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि जिस प्रकार का प्रशिक्षण ये शासप्राप्त लेखापाल प्राप्त करते हैं, उससे वे सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण के योग्य नहीं हो जाते; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर, शासप्राप्त लेखापाल नियुक्त करते समय और भारतीय लेखा-परीक्षा विभाग के लेखा-परीक्षा और लेखा संगठन में प्रशिक्षित व्यक्तियों को सेवा से हटाते समय, ध्यान दिया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भारतीय लेखा-परीक्षा विभाग और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के पदाधिकारी ही नियुक्त किये जाते हैं।

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता

†२३०. **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री बलराज मधोक:

क्या **वित्त मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में काम करने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जिनका मूल वेतन २५० रुपये प्रति माह होता है, अपना मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिए मकान किराये की रसीद पेश करनी पड़ती है;

(ख) क्या यह सच है कि महंगाई भत्ता वेतन में मिला देने की वेतन आयोग की सिफारिश के बाद यह २५० रुपये की सीमा बढ़ा नहीं दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि २५० रुपये की सीमा पार करने के बाद किराये की रसीद न देने पर कम से कम २० रुपये मकान किराया भत्ता दिया जाता है; और

(ङ) क्या यह न्यूनतम सीमा बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) दिल्ली में (दूसरे 'ए' और 'बी' वर्ग के शहरों की तरह) २५० रुपये प्रति माह तक का वेतन (जिसमें ऐसी उपलब्धियां जो वेतन के अन्तर्गत अर्थात् विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन, महंगाई वेतन, आदि आती हैं, शामिल हैं) पाने वालों को मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिए साधारणतया किराये की रसीद नहीं देनी पड़ती।

(ख) जी हां, लेकिन उपर्युक्त (क) में उल्लिखित जैसी रियायत २५१—४९९ रुपये के बीच 'वेतन' पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को दी गयी है, जो 'ए' वर्ग के शहरों में २० रुपया प्रति माह तथा 'बी' वर्ग के शहरों में १५ रुपया प्रति माह की समान दर से मकान किराया भत्ता लेते हैं। यदि ऐसे सरकारी कर्मचारी 'ए' वर्ग के शहरों में २० रुपये प्रति माह या 'बी' वर्ग के शहरों में १५ रुपये प्रति माह से अधिक, निर्धारित दरों पर किराया भत्ता मांगते हैं तभी केवल कुछ अतिरिक्त शर्तें लागू की जाती हैं जिन में और बातों के साथ साथ, जांच के लिए किराये की रसीद पेश करना भी शामिल है।

(ग) वेतन सीमा बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा जाता क्योंकि पहले के आदेशों के अधीन २५० रुपये प्रति माह तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को देय मकान किराये भत्ते की रकम उनका वेतन बढ़ाने के बाद कम नहीं की गयी है। देखिये प्रश्न भाग 'ख' का उत्तर।

(घ) जी हां, ४९९ रुपये की 'वेतन' सीमा तक, लेकिन इस शर्त के अधीन कि सरकारी कर्मचारी किराये पर कुछ खर्च करे।

(ङ) अभी ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है।

आण्विक औषधि संस्था

†२३१. **श्री अमजद अली :**
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्रीमती मैमूना सुल्तान:

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ सितम्बर, १९६१ को दिल्ली में आण्विक औषधि तथा तत्संबंधी विज्ञान संस्था का शिलान्यास किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो यह संस्था दिल्ली में, जो देश की दोनों आण्विक परियोजनाओं से काफी दूर हैं, स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) जी, हां।

(ख) यह संस्था इस कारण दिल्ली में बनायी जा रही है कि दिल्ली तथा उत्तरी भारत के गॉयट्रस बेल्ट में थिरॉयड ग्लैन्ड की गड़बड़ियां जिनके लिए आइसोटोप्स के साथ अनुसन्धान करने की आवश्यकता और रेडिया आइसोटोप के जरिये जिन्हें ठीक करने की जरूरत है, अधिकता से पायी जाती हैं। यह केवल रेडियेशन सेल का विस्तार है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में आइसोटोप्स के अनुसन्धान के लिए प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशाला में १९५६ में स्थापित किया गया था। दिल्ली में यह संस्था स्थापित करने के मुख्य कारणों में यह भी एक था कि वहां निम्नलिखित सुविधाए उपलब्ध होती हैं :—

(१) ३००० क्यूरी कोबाल्ट–६० की उपलब्धि, सफदरजंग अस्पताल में;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) विश्वविद्यालय क्षेत्र तथा प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के पास पर्याप्त सेना भूमि;

(३) भारतीय कृषि अनुसन्धान शाला, पूसा, नयी दिल्ली के गामा गार्डन में चिकित्सकों के प्रशिक्षण तथा उद्योग और कृषि पर रेडियेशन के चिकित्सा विषयक नियंत्रण सम्बन्धी सुविधाए;

(४) प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशाला तथा दिल्ली विश्वविद्यालय का नज़दीक होना, जहां भारत में पहली बार १९६२ के मध्य से स्नातकोत्तर आण्विक चिकित्सा पाठ्यक्रम चालू किया जा रहा है ।

उड़ीसा में खनन पट्टे

†२३२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) जून, १९६१ से विभिन्न अयस्कों के लिए उड़ीसा में कितने खनन पट्टे दिये गये; और

(ख) किन किन पार्टियों को ये खनन पट्टे दिये गये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) १७ खनन पट्टे ।

(ख) १. मेसर्स जयपुर शुगर कम्पनी

२. श्री एस० लाल (दो लाइसेंस)

३. श्रीमती एल० पी० देवी

४. श्री एल० एन० अग्रवाल (दो लाइसेंस)

५. मेसर्स उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड (दो लाइसेंस)

६. मेसर्स नन्दराम हुनम राम

७. श्री एन० एल० जैन

८. मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

९. श्री जुगल किशोर शॉ

१०. श्री बिमल कान्ति घोष

११. श्री कालन्दी छ० प्रस्नी

१२. श्री नरेन्द्र किशोर दास

१३. श्री चित्तरंजन पाणि

१४. मेसर्स उड़ीसा जनरल एजेन्सी

'मैसर्स कलिंग ट्यूब्स'

†२३३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में मैसर्स कलिंग ट्यूब्स को कोई ठेका दिया गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इन वर्षों में इस फर्म को कितने मूल्य का ठेका दिया गया; और

(ग) क्या ये सभी ठेके पूरे हो चुके हैं ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया): (क) से (ग). १५ मार्च, १९६१ से १४ मार्च, १९६२ की अवधि में गैल्वनाइज्ड माइल्ड स्टील ट्यूब्स की सप्लाई के लिए संभरण तथा निबटान महानिदेशक ने, 'मेसर्स कलिंग ट्यूब्स' के साथ एक ठेका किया था। इस ठेके में दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी कमान के मुख्य इंजीनियरों को प्रत्यक्ष मांग अधिकारियों (डायरेक्ट डिमांडिंग आफिसर्स) के तौर पर रखा गया है इसे ठेके या अपनी वित्तीय शक्तियों के अधीन उनके द्वारा किये गये किन्हीं दूसरे ठेकों के अन्तर्गत उन्होंने उस फर्म को यदि सीधे कोई आर्डर दिये हों तो उस बारे में जानकारी मांगी गयी है और वह यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी।

संभरण तथा निबटान महानिदेशक ने प्रतिरक्षा सेवाओं की ओर से १९५९-६० तथा १९६०-६१ में इस फर्म को कोई आदेश नहीं दिया था।

दिल्ली के स्कूलों में पाठ्य-पुस्तकें

२३४ श्री खुशवक्त राय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बार दिल्ली शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित अंग्रेजी और हिन्दी की पाठ्य-पुस्तकों के बारे में काफी असन्तोष फैला हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन पाठ्य-पुस्तकों के बारे में असन्तोष इस कारण से है कि उनकी शैली दोषपूर्ण है, भाषा जटिल है और कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस प्रकार दिये गये हैं जो कि असत्य तथा भ्रांतिजनक हैं;

(ग) इन पुस्तकों को हटाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि ये पुस्तकें टेक्स्ट बुक कमेटी की सिफारिश पर ही स्वीकार की गई थीं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) सरकार के पास विभिन्न विषयों के लिए अनुपयुक्त पाठ्य-पुस्तकें चुनने के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें आई हैं।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में जांच की जा रही हैं।

(घ) जी, हां।

छावनी अधिनियम का संशोधन

२३५. { श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री ४ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी अधिनियम के संशोधनों के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त अधिनियम को संशोधित करने वाला विधेयक संसद् के समक्ष कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) कुछ शेष रह गये संशोधनों का निरीक्षण हो रहा है, और आशा है, वह शीघ्र ही सम्पूर्ण हो जायेगा।

(ख) प्रस्तावित संशोधनों के महत्वपूर्ण और उलझनों से पूर्ण होने के कारण, और उन में अद्यतन नगरपालिका सम्बन्धी नियमों की समानता लाने के विचार से, उनका गहरा अध्ययन और निरीक्षण आवश्यक था। प्रतिरक्षा मंत्रालय में जभी यह सम्पूर्ण हुआ, स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालयों से परामर्श किया जायेगा। अभी यह बताना सम्भव नहीं कि यह सारा काम कब तक सम्पूर्ण हो पायेगा और इसलिए यह अभी नहीं कहा जा सकता, कि संशोधक विधेयक कब संसद् में पेश किया जायेगा।

केन्द्रीय आयुध डीपो (सी० ओ० डी०), छिऊकी

†२३६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री २५ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४०४ के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय आयुध डिपो (इलाहाबाद) में भंडार की स्थानीय खरीद में अनियमितताओं के बारे विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा जांच में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : भूतपूर्व कमांडेण्ट, केन्द्रीय आयुध डीपो, छिऊकी (इलाहाबाद) तथा कुछ अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने जो मामले दायर किये थे वे अभी भी लखनऊ के स्पेशल जज की अदालत में विचाराधीन हैं।

विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन

†२३७. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रख्यापन निदेशालय (डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेन्ट) ने कानपुर के एक उद्योगपति को विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के लिए करीब ६००० रुपये का जुर्माना किया था;

(ख) यदि हां, तो उस उद्योगपति का नाम क्या है;

(ग) उसके विरुद्ध कौन कौन से खास खास अभियोग हैं;

(घ) क्या उसने कोई अपील की है;

(ङ) क्या अपील का फैसला हो गया है; और

(च) उसके अपील के क्या आधार हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :(क) से (च). प्रख्यापन निदेशालय ने कानपुर के किसी भी उद्योगपति पर ६००० रुपये का जुर्माना नहीं किया है।

फिर भी, १९५९ में प्रख्यापन निदेशालय ने कानपुर के श्री राम रतन गुप्त द्वारा विदेशी मुद्रा नियम उल्लंघन के एक मामले में फैसला दिया था जिस में विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, १९४७ की धारा ४(१) और ४(३) के उपबन्धों के उल्लंघन केलिए २,५०० रुपये का जुर्माना किया गया था। उस व्यक्ति ने न्यायनिर्णय आदेश के विदेशी मुद्रा विनियम अपीलीय बोड को अपील की थी जिसमें विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की धारा ४(१) की व्याख्या के सम्बन्ध में विधि का प्रश्न उठाया गया था। उसने आगे यह भी प्रार्थना की है कि चूंकि उनके द्वारा उठाया गया प्रश्न एक दूसरे मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उसको अपील का फैसला उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय के बाद किया जाये। इसलिए अपीलीय बोर्ड ने वह मामला अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योगपति के विरुद्ध डिगरी

†२३८. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पुन्नूस :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर के एक उद्योगपति के विरुद्ध, जो एम्पायर लाइफ इन्शोरेन्स, बम्बई का अध्यक्ष है, बम्बई की एक अदालत ने जीवन बीमा निगम के पक्ष में डिगरी पास कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच डिगरी कार्यान्वित कर दी गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उस उद्योगपति का नाम क्या है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). बम्बई न्यायालय द्वारा जारी की गयी डिगरी कार्यान्वित करने के लिए अर्जी जिला न्यायाधीश, कानपुर की अदालत में २७ सितम्बर, १९६१ को पेश की गयी थी । न्यायालय ने श्री राम रतन गुप्त की २४ संपत्तियां कुर्क करने तथा उसे यह आदेश देने के लिए कि वह उन संपत्तियों पर कोई ऋण नहीं ले सकता या उनका कोई निबटारा नहीं कर सकता कानपुर के एक एड-वोकेट श्री जी० एस० निगम को आयुक्त नियुक्त किया था । उस आयुक्त ने १३ अक्तूबर, १९६१ को न्यायालय को यह सूचना दी कि उस ने ऋणी की २४ संपत्तियां कुर्क कर ली हैं, लेकिन वह उसे व्यक्तिगत रूप से निषेधाज्ञा नहीं दे सके क्योंकि वह भारत से बाहर था ।

(घ) श्री राम रतन गुप्त ।

वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

†२३९. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दो० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेतन आयोग की कुछ सिफारिशों को, जिन्हें सरकार ने मंजूर कर लिया है, कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है; और

(ख) कितनी सिफारिशों पर इस बीच आदेश जारी किये जा चुके हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). रेलवे को छोड़ कर दूसरे विभागों में औद्योगिक कर्मचारियों के छुट्टी के अधिकार, आकस्मिक छुट्टी सहित के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशों पर आदेश जारी किये जा चुके हैं । [३०-८-१९६१/८ भाद्र, १८८३ (शक), के तारांकित प्रश्न संख्या १०५० के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण का मद संख्या ६ और ७।]

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा संस्थानों में औद्योगिक कर्मचारियों को छुट्टी

†२४०. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा संस्थापनों में औद्योगिक कर्मचारियों को छुट्टी देने के बारे में वेतन आयोग की सिफारिश अभी तक कार्यान्वित नहीं की गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो असाधारण विलम्ब का क्या कारण है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**:(क) और (ख). दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों ने अनुसरण में, अस्पताल तथा अध्ययन छुट्टी दिये जाने के लिए आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं। औद्योगिक कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर आधे वेतन पर छट्टी पूरे वेतन पर बीमारी की छुट्टी, असाधारण छट्टी' प्रसूति-छुट्टी तथा आकस्मिक छुट्टी के सम्बन्ध में असैनिक विभागों के लिए आदेश जारी किये जा चुके हैं और प्रतिरक्षा विभागों के लिये उन्हें लागू करने का काम चल रहा है।

संगीत नाटक अकादमी

†२४१. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ३० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी के कुछ उत्तरदायी सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया है;

(ख) क्या अकादमी के सचिव पर भी मुकदमा चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो निश्चित अभियोग क्या क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**:(क) और (ख). संगीत नाटक अकादमी के किसी सदस्य इसका सम्बन्ध नहीं है। लेकिन अकादमी के कुछ कर्मचारियों पर जिन में भूतपूर्वसचिव भी है, मुकदमा चलाया गया है :

(ग) अकादमी के धन का दुरुपयोग और हिसाब किताब में जालसाजी।

आसाम में उपद्रव

†२४२. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में जुलाई, १९६० के उपद्रवों में आसाम राज्य के कुछ पदाधिकारियों द्वारा अपना कर्तव्य पालन न करने के लिए आसाम सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में भारत सरकार ने उससे कोई जानकारी मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो प्राप्त जानकारी का, यदि कोई हो तो, ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी हां।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) २५ पदाधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई थी जिनमें से २३ को मुअत्तल कर दिया गया था। २५ पदाधिकारियों में से ४ को इस बीच दोषमुक्त कर दिया गया है जब कि दो अफसरों के खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है और इनमें से एक को चेतावनी दी गयी है। ८ अफसरों को विभिन्न प्रकार की सजाएं दी गयी हैं जैसे काला चिह्न (ब्लैक मार्क) बढ़ोतरी रोकना, निचली श्रेणी में भेजना और नौकरी से बर्खास्त कर देना। ११ पदाधिकारियों के विरुद्ध अभी भी विभागीय कार्यवाही चल रही है। इन में से ५ मामलों में जांच पदाधिकारी की रिपोर्टें राज्य सरकार को मिल चुकी हैं और उन पर विचार हो रहा है। इसके अलावा, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा दारंग जिले के बारे में पेश की गयी रिपोर्ट के आधार पर, एक पदाधि कारी को चेतावनी दी गयी है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मंत्रणा परिषद् की बैठक

†२४३. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधारमण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मंत्रणा परिषद् की पांचवीं बैठक में किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई ;

(ख) क्या क्या सिफारिशें की गयी हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उन सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मंत्रणा परिषद् की पांचवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश की प्रतियां शीघ्र ही संसद्-पुस्तकालय में रख दी जायेंगी।

(ग) और (घ). सरकार सिफारिशों पर विचार कर रही है।

ईसाई धर्म के प्रचार के लिये विदेशी सहायता

२४४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक साल में ईसाई धर्म के प्रचार के लिये विदेशों से कितना धन भारत में आया ;

(ख) इसमें किस-किस देश का कितना-कितना धन था ;

(ग) ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली संस्थाओं को धन के अतिरिक्त भी क्या कुछ अन्य सामग्री विदेशों से प्राप्त होती है ;

(घ) यदि हां, तो वह क्या और किस रूप में ; और

(ङ) यह सब धन और सामग्री विशुद्ध रूप से ईसाई धर्म के प्रचार में ही व्यय होती है, क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). प्राप्त सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या २४]

(ग) और (घ). भारत में कार्य कर रही विदेशी धर्म प्रचार संस्थायें धर्मार्थ व लोकोपकारी उद्देश्यों के लिये विदेशों से उपहार स्वीकार करती हैं। इन उपहारों पर आयात और विनिमय नियंत्रण के सामान्य नियम लागू होते हैं।

(ङ) जी नहीं।

लक्कादीव द्वीप समूह का विकास

†२४५. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्का दीव द्वीप समूह के विकास के लिये लगभग ७३ लाख रुपये के दूसरी पंच वर्षीय योजना के उपबन्ध का योजना अवधि में पूर्णरूपेण उपयोग किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो कितनी कमी रही है ;

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) यह कमी किस प्रकार पूरी की जाएगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी नहीं।

(ख) ३३,५६,०८५ रुपये।

(ग) और (घ). इस द्वीप समूह का योजना बद्ध विकास १ नवम्बर, १९५६ को इनका संघ राज्य क्षेत्र बन जाने के पश्चात् आरम्भ हुआ। दूसरी योजना की तैयारी और अनुमोदन, जो वास्तव में इन द्वीपों की पहली पंचवर्षीय योजना थी, १९५७--५८ के मध्य में पूरा हुआ। अतः योजनाओं की कार्यान्विति के लिये केवल साढ़े तीन वर्ष का समय बचा शेष रहा। योग्य संचार, प्रशिक्षित कर्मचारियों, पी० डब्ल्यु० डी० के कर्मचारियों की कमी तथा विदेशी मुद्रा की कमी के कारण काम में कमी हुई। दक्षिण-पश्चिमी मौनसून पवनें वर्षा इन द्वीपों को मई से सितम्बर तक वर्ष में पांच महीनों से अधिक समय के लिये देश से अलग कर देती हैं। अच्छे मौसम में भी संचार सरल नहीं होता। इसलिये योजना का पूरा काम वर्ष के शेष सात महीनों में ही किया जा सकता है।

धीरे धीरे कठिनाइयां दूर की जा रही हैं और आशा की जाती है कि तीसरी योजना में प्रगति संतोषजनक होगी।

मतदान केन्द्रों की स्थापना

†२४६. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य निर्वाचनों के समय गांवों और शहरों में किस आधार पर मतदान केन्द्र स्थापित किये जाते हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार उन मतादान केन्द्रों पर जहां पर्दानशीन हिन्दू अथवा मुसलमान औरत होंगी, आवश्यक प्रमुख पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के स्थान पर महिला कर्मचारियों को रखेगी ?

†विधि उपमंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) मतदान केन्द्र स्थापित करते समय, साधारणतया निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन किया जाता है :—

(१) कोई भी मतदान केन्द्र १००० से अधिक मतदाताओं के लिए नहीं रखा जाता।

(२) नगरीय क्षेत्र में अधिक से अधिक ४ और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक २ मतदान केन्द्र एक ही इमारत में रखे जाते हैं ताकि बहुत ज्यादा भीड़ और गड़बड़ी न हो तथा शान्ति बनाये रखने में सहुलियत हो।

(३) जहां नितान्त आवश्यक हो, मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग मतदान केन्द्र बनाये जाते हैं।

(४) साधारणतया एक मतदाता को मतदान केन्द्र तक पहुंचने के लिए लम्बा फासला नहीं चलना पड़ता।

(५) धार्मिक पूजास्थान में कोई मतदान केन्द्र नहीं बनाया जाता। जहां तक संभव हो मतदान केन्द्र स्कूलों, सरकारी इमारतों, विश्राम गृहों, इन्स्पेक्शन बंगलों आदि में रखे जाते हैं। जहां ऐसी इमारतें उपलब्ध नहीं होतीं, गैर-सरकारी इमारतें ले ली जाती हैं, नहीं तो तात्कालिक ढांचे खड़े किये जाते हैं।

(६) कोई भी मतदान केन्द्र किसी उम्मीदवार या उसके किसी समर्थक या किसी राजनैतिक दल के किसी सक्रिय या प्रमुख सदस्य की इमारत में नहीं रखा जाता।

(ख) जहां तक संभव हो केवल महिलाओं के लिए बनाये गये मतदान केन्द्रों में महिला प्रमुख तथा मतदान पदाधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता है।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

†२४७. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के संसदीय और विधान मंडलीय निर्वाचन क्षेत्र सीमित और परिसीमित कर दिये गये हैं। क्योंकि बम्बई पुनर्गठन अधिनियम की धारा १९ एवं दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समाप्ति) अधिनियम, १९६१ की धारा ६ के अन्तर्गत विधान सभा की २४ सीटें बढ़ गईं थीं। और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†विधि उपमंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) और (ख). बंबई पुनर्गठन अधिनियम १९६० की धारा १९ (१) के अन्तर्गत, गुजरात विधान सभा में कुल स्थान, आगामी निर्वाचनों तथा उस के बाद होने वाले निर्वाचनों के लिये १३२ से बढ़ कर १५४ हो जायेंगे। निर्वाचन आयोग ने पहली ही, दो-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र (समाप्ति) अधिनियम, १९६१ की धारा ६ द्वारा संशोधित रूप में बंबई पुनर्गठन अधिनियम की धारा १९ के अनुसार गुजरात राज्य के लिये एक सदस्यीय १५४ स्थान बना दिये हैं। इन कार्यों के लिये निर्वाचन आयोग ने दो सदस्यीय (समाप्ति) अधिनियम की धारा (४) (ग) तथा बंबई पुनर्गठन अधिनियम १९६० की धारा १९ (५) (ग) के अनुपालन में अधिसूचना संख्या एस० ओ० १८६०, दिनांक ४ अगस्त, १९६१ के द्वारा यह निदेश दिया है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

परिसमन आदेश में संशोधन कर दिया जाए । उक्त अधिसूचना ४ सितम्बर, १९६१ को सभा पटल पर रख दी गई थी ।

स्क्रैप का निर्यात

†२४८. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्क्रैप के निर्यात व्यापार पर प्रतिबन्ध व 'लेवी' लगाने का निर्णय किये जाने से पूर्व बम्बई के स्क्रैप एसोसिएशन से परामर्श किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया था और उसका क्या परिणाम हुआ है; और

(ग) यदि (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसका क्या कारण है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग). स्क्रैप के निर्यात की नीति सभी सम्बंधित बातों को ध्यान में रखने के बाद निर्धारित की गई थी । जिन में स्क्रैप ट्रेडर्स एसोसिएशन का दृष्टिकोण भी शामिल है । हां, उन से विशिष्ट रूप से परामर्श नहीं किया गया था । स्क्रैप की निर्यात पर कोई राजकोषीय शुल्क नहीं लगाया गया है ।

स्क्रैप की आवश्यकता

†२४९. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे संयंत्रों और उद्योगों में ढालने और अन्य उपभोगों के लिये सब प्रकार के टुकड़ों की कुल कितनी जरूरत है ;

(ख) निर्यात के लिये कितना टुकड़ा फालतू बचता है ; और

(ग) १९५७ से लेकर कुल कितना निर्यात हुआ है और कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) मुख्य उत्पातकों ने अपने टुकड़े को छोड़कर, ढालने के टुकड़े की अनुमानित आवश्यकता लगभग ४ लाख टन प्रति वर्ष हैं और पुनर्वेलन योग्य टुकड़े की आवश्यकता २ लाख टन वार्षिक के लगभग है ।

(ख) लगभग ३२०,००० टन ढालने वाला टुकड़ा वार्षिक ।

(ग) १९५७ से लेकर सब प्रकार के लोहे टुकड़े का निर्यात तथा उससे कमायी गई विदेशी मुद्रा के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

वर्ष	निर्यात किया गया मात्रा (टनों में)	मूल्य (रुपयों में)
१९५७ . .	९२,९४४	२४६२५१४५
१९५८ .	१०७५७५	१६३३०३६१
१९५९ .	२८०९११	४७०२४१५९
१९६० .	३३४६६८	५७९३९५४०
१९६१ (जून तक) .	२०७४९१	३८५९५३७३

†मूल अंग्रेजी में

इंगलैंड को बैंक दरें

†२५०. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **वित्त** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी योजना अवधि में इंगलैंड से भारत को मिलने वाले ऋणों पर इंगलैंड को दिये जाने वाले ब्याज की दर में संभावित वृद्धि का अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इस स्तर पर तीसरी योजना अवधि में इंगलैंड से भारत को प्राप्त होने वाले ऋणों की राशियों का हिसाब लगाना संभव नहीं है, और न ही यह संभव है कि उन ऋणों के निबंधन पहले से बताये जा सकें, अर्थात्, आया उन पर दिये जाने वाले ब्याज का दर ब्रिटेन की बैंक दर से सीधा संबंध होगा । यह भी पूर्व अनुमान लगाना कठिन है कि आगामी वर्षों में ब्रिटेन की बैंक दर क्या होगी ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

जाली डालर नोटों की छपाई

†२५१. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **वित्त** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई पुलिस ने जाली डालर नोटों के छापे जाने के बारे में अग्रतर जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि नहीं तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** (क) और (ख). जाली अमरीकी डालर नोटों को छापने के संबंध में अभी तक नौ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । पुलिस अग्रतर जांच कर रही है ।

यमुना नाव दुर्घटना संबंधी जांच

†२५२. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नाव दुर्घटना संबंधी जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

अफीम का पकड़ा जाना

†२५३. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ जून, १९६१ को बम्बई-आगरा सड़क पर देवास से इन्दौर को जाने वाली एक कार से २ लाख पये की लागत की ३½ मन अफीम और इन्दौर से लगभग ८ मील दूर राह गांव के पास बम्बई की ओर जाती हुई एक कार से लगभग १ मन २६ सेर अफीम पकड़ी गई ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). २७ मई १९६१ को सूचना प्राप्त हुई कि बी एम डब्ल्यू नंबर १७२२ वाली कार को देवास से परे देवास-इन्दौर सड़क पर किसी स्थान से निषिद्ध अफीम ले जाने के लिये उपयोग में लाया जाएगा । विशिष्ट स्थानों पर जांच करने की व्यवस्था कर दी गई । ३ जून को लगभग साढ़े ६ बजे प्रातः संदेह वाली कार रोक ली गई और उस की तलाशी ली गई । कार तथा अपराधी के मकान की तलाशी लेने पर ९७६० रुपये की ३ मन २ सेर निषिद्ध अफीम पकड़ी गई । मूल्य ८० रुपये प्रति सेर के निर्गमित मूल्य के आधार पर आंका गया था । अफीम जब्त कर ली गई और अपराधी नन्हें खान, पिता का नाम अब्दुल सलाम, इन्दौर; को गिरफ्तार कर लिया गया । अन्य अपराधी-हनीफ इन्दौर निवासी भाग गया है ।

दूसरे मामले में सूचना मिली कि एम पी बी नंबर १६५५ नंबर की कार में इंदौर के तस्करी व्यापारी २ जून, १९६१ को निषिद्ध अफीम लेकर जायेंगे । तुरन्त महत्व के स्थानों पर संदेह वाली कार को रोकने के लिये पुलिस तैनात कर दी गई । कार गाव राओ के पास रोक ली गई और तलाशी ली गई । कार की तलाशी लेने पर ८०) प्रति सेर के हिसाब से ५२९० रुपये की १ मन २६ सेर १० तोला अफीम पकड़ी गई । अफीम लकड़ी के दो बक्सों में बन्द थी और कार के सामान वाले भाग में छिपाई हुई थी । अफीम जब्त कर ली गई तथा अपराधी उस्मान गनी उर्फ फूल, जो मुहम्मद हुसैन का बेटा है, जगदीश उर्फ भगवानदास, जो कृष्णदास सिन्धी का लड़का है, और रज्जाक खां का बेटा नफ़ीज़ खां, सब इन्दौर निवासी गिरफ्तार कर लिये गये ।

रद्दी लोहा (स्क्रैप)

†२५४. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संख्या २, २क और ३ बंडल रद्दी लोहा (स्क्रैप) के लिये कोई देशी उपभोक्ता न होने के कारण इसका एक मात्र उपयोग यह है कि इसका निर्यात किया जाए ;

(ख) क्या स्क्रैप व्यापारियों ने बार बार यह शिकायत की है कि संख्या २, २क और ३ बंडलों के निर्यात पर, इस को बाहर भेजने पर निर्यात शुल्क लगा कर अनावश्यक तौर से रुकावट डाल दी गई है ;

(ग) क्या यह सही है कि निर्यात शुल्क उन्मूलन के लिये व्यापारियों की प्रार्थना के बावजूद, जुलाई,-दिसम्बर, १९६१ की स्क्रैप संबंधी नीति ने २,२क और ३ बंडलों के निर्यात पर निर्यात शुल्क दुगना कर के और रुकावट लगा दी है ; और

(घ) सरकार स्क्रैप निर्यातक को संख्या २, २क और ३ बन्डलों के प्रति १०० टन के जहाज भरने के लिये भारी ढलाई के टुकड़े के २० टन का निर्यात शुल्क देने के लिये बाध्य करना कैसे न्यायोचित समझती है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (घ) जिन किस्मों के स्क्रैप का देश में उपयोग नहीं किया जा सकता उन के निर्यात की अनुमति दी जाती है । देश में भारी मेल्टिंग स्क्रैप की की मांग है । इसलिये लोगों का यह विचार है कि निर्यातकों की संख्या २, २क और ३ किस्म की चादरों की कतरनों के प्रति १००

†मूल अंग्रेजी में

टन के निर्यात के लिये २० टन भारी ढालने का टुकड़ा भेजना चाहिये । टुकड़ा निर्यात का समूचा प्रश्न स्क्रैप जांच समिति के परीक्षणाधीन है ।

बिलट्स का उत्पादन

†२५५. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ से १९६० तथा १९६१ के पूर्वार्ध में, स्क्रैप पर आधारित भट्ठियों ने बिलट्स और कास्टिंग्स का कितना उत्पादन किया है ;

(ख) क्या स्क्रैप की कमी के कारण स्क्रैप पर आधारित इन भट्ठियों के उत्पादन पर हाल ही में बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या इन भट्ठियों के द्वारा बिलट्स का उत्पादन उन से संलग्न वेलन मिलों के लिये पर्याप्त है ;

(घ) यदि नहीं, तो १९५० से १९६० के दौरान स्क्रैप पर आधारित भट्ठियों से संलग्न वेलन मिलों को कितने टन बिलट्स दिये गये ; और

(ङ) क्या सरकार का इरादा इन स्क्रैप पर आधारित भट्ठियों को यह निदेश देने का है कि वे वेलन सामग्री की वर्तमान कमी की दृष्टि से बिलट्स बनाने के अपनी ढालने की संपूर्ण क्षमता का उपयोग करे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या २५]**

(ख) और (ग). जी, नहीं ।

(घ) बिजली भट्ठी मालिकों एवं पुनर्वेल्लन मिलों को १९५९ और १९६० में इस प्रकार बिलट्स का संभरण किया गया था :—

१९५९—१८० १५० टन

१९६०—१९९ ८५९ ,,

१९५९ से पहले के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ङ) जी नहीं, बिजली की ये भट्ठियां बिलट्स और स्टील कास्टिंगस दोनों तैयार करती हैं। उत्पादों के उत्पादन में मांग के अनुसार अन्तर होता है । स्टील कास्टिंगस का उत्पादन भी महत्वपूर्ण है ।

बुनियादी स्कूल

†२५६. **श्री बलराज मधोक :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति है कि सभी वर्तमान स्कूलों को बुनियादी स्कूल बना दिया जाय ;

(ख) दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में इस नीति को कार्यान्वित करने की दिशा में कितनी प्रगति की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस नीति की जनता में क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली नगरपालिका निगम ने ९० स्कूलों को बुनियादी ढंग पर लाया है और १२०० अध्यापकों को पुनर्ज्ञान प्रशिक्षण मिला है । नई दिल्ली नगरपालिका समिति तथा दिल्ली छावनी बोर्ड के अधीन २४ स्कूलों की पहली और दूसरी श्रेणियों को बदल कर बुनियादी बना दिया गया है ।

(ग) प्रतीत होता है कि अब परिवर्तन की सराहना की जा रही है, हालांकि प्रारम्भ में कुछ विरोध हुआ था ।

कोलार और हट्टी स्वर्ण खानें

†२५७. { **श्री बै० च० मलिक :**
श्री अगाड़ी :

क्या **वित्त** मंत्री ९ अगस्त १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४०६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोलार एवं हट्टी स्वर्ण खानों को लेने के लिये मैसूर सरकार के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

अंकलेश्वर तेल-क्षेत्र

†२५८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंकलेश्वर तेल क्षेत्र से तेल सीमान्त स्टेशन तक छ मील लंबी पाइप लाइन के उपयोग में विलम्ब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस कारण ; और

(ग) क्या इस उपयोग में जो रुकावट पैदा हो गई थी, वह दूर कर दी गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) तेल की पाइप लाइन पूरी नहीं की जा सकी क्योंकि कुछ भूस्वामी बातचीत के आधार पर भूमि छोड़ने के लिये रज़ामन्द नहीं थे ।

(ग) भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है ।

असम भाषा संबंधी शास्त्री फार्मूला

†२५९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम भाषा के संबंध में संघीय गृह-मंत्री के फार्मूले के क्रियान्वयन के संबंध में इस वर्ष सितम्बर में आसाम का एक प्रतिनिधि मण्डल उन से मिला था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमण्डल ने क्या बातें सामने रखी थीं; और

(ग) उस के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) आसाम साहित्य सभा की ओर से पांच व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मंडल १३ सितम्बर, १९६१ को गृह-कार्य मंत्री से मिला था ।

(ख) प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री को आसाम की सरकारी भाषा के प्रश्न के संबंध में सभा के दृष्टिकोण से अवगत कराया और इस बात पर जोर दिया कि संशोधित रूप में आसाम की सरकारी भाषा अधिनियम, १९६० के उपबन्ध ऐसे नहीं होने चाहिये जो आसामी भाषा का कछार जिले जिले में प्रशासकीय और अन्य शासकीय प्रयोजनों और राज्य के मुख्यालय तथा कछार जिले के बीच संचार के लिए प्रयोग निषिद्ध करें।

(ग) आसाम की भाषा के प्रश्न के संबंध में भारत सरकार का दृष्टिकोण गृह मंत्री के ६ जून, १९६१ के शिलांग में दिये गये वक्तव्य में विस्तार पूर्वक बता दिया गया था । जहां तक आसाम की सरकारी भाषा अधिनियम के संशोधन का संबंध है, भारत सरकार के विचार गृह-मंत्री द्वारा लोक सभा में १४ अगस्त, १९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या ४५२ का उत्तर देते हुए और ३०-८-१९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या १०६८ से उत्पन्न होने वाले अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए और वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव द्वारा, ८ सितम्बर, १९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या १३३४ के उत्तर में सूचित कर दिये गये थे ।

चाय पर उत्पादन शुल्क की वापिसी

†२६०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के व्यापार में विश्व व्यापी स्पर्धा को देखते हुये सरकार ने आयात की गई चाय पर लगाये गये उत्पादन शुल्क की पूर्ण अथवा आंशिक वापिसी के प्रश्न पर विचार किया है ताकि भारतीय चाय का मूल्य स्पर्धा की दृष्टि से कम किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का निर्णय क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). खुली हुई चाय पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है और इसकी वसूली कारखाने से निकासी के समय विभिन्न दरों पर, उस जोन के अनुसार जिसमें कोई कारखाना स्थित हो, की जाती है। इसके अतिरिक्त जब ऐसी चाय भारत के बाहर निर्यात की जाती है तब उस पर निर्यात कस्टम शुल्क लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त जब खुली चाय को पैकिटों में बन्द किया जाता है तब उस पर ४० नये पैसे प्रति किलोग्राम उत्पादन शुल्क लिया जाता है ।

समस्त निर्यात शुल्क का समायोजन इस प्रकार किया जाता है कि वह विभिन्न जोनों में उत्पादित चायों पर इस प्रकार लागू हो कि चाय विश्व बाजार में किस्म के अनुसार स्पर्धा कर सके । जहां तक पैकिट वाली चाय पर लगाये जाने वाले अग्रेतर उत्पादन शुल्क का संबंध है, वह उस निर्यात शुल्क के स्थान में होता है जो ऐसी चाय पर निर्यात किये जाते समय लगाया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार इन गतिविधियों से सम्पर्क बनाये हुये है और विभिन्न उत्पादन तथा कस्टम शुल्कों में परिवर्तन करती रही है ताकि विश्व बाजार में भारतीय चाय की व्यापारिक स्थिति कायम रहे।

दिल्ली में बस्तियां

†२६१. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें उल्लिखित बस्तियों में ऐसे प्लाटों, जिनमें अभी तक मकान नहीं बनाये गये हैं, की कुल संख्या का पता लगाने के संबंध में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इन बस्तियों में प्लाटों की बिक्री और पुर्नबिक्री जारी है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) जैसा कि १ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६९ के उत्तर में बताया गया था यदि संबंधित बस्तियों में मकानों का निर्माण १ जुलाई, १९६० से तीन वर्षों के अन्दर पूर्ण नहीं होगा तो अनिर्मित प्लाटों को अर्जित कर लिया जायेगा। बहुत सी बस्तियों का अभी विकास किया जाना है और इन बस्तियों के प्लाटों की संख्या पूर्ण विकास हो जाने पर ही ज्ञात होगी। अनिर्मित खाली प्लाटों के सर्वेक्षण का प्रश्न तीन वर्ष की अवधि के अन्त अर्थात् जुलाई, १९६३ में लिया जायेगा। इसलिये इस समय अनिर्मित प्लाटों के सर्वेक्षण का कोई प्रश्न नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) कानूनन इन बस्तियों में प्लाटों की बिक्री और पुनर्बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है। वे दिल्ली प्रशासन की १३ नवम्बर, १९५९ की भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ की धारा ४ के अन्तर्गत जारी की गई उस अधिसूचना के पर्यालोकन में सम्मिलित नहीं की गई थी जिसमें सरकार के दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिये लगभग ३४,००० एकड़ भूमि अर्जन करने के विचार का उल्लेख था। परन्तु दिल्ली में भूमि के अर्जन, विकास और निपटारे की योजना, जिसका ब्यौरा श्री प्र० गं० देव के ध्यान दिलाने के प्रस्ताव के संबंध में २३ मार्च, १९६१ को सभा पटल पर रखा गया था, के परिणामस्वरूप भूमि के मूल्य काफी गिर गये हैं और इसलिये इस समय और किन्हीं कदमों के उठाये जाने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है।

जनगणना

†२६२. **श्री आप्टर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना संबंधी विश्लेषणात्मक कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य किसने प्रारम्भ किया है ;

(ग) इस कार्य के लिये कितने प्रविधिक कर्मचारी भी नियुक्त किये जाने हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के कितने पद संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे गये हैं ; और

(ङ) कितने व्यक्ति सरकारी दफ्तरों से डेपुटेशन पर नियुक्त किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, हां ।

(ख) विभिन्न राज्यों में १९६१ की जनगणना के आंकड़ों के संकलन से संबंधित कार्य विभिन्न राज्यों में खोले गये ८७ आंकड़े संकलन कार्यालयों में जनगणना कार्यों के अधीक्षक के पर्यवेक्षण में किया जाता है ।

(ग) कोई नहीं । आवश्यक प्रविधिक कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है ।

(घ) प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से राज्य सिविल सर्विस से अथवा राज्य सरकारों के अनुभवी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा की गई हैं ।

(ङ) ३१० ।

दिल्ली में जनगणना के आंकड़ों का संकलन

†२६३. **श्री आप्टर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जनगणना के आंकड़ों के संकलन के कार्य की प्रगति बहुत मन्द है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रविधिक कर्मचारियों की भर्ती अभी समाप्त नहीं हुई है ;

(घ) प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों के विभिन्न पदों की भर्ती की प्रक्रिया क्या है ; और

(ङ) यह कार्य कब पूर्ण होने जा रहा है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : ऐसा समझा जाता है कि प्रश्न का तात्पर्य दिल्ली के जनगणना अधीक्षक के अंतर्गत स्थापित आंकड़े संकलन कार्यालय से है । यदि ऐसा है, तो स्थिति इस प्रकार है :

(क) जी, नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं । समस्त प्रविधिक कर्मचारियों की भर्ती अप्रैल–मई, १९६१ में पूर्ण हो गई थी ।

(घ) प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कोई पद नहीं हैं । तृतीय श्रेणी के पद स्थानीय रोजगार दफ्तरों के माध्यम से अथवा दिल्ली प्रशासन से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे गये हैं ।

(ङ) कार्यक्रम के अनुसार वह १९६२ में पूर्ण होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इलाहाबाद जिले की जनगणना के रिकार्ड

†२६४. **श्री आसर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के ४८ गांवों की जनगणना के कागजात एक रद्दी के व्यापारी के यहां से बरामद किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है ; और

(ग) यदि हां, तो जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) इलाहाबाद के आंकड़े संकलन कार्यालय से इलाहाबाद जिले के कुछ गांवों की जनगणना के कागजात खो गये थे। इनमें से कुछ उन लोगों से प्राप्त हुये जो कागज के लिफाफे बनाते हैं।

(ख) और (ग). पुलिस में एक फौजदारी का मामला दर्ज करा दिया गया है और विशेष जांच कर्मचारियों द्वारा जांच की जा रही है।

जनगणना आंकड़े संकलन यंत्र

†२६५. **श्री आसर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जनगणना के आंकड़ों के संकलन के कार्य के लिये कितने सार्टर और टेबुलेटर काम में लाये जा रहे हैं ;

(ख) उनमें से कितने किराये के हैं और कितने खरीद किये गये हैं ; और

(ग) वे कौन सी कम्पनियां हैं जिनसे पंचिंग और डेट प्रोसेसिंग मशीनें किराये पर ली गई हैं अथवा खरीदी गई हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) दिल्ली के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में आंकड़ों के संकलन के प्रयोजन के लिये और छै सार्टर छै टेबुलेटर काम में लाये जायेंगे।

(ख) चार सार्टर और एक टेबुलेटर खरीद लिये गये हैं और दो सार्टर और पांच टैबुलेटर किराये पर लिये जायेंगे।

(ग) इन्टरनेशनल कम्प्यूटर्स एंड टेबूलेटर्स इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड और स्टेटिस्टीकल एंड एकाउण्टिंग मशीन्स (प्राइवेट) लिमिटेड।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

†२६६. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में कच्चे लोहे और इस्पात के उत्पादन में कोई कमी पाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके संबंध में जांच की गई है ; और

(ग) इस जांच के क्या परिणाम निकले ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां, श्रीमान्। कच्चे लोहे और इस्पात उत्पादों के स्टाक में कुछ कमियां पाई गई हैं।

(ख) और (ग). हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है और वह अभी समाप्त नहीं हुई है।

सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड

†२६७. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला सैनिक, नाविक एवं वैमानिक बोर्ड के अन्तर्गत कितने कर्मचारी राज्यवार कार्य कर रहे हैं ;

(ख) वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी समझे जाते हैं अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी ;

(ग) उनकी सेवायें केन्द्रीय सरकार के नियमों द्वारा अनुशासित होती हैं अथवा राज्य सरकार के नियमों द्वारा ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर नकारात्मक हों तो क्या सरकार उनको केन्द्र अथवा राज्य की नियमित सेवा के अन्तर्गत लाने का विचार कर रही है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २६]**

(ख) वे बोर्डों के कर्मचारी हैं, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं।

(ग) उनकी सेवाओं की शर्तों तथा निबन्धनों का विनियमन केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के परामर्श से निर्मित विशेष नियमों अर्थात्, जिला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम द्वारा होता है।

(घ) उन्हें संबंधित राज्य सरकारों का नियमित कर्मचारी मानने के प्रस्ताव की राज्य सरकारों के परामर्श से छानबीन की जा रही है।

आसाम के जुलाई, १९६० के दंगों में अन्तर्गस्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

†२६८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के आसाम स्थित उन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गई है जिन पर आसाम में जुलाई, १९६० में हुए भाषा सम्बन्धी दंगों में कर्तव्य न पालन करने का आरोप लगाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी, कितने मुक्त कर दिए गये हैं और कितने दंडित किये गये हैं ; और

(ग) उनको क्या दंड दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई के लिये दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी

†२६९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिये बम्बई भेजने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रशिक्षण के लिये कितने व्यक्ति अभी तक भेजे जा चुके हैं; और

(ग) ट्रैफिक पुलिस को अधिक कार्यदक्ष बनाने के लिये और क्या निर्णय, यदि कोई हों, किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस के कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिये बम्बई भेजने का निर्णय किया गया है ताकि वहां से लौटने पर वे ट्रैफिक पुलिस के अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण दे सकें ।

(ख) १४ ।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(१) दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिये एक महीने का एक विशेष ट्रेनिंग कोर्स आयोजित किया गया है ।

(२) मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक के सिपाहियों के लिये अतिरिक्त कंकरीट की छतरियों की मंजूरी दी गई है ।

(३) एक दुर्घटना जांच दल निर्मित किया गया है ।

(४) ट्रैफिक के सिपाहियों को सिगनल देने में दक्षता नम्र व्यवहार और स्वच्छता के लिये प्रशंसापत्र और नकद इनाम दिए जाते हैं ।

(५) वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ट्रैफिक पुलिस के कार्य की अचानक जांच करके व्यक्तिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने की हिदायत दी गई है ।

पन्ना जिलें में हीरे

†२७०. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरों के खनन की दो योजनाओं—मझगांव योजना और रामखेरया योजना—की सरकार द्वारा छानबीन कर ली गई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा तैयार किए गये परियोजना प्रतिवेदन क्या हैं ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने उन पर कोई निर्णय कर लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने मध्य प्रदेश में रामखेरया क्षेत्र और मझगांव क्षेत्र में हीरों के निक्षेपों का खनन करने के लिये दो परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए हैं। रामखेरया योजना में ४६.२ लाख रुपये की लागत लगने का अनुमान है जिसमें से २७.९ लाख रुपये विदेशी मुद्रा के होंगे। मझगांव योजना में ९० लाख रुपये की लागत का लगने का अनुमान है जिसमें से २९ लाख रुपये विदेशी मुद्रा के होंगे। हीरों के वार्षिक उत्पादन का अनुमान ३०,००० रत्ती लगाया जाता है। रामखेरया योजना को सरकार ने १६-११-१९६१ को मंजूरी दे दी है जब कि मझगांव योजना विचाराधीन है।

राष्ट्रीय सेनाछात्रदल के कैडिट

†२७१. **श्री गोरे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सेना छात्रदल के कैडिटों की वर्तमान संख्या कितनी है; और

(ख) क्या राष्ट्रीय सेना छात्रदल के प्रशिक्षण का देश के समस्त कालेजों में विस्तार करने का विचार है ?

†**प्रति रक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) राष्ट्रीय सेना छात्रदल (राष्ट्रीय सेना छात्रदल राइफल्स के सीनियर और जूनियर डिवीजन) के कैडिटों की संख्या ३१ मार्च, १९६१ को ५.३० लाख थी।

(ख) हां, श्रीमान्। जहां तक संबंधित परिस्थितियों में संभव होगा।

दिल्ली के पुलिस कांस्टेबिलों द्वारा बलात्कार

†२७२. **श्री मो० ब० ठाकुर :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोतवाली पुलिस के दो कांस्टेबिलों को दिल्ली में २२ सितम्बर, १९६१ को एक महिला के साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस महीने की यह दूसरी घटना है जिसमें कांस्टेबिलों द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रथम घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी हां ; २१ सितम्बर, १९६१ को।

(ख) विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २७]**।

(ग) जी, हां।

(घ) विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर

†२७३. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में विश्वविद्यालय के पिछले १५ वर्षों के स्तर की जांच करने और उसे सुधारने के लिये कदम सुझाने के लिये एक १२ सदस्यों की समिति नियुक्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

(१) प्रो० एन० के० सिद्धान्त, (सभापति)
उपकुलपति,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली

(२) डा० ए० सी० जोशी, (सदस्य)
उपकुलपति,
पंजाब विश्वविद्यालय

(३) डा० एस० गोविन्द राजूलू, ,,
उपकुलपति,
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय,
तिरुपति

(४) श्री जी० डी० पारिख, ,,
रेक्टर,
बम्बई विश्वविद्यालय,
बम्बई

(५) श्री जी० सी० बनर्जी, ,,
प्रिंसिपल,
एलफिन्सटन कालेज,
बम्बई

(६) श्री आर० एन० राय, ,,
प्रिंसिपल,
सुरेन्द्रनाथ कालेज,
बम्बई

(७) डा० आर० सी० मजूमदार, ,,
भौतिकशास्त्र विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली

---

†मूल अंग्रेजी में

(८) डा० जार्ज कुरियन, (सदस्य)
भूगोल विभाग,
मद्रास विश्वविद्यालय,
मद्रास

(९) श्री टी० के० एन० मेनन, ,,
शिक्षा मंत्रालय,
नई दिल्ली

(१०) प्रो० ए० बी० लाल, ,,
राजनीति विज्ञान विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

(११) डा० जी० एल० दत्त, ,,
उपकुलपति,
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन

(१२) डा० पी० जे० फिलिप, सचिव
विकास अधिकारी,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

टकसालों का पुनर्गठन

†२७४. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन की अधिक लागत, अन्य देशों की अन्य टकसालों की तुलना में श्रमिकों की संख्या और अधिक उपरिव्ययों को देखते हुए टकसालों के कार्यकरण का पुनर्गठन करने की कोई योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना किस प्रकार की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). टकसालों के कार्यकरण का पुनर्गठन करने की तो कोई योजना नहीं है परन्तु उत्पादन की लागत पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण करने की दृष्टि से लागत लेखांकन प्रणाली क्रमशः लागू की जा रही है।

श्रव्य दृश्य शिक्षा का राष्ट्रीय बोर्ड

†२७५. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **शिक्षा** मंत्री ४ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बोर्ड की विद्यार्थियों से अंशदान ले कर शिक्षा के लिये श्रव्य दृश्य सहायता की सिफारिश पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ख) वह सिफारिश क्रियान्वित कब की जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). मामले पर अभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से विचार किया जा रहा है। इसलिये निर्णय तब किया जायेगा जब भारत सरकार उनकी प्रतिक्रियायें भली प्रकार मालूम कर लेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में नृत्य की शिक्षा देने वाले स्कूल

२७६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नृत्य की शिक्षा देने वाले कुछ स्कूलों के सम्बन्ध में अनैतिकता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच भी कराई गई थी ;

(ग) उस में दोषी पाये गये अधिकारियों और व्यवस्थापकों को क्या कोई दण्ड दिया गया है ; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न मिले, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). सवाल पैदा नहीं होता ।

युद्ध सेवा कर्मचारी

†२७७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ४ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित **प्रश्न** संख्या ३२७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध सेवा अभ्यर्थियों और युद्ध रक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिये वरण किये गये अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता और प्रारम्भिक वेतन निर्धारित करने वाले आदेशों, जो गृह-कार्य मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ३०/४/४६-ई० एस० टी० एस० (आर०) दिनांक १८ सितम्बर १९४७ में जारी किये गये थे और जिन का संख्या ३२/१०/४९—सी० एस० (सी०) दिनांक ३१ मार्च, १९५० और ३२/१०/४९-सी० एस० (सी०) दिनांक २० सितम्बर, १९५२ द्वारा स्पष्टीकरण किया गया था, का समस्त मामलों में पालन किया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कथित आदेशों के क्रियान्वयन और युद्ध सेवा वाले अभ्यर्थियों को १९४५ के पूर्व की रिक्तताओं में स्थायी बनाये गये और कथित आदेश के समयानुसार क्रियान्वित न किये जाने के कारण युद्ध सेवा के अभ्यर्थियों से वरिष्ठ रखे गये व्यक्तियों के संमुखीन उनकी उच्च वेतनक्रमों (प्रवरण पदों को सम्मिलित करके) में उचित वरिष्ठता, तरक्की, पुष्टि और वेतन देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट आदेश सामान्यतः लागू होते हैं और आशा की जाती है कि उन आदेशों का भारत सरकार के समस्त विभागों द्वारा पालन किया गया है। (तीसरे कार्यालय ज्ञापन की सही संख्या ३२/४९-सी० एस० दिनांक २० सितम्बर, १९५२ है, ३२/१०/४९—सी० एस० (सी०), दिनांक २० सितम्बर, १९५२ नहीं ।)

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ऊपर निर्दिष्ट आदेशों का लाभ केवल उस वेतनक्रम में देय है जिस में कोई युद्ध सेवा का अभ्यर्थी अथवा अस्थायी सरकारी कर्मचारी युद्ध रक्षित पद पर मूलतः नियुक्त किया गया हो। उसकी उच्चतर वेतनक्रम में, जिसमें उसको बाद में तरक्की हुई हो, वरिष्ठता पुष्टि और वेतन आदि का विनियमन सम्बन्धित उच्च वेतनक्रम पर लागू होने वाले सामान्य नियमों के अनुसार होगा।

कांगों

†२७८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय एयर वाइस मार्शल को कांगो भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिये ;

(ग) क्या उन्होंने कांगो की स्थिति के सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) राष्ट्रसंघ की कुछ जेट विमानों की सेवायें प्राप्त करने की प्रार्थना की दृष्टि से कांगो की स्थिति का मौके पर अध्ययन करने के लिए।

(ग) जी, हां।

(घ) उस में भारतीय विमान बल टुकड़ी को कांगो में सौंपे गए कार्य का मूल्यांकन सन्निहित है। प्रतिवेदन का ब्यौरा प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

५०५. आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली कैण्ट

†२७९. **श्री स० मो० नबर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९५९ में ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली कैण्ट में लगभग ८० व्यक्ति अवैतनिक अप्रेन्टिस रखे गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन में से कुछ को बिना रोजगार दफ्तर को निदेश किये भुगतान किया गया था और ऐसे लगभग ४० कर्मचारियों को तीन महीने बाद निकाल दिया गया था ;

(ग) क्या कमाण्डेण्ट ने छंटनी किये गये व्यक्तियों को रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन के प्रयोजन के लिये अपने व्यक्तिगत प्रमाणपत्र देने में भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया था ; और

(घ) क्या मंत्रालय की इन व्यक्तियों के नियोजित करने की कोई योजना है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली कैण्ट में तिरेसठ व्यक्तियों को अप्रैल से जून १९५९ तक के तीन महीनों में इस शर्त पर प्रशिक्षण दिया गया था कि ऐसे प्रशिक्षण के पश्चात् वर्कशाप प्राधिकारियों के लिए उनको रोजगार देना अनिवार्य नहीं होगा।

(ख) नहीं, श्रीमान्। परन्तु छै प्रशिक्षार्थियों को, स्थानीय रोजगार दफ्तर द्वारा लिखे जाने पर, सामान्य तरीके से नियुक्त किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

बाल विवाह

†२८०. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल विवाह अभी भी बड़े पैमाने पर हुआ करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार उनको रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) क्या सरकार ऐसे विवाहों का रिकार्ड रखती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री वातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ऐसे विवाहों का रिकार्ड राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है ।

तिरुपती में हिन्दी अध्यापकों की गोष्ठी

†२८१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, १९६१ में हिन्दी अध्यापकों की एक गोष्ठी तिरुपती (आन्ध्र) में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन का प्रयोजन क्या था ; और

(ग) उस सम्मेलन द्वारा क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह गोष्ठी शिक्षा मंत्रालय की अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी अध्यापकों को अपने हिन्दी भाषी क्षेत्रों के साथियों के साथ सम्पर्क स्थापित करने और उन्हें हिन्दी भाषा और साहित्य की वर्तमान प्रगति की जानकारी प्राप्त करने का मौका देने की दृष्टि से ऐसी गोष्ठियों के आयोजन की योजना के अन्तर्गत हुई थी ।

(ग) गोष्ठी की कार्यवाही का विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

हिन्दी असिस्टेंट

२८२. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से अंग्रेज़ी असिस्टेंट संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने के बिना ही नियुक्त कर लिये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने इन असिस्टेंटों के लिये तीन विभागीय परीक्षायें लीं और उन को चेतावनी दी गई कि यदि वे परीक्षा में पास नहीं हुए तो उन को उनके पूर्व पद पर लगा दिया जायेगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे अंग्रेजी असिस्टेंट जो या तो परीक्षा में बैठे नहीं अथवा जो फेल हो गये अभी तक उन्हें उनके पूर्व पदों पर नहीं लगाया गया जबकि उन हिन्दी असिस्टेंटों को, जो १९५९ में संघ लोक सेवा द्वारा ली गई परीक्षा में नहीं बैठे अथवा जिनके नाम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई ४६ व्यक्तियों की सूची में नहीं थे, उनके पूर्व पदों पर नियुक्त कर दिया गया ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री वातार) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). विभागीय रिक्त स्थानों के कोटे के एक अंश पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड ४ में अस्थायी असिस्टेंट ग्रेड को नियमित (Regular) बनाने के लिये संघ लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट ग्रेड की तीन विभागीय प्रतियोगी परीक्षायें ली थीं। परन्तु इन परीक्षाओं में विभागीय असिस्टेंटों के लिये बैठना अनिवार्य नहीं था। उनको यह चेतावनी भी नहीं दी गई थी कि यदि वे परीक्षा में नहीं बैठेंगें या उनमें पास नहीं होंगे तो उनको रिवर्ट कर दिया जायेगा। केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों/कार्यालयों में हिन्दी असिस्टेंटों के पदों पर नियमित रूप से भरती करने के लिये १९५९ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हिन्दी असिस्टेंटों की परीक्षा ली गई थी। इसलिये बिना परीक्षा पास किये हिन्दी असिस्टेंटों के पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों को जिन्हें अस्थायी रूप से भरती किया गया था एक के अतिरिक्त सभी को हटा कर परीक्षा पास किये व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया गया है। बिना परीक्षा पास किये यह शेष हिन्दी असिस्टेंट नागपुर के एक कार्यालय में नियुक्त हैं। जहां पर परीक्षा पास किये व्यक्तियों में से कोई भी जाने को तैयार नहीं था।

हिन्दी असिस्टेंट

२८३. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने जून, १९५९ में हिन्दी असिस्टेंटों के लिये एक परीक्षा ली थी ;

(ख) क्या यह सच है कि परीक्षा के विज्ञापन फार्म में यह लिखा गया था कि परीक्षा में केवल लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क ही बैठ सकते हैं और उन्हें उनके वेतन के अतिरिक्त ३० रुपये विशेष वेतन मिलेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि विज्ञापन में कहीं भी यह नहीं लिखा था कि जो व्यक्ति पहले से असिस्टेंटों के रूप में काम कर रहे हैं उन्हें परीक्षा में बैठना होगा ;

(घ) क्या यह भी सच है कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि परीक्षा भावी खाली स्थानों को भरने के लिये ली जा रही है ;

(ङ.) क्या यह भी सच है कि हिन्दी असिस्टेंटों के पद पर काम करने वाले सभी व्यक्तियों को उनके पूर्व पद पर लगा दिया गया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) यदि उपरोक्त भाग (क) से (ङ) तक के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो पुराने हिन्दी असिस्टेंटों को, जो यह काम भली प्रकार कर रहे थे और जिन्होंने भारत सरकार का हिन्दी कार्य आरम्भ किया था, उनके पूर्व पदों पर लगाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां ।

(ख) यह परीक्षा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उन अपर डिवीजन/लोअर डिवीजन क्लर्कों के लिये खुली थी, जिन्होंने स्नातक परीक्षा में एक विषय हिन्दी का भी पास किया था और जिन्होंने १-१-१९५९ को लोअर डिवीजन क्लर्क या किसी ऊंचे ग्रेड में कम से कम एक वर्ष की लगातार सेवा अवधि पूरी की थी । नोटिस के अनुसार हिन्दी असिस्टेंटो के रूप में नियुक्त होने वाले सफल उम्मीदवारों को अपने ग्रेड वेतन के अतिरिक्त तीस रुपये मासिक का विशेष वेतन मिलना था ।

(ग) जी, हां, परन्तु नोटिस में ऐसा भी कोई निर्देश नहीं था, कि इन लोगों को परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है ।

(घ) नोटिस में यह लिखा गया था, कि जब-जब आवश्यकता होगी सफल उम्मीदवारों को, जिन्हें सरकार अन्य सभी प्रकार से उपयुक्त समझे, हिन्दी असिस्टेंटों के रूप में नियुक्त किया जायेगा। इसमें वर्तमान और आगामी सभी रिक्त स्थान सम्मिलित थे ।

(ङ) एक के सिवाय सारे असफल हिन्दी असिस्टेंटों के स्थान पर जून, १९५९ की हिन्दी असिस्टेंटों की परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार नियुक्त कर दिये गये हैं । शेष एक असफल हिन्दी असिस्टेंट नागपुर में नियुक्त है, जहां पर जाने को कोई भी सफल उम्मीदवार तैयार नहीं है ।

(च) क्योंकि बिना परीक्षा के हिन्दी असिस्टटों की नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी रूप में की गई थीं, जब तक कि भरती के नियमित ढंग के बारे में कोई निर्णय न ले लिया जाए, इसलिये इनके स्थान पर सफल उम्मीदवार प्राप्त होने पर नियुक्त कर दिये गये ।

अनुसूचित जातियों के ऋण ग्रस्त व्यक्तियों को सहायता

२८४. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्य-क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों को अपने ऋण चुकाने में सहायता देने के लिये विधान बनाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूप-रेखा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नये पद बनाने और उन्हें भरने पर रोक

२८५. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने नई जगहों को भरने और खोलने पर जो रोक लगाई है उस पर कोई खास अमल नहीं किया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने ही छै सौ क्लर्कों को भरती किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क), (ख) और (ग). नये पदों के निर्माण पर २ जनवरी, १९६० को लगाया गया सामान्य प्रतिबन्ध विभिन्न नियमित सेवाओं की पदावलि (Cadre) की शक्ति बनाए रखने के लिये जिनमें प्रतियोगी परीक्षायों द्वारा नियुक्ति होती है पर लागू नहीं होता। केन्द्रीय सचिवालय क्लैरिकल सेवा में शामिल लोअर डिवीजन क्लर्कों के पदों पर, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वालो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की जाती है। पिछली परीक्षा दिसम्बर, १९५९ में हुई थी। ऐसी अगली परीक्षा आयोग दिसम्बर, १९६१ में ले रहा है। इस अवधि में विभिन्न मंत्रालयों की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सचिवालय में रिक्त ३०३ लोअर डिवीजन क्लर्कों के पद पूर्णतः अस्थायी आधार पर भरे गये हैं। ये नियुक्तियां एक वर्ष या दिसम्बर, १९६१ की आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की उपलब्धि तक (इनमें से जो भी तिथि पहली हो) के लिये की गई है।

केन्द्रीय सचिवालय के असिस्टेंट

२८६. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय में ऐसे अस्थायी असिस्टेंटों की संख्या कितनी है, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास नहीं की है ;

(ख) ऐसे असिस्टेंटों के बारे में सरकार की नीति क्या है; और

(ग) वे कब तक संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास किये अपनी जगहों पर कायम रह सकते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एन० दातार) : (क) सूचना सुगमता से उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग). ये लोग अपनी जगहों पर तब तक कायम रहने के पात्र हैं जब तक उनके लिये असिस्टेंटों के पद उपलब्ध हैं।

१९६० में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल

२८७. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री झूलन सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय कर्मचारियों ने १९६० में जो हड़ताल की थी उसमें शामिल होने की वजह से कितने कर्मचारियों को दण्ड दिया गया ;

(ख) इन में से कितने कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर दिया गया ; और

(ग) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके चाल-चलन के लेखे में यह लिख दिया गया कि उनको अवैध हड़ताल में भाग लेने की वजह से दंडित किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) ५३ ।

हिन्दी असिस्टेंटों को पूर्व पदों पर भेजना

२८८. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में आयोजित हिन्दी असिस्टेंटों की परीक्षा के आधार पर जिन हिन्दी असिस्टेंटों को पूर्व पदों पर भेज दिया गया उनमें से ऐसे कितने थे जिनकी तीन साल से अधिक नौकरी थी ;

(ख) क्या इन लोगों को १९४९ के अस्थायी सेवा नियमों के अन्तर्गत अर्द्धस्थायी (क्वासी परमानेन्ट) होने का हक दिया गया ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) १३ ।

(ख) और (ग). बिना परीक्षा के हिन्दी असिस्टेंटों के पद पर नियुक्त उन व्यक्तियों को जिन्हें रिवर्ट कर दिया गया है उन पदों पर अर्द्धस्थायी (क्वासी परमानेन्ट) किये जाने के अधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इन लोगों की नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी प्रबन्ध के रूप में की गई थीं और अन्तिम रूप से इन पदों के लिये अनुमोदित भरती के तरीके के अनुसार नहीं थीं ।

हिन्दी असिस्टेंट

२८९. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ से अब तक असिस्टेंट ग्रेड की कितनी परीक्षायें लोक संघ सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गईं ;

(ख) इन परीक्षाओं में जो असिस्टेंट फेल हुए उन की संख्या क्या है ; और उनमें से ऐसे कितने हैं जो अब भी अस्थायी रूप से अपनी जगहों पर काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दी असिस्टेंटों के लिये १९५९ में जो परीक्षा आयोजित की गई थी उस के आधार पर उन सभी हिन्दी असिस्टटों को रिवर्ट कर दिया गया है, जो परीक्षा में नहीं बैठे या असफल रहे थे ; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) आठ, जिन में से तीन विभागीय परीक्षाएं थीं, और ग्रेड की सीधी भरती के लिये पांच खुली प्रतियोगी परीक्षाएं थीं ।

(ख) सूचना सुगमता से उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). संघ लोक सेवा आयोग द्वारा १९५८ में ली गई हिन्दी असिस्टेंट परीक्षा केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों/कार्यालयों में हिन्दी असिस्टेंटों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्तियां करने के लिये थी। केवल एक को छोड़ कर उन सभी असफल हिन्दी असिस्टेंटों के पदों पर जो इस परीक्षा से पहले अस्थायी आधार पर नियुक्त किये गये थे, परीक्षा में पास हुए व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया गया है। बिना परीक्षा पास किया यह हिन्दी असिस्टेंट नागपुर के एक कार्यालय में नियुक्त है जहां पर परीक्षा में पास हुए व्यक्तियों में से कोई जाने को तैयार नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

†२९०. **श्री दामानी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति के लिये वैज्ञानिक एवं प्रविधिक पूल में भर्ती करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना किस प्रकार की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) जी, नहीं। यह पूल मूलतः विदेशों से लौटने वाले अनुभवी भारतीय वैज्ञानिकों और प्रविधिज्ञों को अस्थायी तौर से नौकरी देने के लिये है। पूल में भर्ती निरन्तर जारी है। पूल में नियुक्त व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी रखा जा सकता है परन्तु ऐसा नहीं है कि पूल में भर्ती केवल सरकारी उद्योग क्षेत्र के उपक्रमों के लिये नियुक्तियों की दृष्टि से की जाती हो।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दहेज निषेध अधिनियम, १९६१

†२९१. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **विधि** मंत्री ३० अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने दहेज निषेध अधिनियम, १९६१ को लागू कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और किन किन राज्यों में ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) केन्द्रीय सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम, १९६१ की धारा १ की उपधारा (३) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग कर के इस अधिनियम के समस्त भारत में, जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़ कर, लागू होने के लिये १ जुलाई, १९६१ का दिन निश्चित किया है और अधिनियम के राज्यों द्वारा लागू किए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

नागा विद्रोही

†२९२. **श्री ले० अची सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना द्वारा उखरूल सबडिवीजन में लीसान में ३० विद्रोहियों का एक गुप्त दल पकड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विद्रोहियों पर किसी न्यायालय में मुकदमा चलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या आरोप लगाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) ३० अगस्त, १९६१ को सूचना मिलने पर एक सैनिक गश्ती दल उखरूल सब-डिवीजन में स्थित लीसन गांव पहुंचा तथा २४ नागा विद्रोही पकड़े गये जिन से शस्त्रास्त्र तथा गोला बारूद बरामद हुए ।

(ख) और (ग). जी, हां । उन पर पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम, १९५०, जैसाकि वह मनीपुर में लागू किया गया है, की धारा ११ और २५ के अन्तर्गत ध्वंसात्मक कार्यवाहियां करने और हरी वर्दियां पहनने का मुकदमा चलाया गया है । उन में से सात पर भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा १९ (एफ़) के अन्तर्गत बिना लाइसेंस के शस्त्रास्त्र और गोलाबारूद रखने का मुकदमा भी चलाया गया है । ये मामले न्यायाधीन हैं ।

मनीपुर में पुलिस कांस्टेबिलों की गिरफ्तारी

†२९३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के चीफ़ कमिश्नर के निवास स्थान पर नियुक्त कुछ पुलिस के सिपाहियों को एक महिला के साथ बलात्कार करते समय गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां । एक कांस्टेबिल ने एक महिला के साथ बलात्कार किया बताते हैं । सात सिपाही गिरफ्तार किये गये थे ।

(ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७६/३४२/१४७/१४९ के अन्तर्गत एक नियमित मामला दर्ज किया गया है। समस्त कांस्टेबिल मुअत्तल कर दिये गये हैं और अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ।

मैसूर राज्य में कृषि बस्ती

†२९४. **श्री अगाड़ी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० को अतारांकित प्रश्न संख्या ४८० के उत्तर में २१ नवम्बर, १९६० को दिये गये एक आश्वासन की पूर्ति में, सभा पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में कमलापुरम् के निकट स्थित कृषि बस्ती में क्वार्टरों के दोष पूर्ण निर्माण की जिम्मेदारी निर्धारित करने के मामलों में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) क्या कोई मरम्मत कराई गई है और इमारतों की वर्तमान दशा कैसी है ; और

(ग) क्या उन में खेतिहरों अथवा खेतिहर श्रमिकों ने रहना शुरू कर दिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). सूचना मैसूर सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

मैसूर के सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियां

†२९५. **श्री अगाड़ी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियों को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में केन्द्र की राय अथवा सलाह मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो किन श्रेणियों के तथा कितने कर्मचारियों की वरिष्ठता निश्चित की जानी है;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या संघ सरकार ने मैसूर राज्य के सरकारी कर्मचारियों की कोई वरिष्ठता सूचियां १९५७ में और बाद में १९६० में प्रकाशित की हैं ;

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या १९६० की सूची को मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था ;

(च) ये सूचियां कब प्रकाशित की जायेंगी ; और

(छ) वे संघ सरकार द्वारा प्रकाशित की जायेंगी अथवा राज्य सरकार द्वारा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ११५ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्योंके पुनर्गठन से प्रभावित राज्योंमें सेवाओं का एकीकरण करने के लिये जिम्मेदार है। यह निर्णय किया गया था कि समस्त प्रारम्भिक कार्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाना चाहिये ताकि केन्द्रीय सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी निभा सके। मैसूर सरकार ने १९५७ में अन्तर्कालीन वरिष्ठता सूचिया प्रकाशित की थीं और १९६० में नई सूचियां जिन्हें उन्होंने अन्तिम कहा। राज्य सरकार की ऐसी अन्तिम सूचियां प्रकाशित करने की शक्ति के विरुद्ध रिट पैटीशन दायर की गई और मैसूर के उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राज्य सरकार को अन्तिम सूचियां प्रकाशित करने का अधिकार नहीं है। इसलिये जिन विभागों के सम्बन्ध में वह रिट पैटीशन दायर की गई थी उन की तथाकथित अन्तिम सूचियां रद्द कर दी गईं। तत्पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को सेवाओं के एकीकरण के संबंध में उठाये जाने वाले कदमों का संकेत किया है।

(ख) गज़टेड और नानगज़टेड अधिकारियों की वरिष्टता सूचियों को अभी केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तिम रूप प्रदान किया जाना है। इन गज़टेड तथा नानगज़टेड अधिकारियों की संख्या क्रमशः २,६५८ और १३९,३८५ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) जी, हां।

(च) ये सूचियां राज्य सरकार द्वारा १९५७ में प्रकाशित अन्तर्कालीन सूचियों के संबंध में प्राप्त समस्त अभ्यावेदनों तथा बाद में प्राप्त अभ्यावेदनों के, उपयुक्त मंत्रणा समिति द्वारा विचार हेतु टिप्पण सहित, भेजे जाने के पश्चात् ही प्रकाशित की जा सकती हैं। केन्द्रीय सरकार उपयुक्त मंत्रणा समिति की सलाह की प्राप्ति के पश्चात् ही अन्तिम निर्णय कर सकती है।

(छ) केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई सामन्य क्रमस्थापन सूचियों (ग्रेडेशन लिस्ट्स) को राज्य सरकार प्रकाशित करेगी।

मैसूर में लोहे की कच्ची धातु के भण्डार

२९६. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में मैसूर में उच्च श्रेणी के खनिज लोहे के कितने भण्डार पाये गये, उनका कब और कैसे उपयोग में लाया जायेगा ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : चालू वर्ष में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग को मैसूर में उच्च श्रेणी के कच्चे लोहे का कोई संचय नहीं मिला है ; परन्तु मैसूर सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वारा सूचित किया गया है कि १९६०-६१ के क्षेत्रीय काल के दौरान में उत्तर कनड़ा शिमोगा, दक्षिण कन्नड़ और चिक्मगलूर जिलों के भागों में राज्य के भूगर्भीय विभाग द्वारा सर्वेक्षण कार्यों को जारी रखा गया तथा लगभग ३२० वर्ग मील का सर्वेक्षण किया गया; जिस के परिणामस्वरूप निम्न-लिखित क्षेत्रों में कच्चे लोहे के नये भण्डारों का पता लगा :—

(१) चिक्मगलूर तालुका के अट्टीगुण्डी और पिथा में ५८–६६ प्रतिशत ग्रेड के लगभग ८० मिलियन टन के पाये जाने का अनुमान लगाया गया ।

(२) सागर तालुका के कोटेबारे प्लटेयू में ६०–६२ प्रतिशत धातु के लगभग २० मिलियन टन निर्धारण किया गया ।

(३) होसा नगर तालुका के कोडाचादरी चोटी और इसके आस पास में ५८–६० प्रतिशत धातु के लगभग ३.५ मिलियन टन का पाया जाना सिद्ध हुआ ।

(४) येल्लापुर के कोलचे तथा चिल्मी और सूपा पेथा तालुका में ५८–६० प्रतिशत धातु के लगभग १३ मिलियन टन के होने का अनुमान लगाया गया ।

(५) योल्लापुर तालुका में बिसगोड स्थान पर ५४–५६ प्रतिशत धातु के लगभग ४$^{1}/_{2}$ लाख टन का पाया जाना सिद्ध हुआ ।

(६) अंकोला तालुका के कोडला गड्डे स्थान पर ५४–५८ प्रतिशत धातु के लग भग २ लाख टन का पाये जाने का अनुमान लगाया गया ।

(७) पुत्तूर तालुका के अरबदगुड्डा के पश्चिम में ५४–५६ प्रतिशत धातु के लगभग १ मिलियन टन के प्रारम्भिक अनुमान का निर्धारण किया गया ; और

(८) पुत्तूर तालुका के ओडथमुख के पास बन्टाबल तालुका के कन्याना और कौंडापुर तालुका के केराडी में निम्न ग्रेडसे लेकर मध्य ग्रेडके धातु का थोड़ी मात्रा में होना ।

राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त भू भंडारों वाले क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र में समुपयोजन के लिये आरक्षित किया गया है ।

कच्छ उपकार निधि

†२९७. **श्री खीमजी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ के 'श' श्रेणी के राज्य के निर्माण के समय एक "कच्छ उपकार निधि" नामक निधि का निर्माण किया गया था और कच्छ के महाराव साहब को अपनी निजी थैली में से कच्छ में शिक्षा और चिकित्सा सहायता प्रयोजनों के लिये प्रतिवर्ष ५०,००० रूपये देने थे; और

(ख) यदि हां, तो कच्छ के बम्बई राज्य में विलय के पश्चात् और बम्बई राज्य के विभाजन और कच्छ के गुजरात के नये राज्य में विलय पर इस निधि की क्या स्थिति है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां ।

(ख) कच्छ के भूतपूर्व बम्बई राज्य में विलय के पश्चात् इस निधि का प्रशासन बम्बई सरकार को सौंप दिया गया था । बम्बई राज्य के पुनर्गठन और कच्छ के नये गुजरात राज्य में विलय के समय से इस निधि का प्रशासन गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात का मूल्य

†२९८. **श्री खीमजी** :क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों के इस्पात के आयात मूल्य क्या हैं ; और

(ख) भारत में निर्मित की जाने वाली समान श्रेणियों के तुलनात्मक मूल्य क्या हैं ?

†**इस्पात, खान औरईंधन मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह)** : (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २८ ।]**

सामान्य निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावलियां

†२९९. **श्री कुम्भार** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों एवं संघ प्रशासनों की निर्वाचक नामावलियों का संशोधन आगामी सामान्य निर्वाचनों के लिये किया गया है ;

(ख) क्या निर्वाचनों के नाम रह जाने के बारे में किसी की ओर से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ग) निर्वाचनों से पूर्व उन पर क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) अधिकतर निर्याचन क्षेत्रों में संशोधन के पश्चात् निर्वाचन नामावलियां अन्तिम रूपमें प्रकाशित कर दी गई हैं। शेष निर्वाचन क्षेत्रों में संशोधन कार्य चल रहा है, और निर्वाचन नामावलियों के अन्तिम रूप में १५ दिसम्बर तक प्रकाशित होने की आशा की जाता है ।

(ख) और (ग). इन में अर्ह मतदाताओं के नाम शामिल न होने के बारे में और कुछ अनर्ह लोगों के नाम शामिल हो जाने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन सब मामलों में जहां आवश्यकता और संभव है, शोधन करने का काम किया गया था ।

अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियां

†३००. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना अवधि में वे घरबार अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के लिये मकानों के स्थान और वित्तीय सहायता नियत करने के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ प्रशासनों ने कोई योजना कार्यक्रम तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां तो योजना का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या तीसरी योजना अवधि की समाप्ति तक इन जातियों के सभी बेघर लोगों को मकान दे दिये जायेंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (घ). सभी राज्यों की सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें

†३०१. **श्री कुन्हन :** क्या शिक्षा मंत्री ३० अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चुनी हुई पाठ्य पुस्तकों के घटिया गुण प्रकार के बारे में जांच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) उनके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) अभी नहीं ।

(ख) से (घ). सवाल पैदा नहीं होता ।

पिछड़े वर्ग

३०२. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़ा वर्ग संघ, उत्तर प्रदेश की ओर से पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों को तत्काल लागू करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ; और

(ग) क्या सरकार पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों को लागू करने जा रही है, या अभी उस पर विचार किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट जब ३-९-१९५६ को सदन में प्रस्तुत की गई थी उसके साथ ही स्मृति पत्र में सदन को यह सूचित कर दिया गया था कि सरकार ने उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है। "अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग" के सम्बन्ध में सरकार ने जो निर्णय लिया है उसकी भी सूचना अतारांकित प्रश्न संख्या ९०३ के उत्तर देते समय १४-८-१९६१ को सदन को देदी गई थी ।

कोयले के ग्रेड निर्धारित करने की प्रक्रिया

†३०३. **श्री विभूति मिश्र :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोयले के ग्रेड निर्धारित करने की प्रक्रिया में बहुत जल्दी-जल्दी परिवर्तन किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो १९५१ से १९६१ तक कितनी बार परिवर्तन किये गये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कोयला बोर्ड के कुछ सदस्यों ने मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कोयले को निम्न श्रेणी का बनाने की प्रक्रिया को अवास्तविक और अवैज्ञानिक बताया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). यह कहना ठीक नहीं है कि जल्दी जल्दी परिवर्तन किये गये हैं। पहले की अपेक्षा कुछ अधिक सुस्पष्ट प्रक्रिया को निर्धारित करते हुये केवल हाल ही में परिवर्तन किये गये थे।

(ग) तथा (घ). कोयले के ग्रेड के विषय में बोर्ड द्वारा हाल में निर्धारित की गई इन प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में एक पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र का विषय परीक्षाधीन है।

रिज़र्व बैंक और स्टेट बैंक के जाली चालान

†३०४. **श्री अगाड़ी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिज़र्व बैंक और स्टेट बैंक की बंगलौर की शाखाओं के जाली चालान मैसूर राज्य के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार तथा आयकर प्राधिकारों को पेश किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्य पुलिस द्वारा मालूम किये गये ऐसे जाली चालानों की कुल कितनी राशि है ;

(ग) क्या यह सच है कि अग्रेतर जांच के लिये यह मामला केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को सौंपने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). मालूम हुआ है कि वर्ष १९६० में लगभग ९ लाख रूपये के मूल्य के चालान, जिन पर रिजर्व बैंक के बंगलौर दफ्तर के पास करने वाले कर्मचारियों के जाली हस्ताक्षर और जाली मुहरें थीं, प्रादेशिक परिवहन अफसर बंगलौर के दफ्तर से बरामद हुआ। प्रतीत होता है कि यह धोखा प्रादेशिक परिवहन अफसर के दफ्तर में किया गया है, और प्रमुख अपराधी उस दफ्तर का एक कर्मचारी है। १२ मई १९६० से रिजर्व बैंक के बंगलौर दफ्तर में मोटर गाड़ी कर देने की व्यवस्था बन्द कर दी गई है और राज्य सरकार के अफसर विभागीय तौर पर वह राशि वसूल करते हैं। केन्द्रीय सरकार को जो सूचना मिली है उसके अनुसार आयकर दिये जाने या उस के लौटाये जाने का कोई चालान जाली नहीं था।

(ग) और (घ). यह मामला केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को नहीं दिया गया क्यों कि राज्य सरकार का इस मामले से प्रमुखतया सम्बन्ध है, यह फैसला करना वहां की सरकार का काम है कि किस प्रकार की जांच करवाये और क्या अग्रेतर कार्यवाई की जाये।

इनामी बांड पारितोषिक

†३०५. **श्री अगाड़ी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्ब्याज इनामी बांडों के आरम्भ किये जाने से लेकर इनकी लाटरी खुलने से कितनी राशि के इनाम आये हैं, जिनका दावा किया गया है या नहीं किया गया है ; और

(ख) इसके आरम्भ होने से लेकर आज तक कितने रुपयों वाले इनामी बांडों के पारितोषिकों की क्रमशः राशियां ऐसी हैं जिनका दावा नहीं किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :**

	रुपये
(क) मांगे गये इनाम	४५,४२,४००
न मांगे गये इनाम	१३६८५५०
संदेह वाले मामले, अर्थात् जिन की अर्हता के प्रश्न का अभी फैसला करना शेष है	११५००
(ख) १०० रुपये वाले बांड	५२४५००
५ रुपये वाले बांड	८४४०५०
योग . .	१३६८५५०

कोयले का लाना ले जाना

†३०६. **श्री हेम बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन के मंत्रालय ने कोयला खानों से कम दरों पर सड़क परिवहन के द्वारा कोयले को लाने ले जाने के लिये कोई उपाय निकालने के लिये परिवहन तथा संचार मंत्रालय से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो संबद्ध मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). यद्यपि इस मंत्रालय ने इस बारे में परिवहन तथा संचार मंत्रालय से सीधे तौर पर प्रार्थना नहीं की है, योजना आयोग के कोयला उत्पादन एवं परिवहन संबंधी कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है कि परिवहन तथा संचार मंत्रालय के सड़क कक्ष को कोयला नियंत्रक के कार्यालय के समन्वय के साथ संभरण करने वाली कोयला खानों के कुछ अर्धव्यास के अन्दर सड़क द्वारा कोयला ले जाये जाने की संभाव्यता का विचार करे। इस समय इस बात का परीक्षण किया जा रहा है और इस में अन्य बातों के साथ-साथ सड़क सुविधाओं की विद्यमानता, मोटर ट्रकों कर उपलब्धि तथा सड़क द्वारा ले जाये जाने के व्यय आदि को भी ध्यान में रखा जायेगा। इस समय थोड़ी दूरी के स्थानों को सड़क के द्वारा काफी मात्रा में कोयला ले जाया जाता है।

मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र

†३०७. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्रों का अधिक उपयोग करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तीसरी योजना के कोयला उत्पादन कार्यक्रम में कोरबा क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों, अर्थात् विश्रामपुर, चुरचा-झिलीमिली, कोरिया ब्लाक २, कोटया, पेंच/कान्हन/पथेर खेड़ा, तथा सिंगरौली कोलया क्षेत्रों का अग्रतर उपयोग करने का उपबन्ध है जिनमें १०० से ११० लाख टन तक और उत्पादन बढ़ सके।

सैनिक छावनियों के लिये भूमि

†३०८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम के सतगांव, झरगांव, बडगांव जोरहाट और कुछ दूसरे क्षेत्रों में सैनिक छावनियां बनाने के लिये हाल ही में बहुत भूमि अधिग्रहण की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी भूमि ली है ; और

(ग) कितने लोग बेघर किये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) आसाम में अभी हाल ही में कुछ भूमि अधिग्रहण की गई है किन्तु इस समय कोई छावनी बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) ४५१.४० एकड़ का अधिग्रहण पूरा हो चुका है और कुछ और क्षेत्र का अधिग्रहण किया जा रहा है।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है। यह लोक सभा के पटल पर रख दी जायगी।

खाद्य तथा राशनिंग विभागों के कर्मचारी

†३०९. **श्री नाथ पाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि केन्द्रीय और अन्य राज्य सरकारों के खुराक और राशनिंग विभागों का प्रशासन भारत के प्रतिरक्षा अधिनियम के द्वारा, युद्ध सेवाओं वाले कर्मचारियों, सैनिक लेखा विभाग आदि अन्य आवश्यक विभागों के साथ किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने युद्ध सेवा और सैनिक लेखा विभागों के इन अत्यावश्यक कर्मचारियों के अन्य विभागों में लगाये जाने के पश्चात् उन के लिये पिछली सेवा के क्या लाभ प्रदान किये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) भारत का प्रतिरक्षा अधिनियम १९३९ (१९३९ का अधिनियम संख्या ३५) केन्द्रीय या उस समय की प्रांतीय सरकारों के किसी विशेष विभाग पर लागू नहीं होता था।

(ख) चूंकि पिछले महायुद्ध में भूतपूर्व सैनिक लेखा विभाग में की गई सेवा युद्ध सेवा मानी गई है, इसलिये उस विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों को, असैनिक पदों पर लगाये जाने पर, व तत्संबंधी आदेशों के अनुसार या निर्धारित सीमा तक वेतन वरिष्ठता और पैंशन के लिये अपनी पिछली युद्ध सेवा को गिनने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में श्री राम गरीब के १५ मार्च १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७७५ के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये आदेशों की प्रतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। वित्त मंत्रालय ने भी सनिक लेखा विभाग के भतपूर्व क्लर्कों के असैनिक दफ्तरों में लगाये जाने पर उन के वेतन निर्धारित करने के संबंध में आदेश जारी किये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछड़े वर्गों का कल्याण

†३१०. **श्री बै० च० मलिक :** क्या गृह-कार्य मंत्री ३० अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों के कल्याण के निमित्त ७ लाख रुपये की राशि किस प्रकार के कामों पर खर्च की है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९६१ की बाढ़ों से प्रभावित अनुसूचित जातियों के लिये आकस्मिक सहायता के तौर पर कोई विशेष सहायता प्रदान की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) मकान बनाने के लिये ।

(ख) जी नहीं ।

हिन्द महासागर की वैज्ञानिक खोज

†३११. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृति-ककार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसंधान जहाज "वितयाज" ने हाल ही में ९७४५ फुट की गहराई के तल पर हिन्द महासागर में एक समुन्द्री जन्तु के बहुत बड़े मार्गों की हाल ही में फोटो ली है, जिन के बारे में विज्ञान को पता नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस जन्तु का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). सरकार को इस की सूचना नहीं है ।

जीवन बीमा निगम की पालिसियों का व्यपगत होना

३१२. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम द्वारा जारी की गई पालिसियों में व्यपगत पालिसियों के अनुपात में क्रमशः वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

रामरूप विद्या मंदिर हायर सेकेन्डरी स्कूल, कमला नगर, दिल्ली

†३१३. **श्री कुन्हान :** क्या **शिक्षा** मंत्री ३० अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९०४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राम रूप विद्या मन्दिर हायर सकेंडरी स्कूल, कमला नगर दिल्ली में जो अनाधिकृत शुल्क लिये जाते हैं उनके ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) क्या स्कूल के पदाधिकारियों ने ये शुल्क लेना बन्द कर दिये है ;

---

†म त अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, किस तिथि से ;

(घ) क्या अल्पाहार शुल्क वैकल्पिक बना दिया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो उस के बाद कितना अल्पाहार शुल्क एकत्रित किया गया है ; और

(च) पहले अनिवार्य रूप में लिये गये शुल्क की तुलना में ये आंकड़े कैसे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) (१) अनिवार्य आधार पर पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कार्यवाहियों के लिये ४ रुपये मासिक शुल्क ।

(२) लड़कों से जिस दर पर पढ़ाई का शुल्क लिया जाता है उसी दर पर लड़कियों से शुल्क लिया जाता है (लड़कियों के लिये निर्धारित शुल्क लड़कों के लिये निर्धारित शुल्क से कम होता है) ।

(३) अनिवार्य आधार पर ४ रुपये मासिक अल्पाहार शुल्क के तौर पर ।

(४) लड़कियों से खेलों का शुल्क लिया जाना चाहिये, उस से अधिक लिया जाता है ।

(५) अनिवार्य तौर पर लेखन सामग्री शुल्क १ रुपया मासिक की दर पर ।

(ख) और (ग). उपरोक्त (२) को छोड़ कर अभी नहीं । स्कूल ने अक्तूबर, १९६० से निर्धारित दर पर लड़कियों से शुल्क लेना आरम्भ कर दिया है ।

(घ) अभी नहीं ।

(ङ) और (च). सवाल पैदा नहीं होता ।

हरिजनों के लिये भूमि

३१४. श्री बाल्मीकी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि दिल्ली में जहां चकबन्दी चल रही है हरिजनों के लिये आवास, तथा अन्य सामाजिक कार्यों के लिये न केवल जमीन न के बराबर छोड़ी जा रही है बल्कि उन की अपनी जमीनें छीनी जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि ग्रामों में वे स्थान, जिन पर हरिजनों की झोंपड़ियां हैं, उन के नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें उन पर स्वामित्व के अधिकार देने के हेतु क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) चकबन्दी में हरिजनों के आवास के लिये बहत काफ़ी जमीन सुरक्षित रखी गई थी और उन से जमीन छीनी जाने का सवाल ही नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गंगा की घाटी में तेल का सर्वेक्षण

†३१५. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा की घाटी में किये गये भूकम्पीय काम से पता चला है कि वहां तेल मिलने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय के कर्मचारियों का स्थायीकरण

†३१६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३० अगस्त १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय, नई दिल्ली के ८० प्रतिशत कर्मचारियों को स्थायी बनाने के बारे में आदेश जारी किये जा चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय के ८० प्रतिशत अस्थायी प्रविधिक पदों को स्थायी पद बनाने के बारे में आदेश अधिकांशतः जारी किये जा चुके हैं । अन्य मामलों में जहां ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है, विचार किया जा रहा है । चौथी श्रेणियों के बारे में भी ऐसा किया गया है । अतैनिक अफसरों, पर्यवेक्षकों, क्लर्कों और स्टैनोग्राफरों के ८० प्रतिशत अस्थायी पदों को स्थायी बनाने का मामला विचाराधीन है ।

लोहा अयस्क की खानें

†३१७. **श्री राम गरीब** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि मैसर्स इंडिया स्टोन लाइम कम्पनी सब्जीमंडी दिल्ली के पास भारत में लोहा अयस्क की कुछ खानें हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और कहां कहां ;

(ग) कंपनी ने १९५६ से १९६१ तक वर्षवार कितना उत्पादन किया ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कंपनी अन्य खान मालिकों के बराबर लोहा अयस्क उत्पादन करने में असफल रही है ; और

(ङ) यदि हा, तो इस बारे में सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) इस समय कोई नहीं ।

(ख) मैसर्स इंडिया लाइम कंपनी सब्जीमंडी दिल्ली के मालिक श्री अमरसिंह को भूतपूर्व पैप्सू सरकार ने महेन्द्रगढ़ जिला में छत्रड़ा बीबीपुर, आन्तरी, जेनपुर और बेहारीपुर गांवों में ३०२ एकड़ से अधिक भूमि में, ५-३-५४ को लोहा अयस्क के लिये खनन का पट्टा दिया था । फर्म ने पंजाब

†मूल अंग्रेजी में

सरकार को रायल्टी (स्वामित्व) तथा अन्य शुल्क नहीं दिये । राज्य सरकार ने १७-५-६१ को कम्पनी को नोटिस जारी कर दिया है कि वह राज्य का शुल्क दे दे, परन्तु फर्म ने शुल्क नहीं दिये, इसलिये पट्टा समाप्त हो गया ।

(ग) १९५६ से १९६१ तक वर्षवार खानों से उत्पादित लोह अयस्क के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

वर्ष	टनों में मात्रा
१९५६	२९०५
१९५७	..
१९५८	..
१९५९	१००
१९६०	२९६४
१९६१ (जनवरी से अप्रैल)	९४८

(घ) उत्पादन कम था क्योंकि खान में उत्पादित लोह अयस्क में फासफोरस की मात्रा अधिक थी और उस के लिये तैयार बाजार उपलब्ध नहीं था ।

(ङ) सवाल पैदा नहीं होता ।

आंध्र संगठनों को सांस्कृतिक अनुदान

†३१८. **श्री रामम् :**
श्री त० ब० विट्ठलराव :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ और १९६१-६२ में अब तक आन्ध्र प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यों की उन्नति के लिये किन-किन संगठनों को अनुदान दिये गये थे ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में प्रत्येक को कितनी-कितनी रकम मंजूर की गई थी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :**

(क) और (ख). संगठन का नाम	रकम (रुपये)
१. दरातुलम-आरिफ-इल-उस्मानिया, हैदराबाद	४०,०००
२. आन्ध्र सारस्वत परिषद्, हैदराबाद	२५,०००
३. रामकृष्ण मिशन आश्रम, विशाखापत्तनन्	२०,०००
४. श्री राम विलास सभा, चित्तूर	१५,०००
५. अबुल कलाम आजाद ओरियन्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट	१०,०००
६. न्यू पूर्णानन्द ड्रामाटिक थियेटर्स (सुरभि), हैदराबाद	७,५००
७. इस्लामिक कल्चर बोर्ड, हैदराबाद	५,०००
८. नरसापुर महिला संघम्, नरसापुर	३,०००
९. इदारा-ए-अदबियन उर्दू, खैराताबाद (हैदराबाद)	२,५००
१०. दी एकेडेमी ऑफ़ भरत नाट्यम्, हैदराबाद	१,०००

†मूल अंग्रेजी में

	१९६१–६२ रुपये
१. इस्लामिक कल्चर बोर्ड, हैदराबाद . . .	५,०००
२. आन्ध्र साहित्य परिषद्, काकिनाडा . .	२,६२५
३. इस्लामिक पब्लिकेशन्स सोसाइटी, हैदराबाद	२,५६०
४. सदैदिया लायब्रेरी असोसियेशन, हैदराबाद .	७००
५. आन्ध्र हिस्टॉरिकल रिसर्च सोसाइटी, राजामुन्दरी . .	५००

जनगणना

†३१९. **श्री बसुमतारी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ की पिछली जनगणना में भारत की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का अलग हिसाब रखा गया था ताकि आर्थिक आधार पर उन की जनसंख्या निर्धारित की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार उन की जनसंख्या क्या है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा):** (क) जी हां, लेकिन यह न केवल आर्थिक विशेषताओं संबंधी आंकड़े बल्कि दूसरे पहलुओं जैसे शिक्षा, विवाह आदि के बारे में भी आंकड़े इकट्ठे करने के लिये किया गया था ।

(ख) इकट्ठे किये गये आंकड़ों का संकलन इस प्रयोजन के लिये स्थापित किये गये विभिन्न कार्यालयों में हो रहा है । आशा है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या १९६२ के मध्य तक उपलब्ध हो जायेगी ।

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त की गयी मोटर गाड़ियां

†३२०. **श्री सुबिमल घोष :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई के सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने कुछ मोटर गाड़ियां (विशषकर कारें) जब्त की हैं ।

(ख) यदि हां, तो १९५७ से १९६१ तक दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई में ऐसी कितनी छोटी मोटर गाड़ियां (कार्स) जब्त की गईं ;

(ग) प्रत्येक कार की अलग-अलग कीमत क्या है ;

(घ) क्या इन गाड़ियों को नीलाम किया गया था ;

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक गाड़ी के लिये नीलाम में कितनी-कितनी रक़म मिली ;

(च) क्या कुछ गाड़ियां सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारी इस्तेमाल करते हैं ;

(छ) यदि हां, तो ऐसी कितनी गाड़ियां हैं और उन की कीमत क्या है ; और

(ज) किस की इजाज़त से या मंजूरी से ये गाड़ियां स्टाफकार के तौर पर काम में लाई जाती हैं?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) से (ज). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशों में प्रशिक्षण के लिये तेल प्रविधिज्ञ

†*३२१. **श्री सुविमल घोष :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल-प्रविधिज्ञों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग भेजता है ;

(ख) यदि हां, तो १९६० और १९६१ में अब तक कितने प्रशिक्षार्थी और किन-किन देशों को भेजे गये हैं ;

(ग) क्या प्रशिक्षण के लिये विदेश जाने वाले तेल प्रविधिज्ञों को यह वचन देना पड़ता है कि वे वहां शादी नहीं करेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) १९६० में २९ प्रविधिज्ञों को प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा गया था; १२ को रूस, ६ को अमेरिका, ५ को फ्रांस, २ को रूमानिया, २ को कनाडा, १ को इटली और १ को पश्चिमी जर्मनी भेजा गया था। १९६१ में, ८२, प्रविधिज्ञों को प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा गया था ; ६७ को रूस, १ को रूस/अमेरिका/कनाडा, २ को पश्चिम जर्मनी, ५ को कनाडा, ३ को फ्रांस, १ को ब्रिटेन और २ को अमेरिका और १ को रूस/हंगरी में भेजा गया था ।

(ग) जी हां ।

(घ) युवक प्रशिक्षार्थियों के लिये यह अनुपयुक्त समझा गया कि वे अपना अध्ययन करने की बजाय सामाजिक भेंट मुलाकातों में अपना समय खर्च करें।

दिल्ली में उपभोक्ता माल का मूल्य देशनांक

†३२२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली को 'ए' वर्ग का शहर घोषित करने के बाद दिल्ली में उपभोक्ता माल का मूल्य देशनांक कितना ब गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : दिल्ली २५ जुलाई, १९६१ को १ जुलाई, १९६१ से 'ए' वर्ग का शहर घोषित किया गया था। दिल्ली के लिये कर्मचारी वर्ग उपभोक्ता मूल्य देशनांक (१९४९–१००) जुलाई, १९६१ और अगस्त, १९६१ में १३० रहा। सितम्बर, १९६१ में वास्तव में वह कम हो गया और देशनांक १२८ रहा।

---

†मूल अंग्रेजी में

आई० सी० एस० पदाधिकारियों का वेतन

†३२३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री सूपकार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १४ अगस्त, १९४७ के बाद बनाये गये पदों पर आई० सी० एस० पदाधिकारियों का वेतन निश्चित करने के संबंध में अन्तिम निश्चय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). इस विषय पर अभी छानबीन हो रही है।

सेना भूमि और छावनियों के निदेशक की नियुक्ति

†३२४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना भूमि और छावनियों के निदेशक के पद पर नियुक्ति आई० ए० एस० पदाधिकारियों में से किसी की की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री राघुरामैया) :** (क) से (ग). वर्तमान नियमों के अधीन, सेना भूमि और छावनियों के निदेशक पद पर भरती सेना भूमि और छावनियां सेवा की प्रशासनिक श्रेणी में से किसी को पदोन्नति करके की जाती है लेकिन सरकार उस पद पर अखिल भारतीय सेवा के किसी पदाधिकारी को भी नियुक्त कर सकती है। इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है।

बीज उत्पादन योजना

†३२५. **श्री अगाड़ी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में बीज उत्पादन योजना के कार्य का सर्वेक्षण करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को ;

(ग) समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(घ) अभी तक किन-किन राज्यों में सवक्षण किया जा चुका है ;

(ङ) क्या सभी राज्यों में सर्वेक्षण करने का सरकार का विचार है ;

(च) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाने और रिपोर्टें पेश होने की संभावना है ; और

(छ) समिति की स्थापना से लेकर आज तक कितना खर्च हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (छ). विवरण सभा पटल जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २९]।**

दुजाना के नवाब

†३२६. **श्री अगाड़ी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०८६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुजाना के नवाब अनुमति पत्र या अनुज्ञा से पाकिस्तान गये हैं ; और

(ख) किस वर्ष से उन्होंने अपनी निजी थैली नहीं ली है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). नवाब १९४७ में उपद्रवों के दौरान पाकिस्तान गये थे। उन्होंने भारत सरकार को अनुमति नहीं मांगी थी। दिसम्बर, १९४७ में उन्होंने लगभग २ लाख रुपये की रकम राज्य निधि से अनियमित रूप से ले ली। ब्याज के साथ उस रकम को बसूली के लिये २,३५,४६४ रुपये ४ आने की रकम१९४८ से १९५५ तक के वर्षों के लिये नवाब को निजी थैली से काट ली गयी। इसके बाद नवाब की निजी थैली के तौर पर उन्हें कोई भुगतान नही किया गया।

आयकर संग्रह

†३२७. **श्री अगाड़ी** :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री रामपुरे :
श्री सुगन्धि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारतीय राज्य सरकारों ने आयकर विभाजनीय संग्रह ७५ प्रतिशत तक बढ़ा देने का कोई सुझाव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या राय है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) सरकार को ऐसे किसी सुझाव के बारे में जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पदोन्नति में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण

†३२८ **श्री माने** :
श्री बाल कृष्ण वासनिक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लिये पदन्नोति-पदों (प्रोमोशन पोस्ट्स) आरक्षण की अनुमति देने वाले उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये सरकार को अनुसूचित जाति संगठनों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न विचाराधीन है ?

नये इनामी बान्ड योजना

†३२९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनामी बांड की नयी श्रंखला जो वापसी अदायगी की किसी निश्चित तारीख से संबद्ध नहीं है, जारी करने का सरकार का विचार है जिससे बान्ड रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बराबर-बराबर संख्या में अवसर प्राप्त हों ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस योजना का अन्य ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ऐसा कोई निश्चय नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

†३३०. { **श्री रामम् :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **वित्त** मंत्री ४ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२८१ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के बारे में रिजर्व बैंक के एक भूतपूर्व क्षेत्रीय निदेशक के विरुद्ध जांच पड़ताल पूरी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) निदेशक का नाम क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) भारत के रिजर्व बैंक के भूतपूर्व क्षेत्रीय निदेशक के विरुद्ध जांच पड़ताल इस बीच पूरी हो गयी है और न्यायिक कार्यवाहियां शीघ्र ही शुरू हो जायेंगी।

(ख) और (ग). चूंकि न्यायिक कार्यवाही अभी जारी है, इसलिये वे ब्यौरे बताना उचित नहीं है।

भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली ।

†३३१. **श्री कुन्हन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विद्या भवन, नयी दिल्ली में भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिये कोई अध्यापक नहीं है ;

(ख) क्या इसकी कोई जांच की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिकर भत्ता

†३३२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को अपने मकान किराया तथा शहर प्रतिकर भत्ते से होने वाला लाभ कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को होने वाले लाभ से कहीं अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो अधिकतम तथा न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारियों का लाभ कितना कितना है ; और

(ग) क्या कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाने को कोई योजना है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) और (ख). यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य किस लाभ के बारे में कह रहे हैं —दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के कारण होने वाले लाभ या और किसी लाभ के बारे में। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 'ए' 'बी' और 'सी' वर्ग के शहरों में १ जुलाई, १९५९ से पहले और बाद में देय प्रतिकर तथा मकान किराया भत्ते की दरें दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या** ३०] उस विवरण से यह दिखायी पड़ेगा कि विभिन्न श्रेणियों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 'ए', 'बी', 'सी' वर्ग के शहरों में (१) देय भत्तों की दरों और (२) शहरों के वर्गीकरण के संबंध में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के फलस्वरूप कितना कितना लाभ हुआ है।

(ग) अभी फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कोणार्क

†३३३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने २ करोड़ रुपये की लागत से उड़ीसा में कोणार्क मंदिर के कुछ हिस्से को फिर से बनाने की कोई योजना अपने मंत्रालय को पेश की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने ऐसी किसी योजना की छानबीन करके उसपर स्वीकृति दी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व की पुस्तकें

†३३४. **श्री अगाड़ी :**
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व की २०,००० से अधिक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें और पांडुलिपियां मंगोलिया, जापान, इंडोनेशिया, साइबेरिया और

---

†मूल अंग्रेजी में

फिनलैंड में उपलब्ध हैं जैसा कि अक्तूबर, १९६१ में श्रीनगर में हुये अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन में बताया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विद्वानों को अध्ययन के लिये और इन पुस्तकों और पांडुलिपियों को इकट्ठी करने के लिये भेजने की कोई योजना है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) भारत सम्बन्धी पुस्तकें और पांडुलिपियां पड़ौसी देशों में तथा सुदूर के देशों में पायी जाती हैं लेकिन उनकी संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है और वह आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकतीं ।

(ख) सरकार समय समय पर विद्वानों को विदेशों में भेजा करती है ।

सरकारी नौकरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के अभियोग

†३३५. { **श्री अगाड़ी :**
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी कर्मचारियों के वि द्ध भ्रष्टाचार के अभियोग के सम्बन्ध में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा अगस्त, १९६१ में शुरू की गयी खुली जांच पूरी हो गयी है ;

(ख) कितने और किन किन श्रेणियों के पदाधिकारियों के खिलाफ यह जांच हो रही है और उसका क्या नतीजा निकला ;

(ग) प्रत्येक कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नहीं हो तो जांच संभवतः कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**:(क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३१]**

जोधपुर के पास विमान दुर्घटना

†३३७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १९६१ में मंदौर, जोधपुर के निकट एक विमान दुर्घटना में भारतीय विमान बल के दो पदाधिकारी मारे गये थे ;

(ख) क्या दुर्घटना की कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निर्णय है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) दुर्घटना में भारतीय विमान बल का एक पदाधिकारी और एक भारतीय नौसैनिक पदाधिकारी मारा गया था ।

(ख) और (ग). जांच न्यायालय का आदेश दिया जा चुका है। न्यायालय के निर्णय अभी तैयार नहीं हुये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

धातुमिश्रित इस्पात का निर्माण

†३३८. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान तथा ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के जिला सैलम में धातु मिश्रित, औजारी और विशेष इस्पात निर्माण करने के लिए एक गैर-सरकारी फर्म को लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है और इसमें काम कब प्रारम्भ होने की आशा है ; और

(ग) इस फैक्टरी की स्थापना के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत की आशा है ?

†**इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) ५०,००० टन प्रति वर्ष। लाइसस की शर्त के अनुसार अगस्त, १९६३ में कारखाना पूर्ण रूप धारण कर लेगा ।

(ग) लगभग ८ करोड़ पये प्रति वर्ष ।

दिल्ली के स्कूलों के लिये अध्ययन दल

†३३९. **श्री पहाड़िया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी और विशेषत: ग्राम्य क्षेत्रों में स्कूलों के खराब परीक्षा परिणाम और सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिये केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक अध्ययन दल की नियुक्ति की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जी हां ।

बच्चों के लिये पाठ्य पुस्तकें

†३४०. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या दिनांक २९ अक्तूबर, १९६१ में दिल्ली में वाइस-चांसलरों की मीटिंग में भारत के प्रधान मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि बच्चों की पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसको पूर्ति के लिय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) शिक्षा "राज्य सूची" में वर्णित विषय है अत: पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन और चुनाव का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। दिनांक २८ और २९ अक्टूबर, १९६१ को हुई वाइस चांसलरों की कांन्फ्रेंस की कार्यवाही का वृत्तांत, जिसमें प्रधान मंत्री का भाषण भी सम्मिलित है, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के पास भेजा जा रहा है ।

रेणुका राय समिति रिपोर्ट

†३४१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री १८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य संचालन सम्बन्धी रेणुका राय समिति की सिफारिशों की कार्यन्विति की दिशा में क्या प्रगति हुई है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अधिकांश राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के विचार प्राप्त हो गये हैं और उनका परीक्षण किया जा रहा है।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों की सप्लाई

†३४२. **श्री तंगामणि :**
श्री कुन्हन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड को आल इंडिया कांग्रेस कमेटी से माइक (ध्वनि विस्तारक यंत्र) भारी परिमाण में सप्लाई करने का आर्डर मिला है ;

(ख) यदि हां, तो कितने माइक का आर्डर दिया गया था और कितने सप्लाई हो चुके हैं ;

(ग) आल इंडिया कांग्रेस कमेटी को किस मूल्य पर माइक सप्लाई किये गये हैं ;

(घ) इनका आर्डर कब प्राप्त हुआ था और आर्डर के साथ अग्रिम राशि कब दी गई थी ; और

(ङ) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में प्रति महीने कितने माइक का निर्माण होता है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां।

(ख) माइक की आर्डर की संख्या—१०००।

माइक की सप्लाई की संख्या—२०३।

(ग) बंगलौर तक किराया भाड़ा सहित ४५० रुपये प्रति माइक—बिक्री कर पृथक।

(घ) यह आर्डर जुलाई, १९६१ में मिला था। आर्डर के साथ अग्रिम रकम नहीं प्राप्त हुई थी किन्तु माइक की रवानगी के कागज वसूली के लिये बैंक को सार्फत भेजे जाते हैं।

(ङ) प्रति महीने उत्पादन में परिवर्तन होता रहता है। अप्रैल से सितम्बर, १९६१ तक भारत लेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने ३५८ माइक का उत्पादन किया है।

कोयले सम्बन्धी समस्याएं

†३४३. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **[स्पात, खान तथा इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कीमतें, उत्पादन और वितरण सम्बन्धी समस्याओं पर २८ अक्तुबर, १९६१ को केन्द्रीय सलाहकार परिषद की मीटिंग में चर्चा की गई थी :

(ख) यदि हां, तो मीटिंग में किन विशिष्ट विषयों पर चर्चा की गई थी और उसका क्या परिणाम हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान तथा इंधन मंत्री (सरदार स्वरण सिंह)** : (क) और (ख). जी हां, । मीटिंग में जिन विविध विषयों पर चर्चा की गई थी उनमें से मुख्य बातें कोयला का वितरण, परिवहन कठिनाइयां, समु मार्ग द्वारा कोयले को ले जाने की योजना कार्यान्वित करने में कठिनाई, कोयला चयन, कम दूरी पर कोयला केवल सड़क मार्गों द्वारा ही ले जाने की योजना, सम्पूर्ण देश में कोयले का समान एकत्र मूल्य का स्ताव और उद्योगों द्वारा मट्टी के तेल को अपनाने की सम्भावना थीं । इन सब विषयों पर पहले वाली १३ और १४ सितम्बर, १९६१ की कोयला कान्फ्रेंस में भी चर्चा की गई थी । इस कान्फ्रेस में सभी हितों का प्रतिनिधान दिया गया था । सरकार ने जहां यह निर्णय किया है कि कोयले के लिये एकसमान कीमत व्यवहार्य नहीं है, उपरोक्त अन्य समस्याओं पर सरकार निरन्तर ध्यान दे रही है ।

उत्तर प्रदेश में तेल की खोज

†३४४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान तथा इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी तैल विशेषज्ञों ने उत्तर प्रदेश में, हिमालय के दक्षिण और एलूवियल क्षेत्रों का भगर्भ सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इन मैदानों में तेल और गैस प्राप्त करने का आशाजनक अवसर की घोषणा की है ; और

(ग) यदि हां, तो इन विशेषज्ञों की सम्मति को ध्यान में रखते हुये इनकी खोज के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

डिगबोई का तेल शोधक कारखाना

†३४५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान तथा इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम तेल समवाय के डिगबोई तेल शोधक कारखाने ने वहां पर बिटुमन के उत्पादन को बढ़ाने की योजना का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना क्या है ; और

(ग) स विषय में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

स्कूल के बच्चों के लिये कैनवास के थैले

†३४६. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के सुझाव पर किये गये निर्णय के अनुसार स्कूल जाने वाले बालकों के लिये कैनवास के थैले उपलब्ध कराने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस विषय की वर्तमान में क्या स्थिति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

स्कूलों में प्रयुक्त किये जाने वाले रफ थैलों का सुझाव सब राज्य सरकारों की जानकारी में ला दिया गया था । राज्य के शिक्षा सचिवों और शिक्षा निदेशकों की कान्फ्रेंस में भी इस पर चर्चा की गई थी और राज्य के प्रतिनिधि स्कूलों में इस प्रकार के थैलों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये सहमत हो गये थे । प्रयोगात्मक आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ स्कूलों में स प्रकार के थैले चालू किये हैं ।

दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने नमूने के बतौर कुछ रफ कैनवास के थैले तैयार कराये थे ताकि वह स्कूलों तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में नमूने के रूप में दिये जा सकें और फिर माता पिता उसी नमूने के अनुसार बच्चों के लिये थैले तैयार करा सकें । तैयार किये गये नमूनों में से चुनाव किया जा रहा है ।

केन्द्रीय शिक्षा सेवा

†३४७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक अखिल भारत अथवा केन्द्रीय शिक्षा सेवा के निर्माण के प्रस्ताव पर अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उस की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). केन्द्रीय शिक्षा सेवा की स्थापना की योजना अभी सरकार के विचाराधीन है ।

ज्वालामुखी में तेल निकालना

†३४८. **श्री हेम राज** : क्या **इस्पात, खान तथा ईंधन** मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ज्वालामुखी क्षेत्र में तेल निकालने के अभिप्राय से निर्मित सड़कों और इमारतों को प्रयोग के लिये किये गये निर्णय का क्या स्वरूप है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : यह विषय अभी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विचाराधीन है । जनौरी सिरा तेलकूप क परिणाम के पश्चात् निर्णय करने की संभावना है ।

सैनिक पेंशनर

†३४९. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुराने सैनिक पेंशनरों (१९५३ के पश्चात् सेवानिवृत) के पेंशन में वृद्धि करने के मामलों पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार के सब मामलों की फाइलें डाकखानों को भेज दी गई हैं किन्तु सही रकम के बारे में हिसाब पूरा न होने के कारण वे डाकखानों में एकत्र हो गई हैं और उन्हें पेंशन देने के कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या इस कार्य के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है ;

(ङ) क्या यह अतिरिक्त कर्मचारी डाक विभाग से उपलब्ध होंगे अथवा प्रतिरक्षा विभाग से ; और

(च) डाकखानों में इन अतिरिक्त व्यक्तियों के उपबंध के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (च). कम पेंशन वाले सशस्त्र बल के पेंशनरों की विभिन्न श्रेणियों में अस्थायी वृद्धि की दरें बढ़ाने के लिये ३१ दिसम्बर, १९६० को सरकारी आदेश जारी किये गये थे । फरवरी, १९६१ में जारी किये गये प्रेस नोट में यह बताया गया था कि प्रतिरक्षा लेखे (पेंशन) इलाहाबाद और पेंशन वितरक अधिकारी (जिनमें पोस्ट मास्टर भी सम्मिलित हैं) जो सारे देश में ही हैं, को सरकार के आदेशों की पूर्ण कार्यान्विति करने, वृद्धिगत दरों से पेंशन देने तथा इससे उत्पन्न १ अप्रैल, १९५८ से बकाया राशि का भुगतान करने में निश्चय ही समय लगेगा । पैंशनों में अस्थायी वृद्धि की पुनरीक्षित दरों की सूचना देने वाले पेंशन अदायगी आदेश, प्रतिरक्षा लेखा (पेंशन) नियंत्रक इलाहाबाद की ओर से ३१ अक्टूबर, १९६१ तक १,१३,६६० मामलों में जारी कर दिये गये हैं यह सब आदेश ही उस अधिकार का रूप धारण कर रहे हैं जिनके अनुसार वैयक्तिक पैंशनरों को पैंशन वितरण अधिकारियों की ओर से यथार्थ भुगतान किया जा रहा है अथवा किया जायेगा । पेंशनरों की उन श्रेणियों में जहां पुनरीक्षित दर से पेंशन का हिसाब लगाने में कोई कठिनाई नहीं है पेंशन वितरक अधिकारियों को पेंशन देने के अधिकार सौंप दिये गये हैं । विभिन्न डाकखानों को फाइलें भेजने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । वृद्धिगत दरों से पैंशन देने के लगभग ४३,००० मामले डाकखानों में निलम्बित हैं ।

प्रतिरक्षा लेखे (पेंशन) नियंत्रक, इलाहाबाद द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि उनके कार्यालय में पेंशन वितरण के जुलाई, १९६१ तक प्राप्त लेखों के अनुसार ३७,००० पैंशनरों को बकाया रकम के रूप में ६९,३७,००० रुपये की अदायगी की जा चुकी है । उसके पश्चात् भुगतान और भी वृहद् संख्या में कर दिया गया होगा ।

इस सम्बन्ध में १ फरवरी, १९६१ से दो वर्ष की अवधि के लिये प्रतिरक्षा लेखे (पेंशन) नियंत्रक, इलाहाबाद के कार्यालयों में कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या बढ़ा दी गई है । जहां तक डाकखानों का सम्बन्ध है, सैनिक पेंशनरों को यथार्थतः पेंशन भुगतान पर कमीशन दिया जाता है । डाकखानों में अतिरिक्त कर्मचारियों को रखने का विषय डाक तथा तार के महानिदेशक के क्षेत्राधिकार में है । डाकखानों के मार्फत भुगतान दिल्ली और पंजाब के सर्कल में किया जाता है । कतिपय अतिरिक्त कर्मचारियों के उपबन्ध तथा पेंशनरों को भुगतान के विषय में एकत्रित मामलों को निबटाने के लिये उपलब्ध जनशक्ति के उपयोग के लिये डाक तथा तार निदेशालय द्वारा आवश्यक अनुदेश जारी किये जा रहे हैं ।

तिरुमल नायक महल से अदालतों को हटाना

†३५०. **श्री तंगामणि** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तिरुमल नायक महल, मदुरै से अदालतों को हटा कर अन्य किसी भवन में ले जाने का है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह कब तक हो जायेगा ; और

(ग) निर्णय की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

इस्पात कारखानों में उपोत्पादों का उत्पादन

†३५१. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में, कारखाने और मदवार कितनी मात्रा में उपोत्पादों का उत्पादन हुआ ;

(ख) कथित वर्ष में कितनी मात्रा में उपोत्पादों का देश में उपयोग किया गया तथा निर्यात किया गया ;

(ग) कौन-कौन देश इन उपोत्पादों का आयात कर रहे हैं ; और

(घ) आयात करने वाले प्रत्येक देश कितने मूल्य तथा मात्रा के उपोत्पादों का आयात कर रहे हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३२]**

सुपारी के मूल्य

†३५२. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सुपारी पर करारोपण बढ़ जाने के बाद देशी तथा विदेशी किस्म की सुपारी के मूल्यों में कोई अन्तर है ;

(ख) दोनों किस्मों की सुपारी के मूल्यों को समान रखने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) कर समेत इसका वर्तमान मूल्य क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ग). मद्रास की आयात की गई तथा देसी, कलकत्ते की आयात की गई और शिमोगा की देसी सुपारी के चालू के वर्ष के साप्ताहिक लोक भाव दिखाने वाला विवरण संबद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३३]**

(ख) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई है ।

मुख्य न्यायाधीश

†३५३. { **श्री अगाड़ी** :
श्री शंकरैया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तक स्थानापन्न मुख्य न्यायाधीश काम कर रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में तथा स्थानापन्न मुख्य न्यायाधीश कब से इस पद पर काम कर रहे हैं ;

(ग) मुख्य न्यायाधीशों को कब तक नियुक्त कर देने की आशा है ;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में राज्यों से बाहर के एक तिहाई न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तक निम्नलिखित प्रत्येक उच्च न्यायालयों में उनके सामने दिखाई गई तिथियों से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किये गये हैं :—

१. केरल उच्च न्यायालय	१ अक्टूबर, १९६१
२. मैसूर उच्च न्यायालय . .	१४ अगस्त, १९६१
३. राजस्थान उच्च न्यायालय . .	११ अक्टूबर, १९६१

(केरल के उच्च न्यायालय में स्थाई रिक्त स्थान २६ नवम्बर, १९६१ को हुआ था और स्थाई मुख्य न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति से पहले की छुट्टी के लिये आरम्भ में स्थानापन्न नियुक्ति की गई थी ;)

इन उच्च न्यायालयों में स्थायी मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है।

(घ) उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायधीशों को राज्य से बाहर से नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु इससे यह मतलब नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश बाहर का नहीं होगा।

(ङ) सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि उच्च न्यायालय के एक तिहाई न्यायाधीश राज्य के बाहर के हों। इस बात को खंड परिषदों, राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिया है और अगस्त में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने भी इसका समर्थन कर दिया है। इस निर्णय को लागू करने के लिये सभी प्रयत्न किये जाने चाहियें और इसी-लिये १ नवम्बर १९५६ से विभिन्न उच्च न्यायालयों में तीन मुख्य न्यायाधीश समेत १५ नियुक्तियां बाहर से की गई हैं।

पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिये होस्टल

†३५४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ में आवास योजनाओं के लिये पंजाब के लिये आवंटित धनराशि में से अनुसूचित जातियों के लिये होस्टल भवन के निर्माण के लिये कोई रकम व्यय की गई है ; और

(ख) वर्ष में कितने होस्टल भवनों का निर्माण पूरा हुआ है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). राज्य सरकारों से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी मे

ढलाई, सीमेंट आदि उद्योगों के लिये सहकार्य अनुसधान संस्था

†३५५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वैज्ञानिक अनुवंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ९ अगस्त १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २०७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ढलाई, सीमेंट और मोटर उद्योग के लिये सहकारी अनुसन्धान संस्था बनाने के संबंध में क्या और आगे प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** पंजाब में ढलाई उद्योग के लिये सहकारी अनुसन्धान संस्था बनाने के लिये नियम और विनियमन बन रहे हैं।

सीमेंट उद्योग के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई है और उद्योग से प्रस्तावों की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

उद्योग के लिये अनुसन्धान व परीक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिये मोटर निर्माता संघ के परामर्श के लिये कोलम्बो योजना के अधीन एक विदेशी विशेषज्ञ की सेवायें लेने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

रूस से इल्यूसिन विमान

†३५६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से जितने इल्यूसिन विमानों को मिलने के बारे में बातचीत हुई थी वह सभी भारत पहुंच गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे भारतीय कर्मचारी उन सभी को चला रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो शेष विमान कब तक आ जायेंगे ?

†**प्रतिरक्षा उप-मंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में भूमि

३५७. **श्री बलराज मधोक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सनलाइट इंश्योरेंश कम्पनी द्वारा निर्मित सनलाइट कालोनी की भूमि को १९५७ में दिल्ली सरकार ने अर्जित कर लिया था ;

(ख) उस भमि के सम्बन्ध में अभी तक क्या किया गया है ; और

(ग) जिन लोगों ने वहां प्लाट लिये थे उन्हें क्या सुविधा दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही पूरी हो गई है और मुआवजा प्रस्तुत किया जा चुका है ।

(ग) भूमि अवाप्ति अधिनियम के अधीन देय मुआवजा प्रस्तुत किया जा चुका है तथा कोई अन्य सुविधा देने का विचार नहीं है ।

---

†भूल अंग्रेजी में

ईसाई धर्मप्रचारकों द्वारा चलाये गये स्कूल तथा कालिज

†३५८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय ईसाई धर्म प्रचारकों के चर्चों द्वारा कितने स्कूल तथा कालिज चलाये जा रहे हैं अथवा उनकी संस्थाओं से संबद्ध हैं और उन में कितने विद्यार्थी हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

३५९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ ने मांग की है कि गत वर्ष से इस वर्ष रहन-सहन के मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण वेतन आयोग की सिफारिश को दृष्टिगत रखते हुए मंगाई भत्ते में वृद्धि होनी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अवेरी के जमींदार

†३६०. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्कालाल सैनिक शिविर के लिये पानी का उपयोग करने और चाय की फसल को नुक्सान पहुंचाने के लिये १९५१ में १९६१ अथवा १२ वर्षों के लिये प्रतिकर की बकाया रकम का भुगतान करने का मामला अवेरी के जमींदार से तय हो चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस समय यह किस क्रम पर है ; और

(ग) इन वर्षों के लिये कितना प्रतिकर दिया गया और कितना धन बकाया है तथा किन वर्षों का ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग). सैनिक अधिकारियों द्वारा कुल्ह के पानी के उपयोग के लिये अवेरी के जमींदार के दावे की असैनिक तथा सैनिक अधिकारियों ने मिल कर जांच की है। उनकी अन्तिम सिफारिशें हाल में ही मिली हैं और उनकी जांच की जा रही है ।

१९६० में चाय की फसल के नुक्सान के प्रतिकर के कुछ दावे मिले थे। जिनकी जांच की गई थी । सैनिक अधिकारियों ने यह बताया था कि जलाशय पन्द्रह वर्ष से अधिक से बना हुआ है परन्तु चाय बागानों को नुक्सान होने के बारे में कोई शिकायत पहले नहीं मिली थी। फिर भी गंदला पानी इतना कम था कि उससे चाय बागान को नुक्सान नहीं होना चाहिए । परन्तु जिससे भविष्य में कोई हानि न हो इसलिए एक पक्की नाली जलाशय से नाले तक बना दी गई है ।

कांगड़ा में चांदमारी

†३६१. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ से १९६१ तक कांगड़ा जिले में कितने स्थानों पर चांदमारी हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक स्थान पर कितने व्यक्ति हताहत हुए और प्रत्येक को कितना प्रतिकर दिया गया ; और

(ग) क्या प्रतिकर के सभी मामलों को निबटा दिया गया है अथवा कोई अभी भी लम्बित है ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) कांगड़ा में चांदमारी के क्षेत्र नहीं हैं ।

(ख) और (ग). जनवरी १९६० से निशानेबाज़ी के कारण किसी दुर्घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है । परन्तु १९५७–१९५८ तथा १९५९ में हुई निशानेबाजी के कारण दुर्घटनाओं की जानकारी तथा प्रतिकर के भुगतान की जांच की जा रही है ।

पंजाब रीति रिवाज कानून

†३६२. **श्री हेमराज** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब उच्च न्यायालय ने आल इंडिया रिपोर्टर १९६१ (पंजाब) ४८९ में बताया है कि पंजाब रीति रिवाज कानून के अधीन बताये गये हिन्दू पुरुष के अधिकार धारा ४ और ३० होने पर भी सीमित है जब कि स्त्रियों के असीमित हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि माननीय न्यायाधीशों ने इस उलझन वाली स्थिति की ओर संसद् का ध्यान दिलाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) मामले पर सरकार विचार कर रही है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री हेम बरुआ (गोहाटी)** : देश की सुरक्षा की चर्चा आज देश में सर्वत्र हो रही है । मैंने प्रतिरक्षा मंत्री के वाशिंगटन के वक्तव्य के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव रखा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई स्थगन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं मिल सकती । पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को रखा जाय ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत के जीवन बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: मैं जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा २९ के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के जीवन बीमा निगम की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे सहित सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० ३३०२/६१ ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**इस्पात, खान तथा इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत दिनांक २ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० ३२०१/६१।]

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास)

अधिनियम तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति लिपि पुनः सभा पटल पर रखता हूं।

(क) दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४५५ में प्रकाशित खनन पट्टे (शर्तों में रूप-भेद) संशोधन नियम, १९६१।

(ख) दिनांक ६ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५१ में प्रकाशित खनिज संरक्षण तथा विकास (प्रथम संशोधन) नियम, १९६१।

(ग) दिनांक २२ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९५१ में प्रकाशित खनिज संरक्षण तथा विकास (द्वितीय संशोधन) नियम १९६१।

(घ) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८०।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-२८२९/६१(A) एल० टी० ३०४०/६१।]

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति भी सभा पटल पर रखी जाती है।

(क) दिनांक १६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११३३ में प्रकाशित खनिज रियायत (संशोधन) नियम, १९६१।

(ख) दिनांक ३० सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११९९।

(ग) दिनांक २८ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३०३ में प्रकाशित खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-३३०३/६१।]

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ की धारा ३१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० १२८२ में प्रकाशित तेल तथा प्राकृतिक गैस अयोग (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति भी सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-३३२१/६१।]

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १२ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०१८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० ३२०२/६१।]

अखिल भारतीय सेवायें एक्ट, १९६१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(क) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२४५ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा) संशोधन नियम १९६१।

(ख) दिनांक २८ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३०० में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) दूसरा संशोधन नियम, १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० ३३०४/६१।]

भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: मैं कम्पनीज अधिनियम १९५६ की धारा ६१९—क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण) लेखा—परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० ३२०५/६१।]**

लोक सहायक सेना (संशोधन) नियमों और रक्षित तथा सहायक वायु बल अधिनियम (द्वितीय संशोधन) नियम

†**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : मैं निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) लोक सहायक सेना अधिनियम, १९५६ की धारा ११ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २५७ में प्रकाशित लोक सहायक सेना (संशोधन), नियम १९६१। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० ३३०६/६१।]**

(दो) रक्षित तथा सहायक वायु बल अधिनियम, १९५२ की धारा ३४ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ७ अक्तूबर, १९५१ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २८२ में प्रकाशित रक्षित तथा सहायक वायु बल अधिनियम (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० ३३०७/६१।]**

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त सीमा-शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

कुछ बैंकों के विलय और पुनर्निर्माण सम्बन्धी योजनायें

भारत के औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वित्त उप-मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०७३ ।

(ख) दिनांक २ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०७४ ।

(ग) दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ११०० ।

(घ) दिनांक २३ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ११५३ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—३३०८/६१ ।]**

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक २३ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११५६ जिसमें दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८८ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०७१ ।

(ख) दिनांक २ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या, १०७२ ।

(ग) दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०९९ ।

(घ) दिनांक २३ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ११५२ ।

बैंकिंग कम्पनीज़ अधिनियम, १९४९ की धारा ४५ की उप-धारा (११) के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं की एक एक प्रति :—.

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—३३१०/६१ ।]

(क) दिनांक ८ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २१९२ में प्रकाशित कैथोलिक बैंक लिमिटेड के पुनर्गठन और उसे कनारा औद्योगिक तथा बैंकिंग सिंडीकेट लिमिटेड में मिलाने की योजना **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—३३११/६१ ।]**

(ख) दिनांक १२ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २१९५ में प्रकाशित जोधपुर कमर्शियल बैंक लिमिटेड के पुनर्गठन और उसे सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में मिलाने की योजना ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—३३१२/६१ ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दिनांक ३० सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २३८१ में प्रकाशित बैंक आफ सिटीजन्स लिमिटेड के पुनर्गठन और उसे कनारा बैंकिंग निगम लिमिटेड में मिलाने की योजना।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३३१३/६१।]

(घ) दिनांक ३ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २३८७ में प्रकाशित फाल्टन बैंक लिमिटेड के पुनर्गठन और उसे सांगली बैंक लिमिटेड में मिलाने की योजना।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—३३१४/६१।]

(ङ) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४८५ में प्रकाशित करूर मर्कन्टाइल बैंक लिमिटेड के पुनर्गठन और उसे लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड में मिलाने की योजना। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—३३१५/६१।]**

(च) दिनांक १८ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २६८७ में प्रकाशित पीपल्स बैंक लिमिटेड के पुनर्गठन और उसे कनारा औद्योगिक तथा बैंकिंग सिंडीकेट लिमिटेड में मिलाने की योजना।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—३३१६/६१।]

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत भारत के औद्योगिक वित्त निगम के संचालक मण्डल की ३० जून, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और निगम की आस्तियां तथा दायित्वों तथा लाभ और हानि दिखाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—३३१७/६१।]

पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १८ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त होने वाली छमाही के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—३३१८/६१।]

विदेशी मुद्रा नियमों में संशोधन और डाकघर बचत प्रमाण-पत्र (द्वितीय संशोधन) नियम

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा की ओर से निम्नलिखित पत्र पुनः सभा पटल पर रखता हूं :—

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा विनियमन नियम, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८९७।

(ख) दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९७२।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—३११०/६१।]

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, १९५९ की धारा १२ की उप धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २२ जुलाई १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९४१ में प्रकाशित डाकघर बचत प्रमाण-पत्र (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० ३३१९/६१]।

आगामी सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम के बारे में वक्तव्य

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आगामी आम चुनावों के सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहता हूं।

निर्वाचन आयोग भारत सरकार और राज्य सरकारों से परामर्श करके इस नतीजे पर पहुंचा है कि १९६२ में आम चुनावों के लिये सबसे उपयुक्त समय फरवरी-मार्च का उत्तरार्द्ध रहेगा। आयोग ने लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के आम चुनावों के लिए यह कार्यक्रम बनाया है :—

	केरल और पंजाब को छोड़ कर सब राज्य, मणिपुर और त्रिपुरा	केरल, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश
चुनाव कराने की अधिसूचनाएं	१३ जनवरी	२० जनवरी
नामजदगियों की आखरी तारीख	२० जनवरी	२७ जनवरी
नामजदगियों की जांच	२२ जनवरी	२९ जनवरी
नाम वापस लेने की आखरी तारीख	२५ जनवरी	१ फरवरी
मतदान	१९ से २५ फरवरी	केरल और पंजाब में २४ फरवरी दिल्ली में २५ फरवरी

वोटों की गिनती और नतीजे सुनाने के लिये २५ फरवरी से १ मार्च तक के दिन रखे गये हैं। किन्हीं दुर्घटनाओं के कारण यदि मतदान स्थगित करना पड़े, तो बात दूसरी है। निर्वाचन आयोग को आशा है कि २ मार्च, १९६२ तक चुनावों के प्रायः सारे नतीजे मालूम हो जायेंगे।

हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा के पांच संसदीय चुनाव-क्षेत्रों और कुल्लू के विधान-सभा क्षेत्र में मतदान अप्रैल, १९६२ के अन्तिम तीन या चार दिनों के लिये स्थगित करना पड़ेगा। इनके नतीजे भी ३ मई, १९६२ तक यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले घोषित करने के लिए आयोग आवश्यक प्रबन्ध कर रहा है।

हिमालय के पांच संसदीय चुनाव-क्षेत्रों को छोड़ कर लोक-सभा के सब स्थानों के नतीजे मार्च के पहले सप्ताह में घोषित हो जायेंगे। लेकिन इसके एक सप्ताह या दस दिन के भीतर ही नए मंत्रिमण्डल का निर्माण और नया बजट संसद् में पेश करना सम्भव नहीं होगा। इसलिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

वर्तमान लोक-सभा को ३१ मार्च, १९६२ को भंग करने का विचार है, ताकि मार्च के दूसरे पखवाड़े में यह बजट आदि का थोड़े दिनों का काम निपटा सके।

राज्यों की विधान सभाएं १ मार्च को भंग करने का इसलिये सुझाव दिया गया है, ताकि राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनाव २ अप्रैल, तक पूरे हो सकें। राज्य सभा के एक-तिहाई सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और इन स्थानों के लिये नया चुनाव होगा। यह स्पष्ट है कि राज्य सभा के लिये नई विधान सभाएं ही चुनाव करेंगी। राज्य सभा के चुनावों के लिये अधिसूचना की तारीख ७ मार्च, नामजदगियों की १४ मार्च, नामजदगियों की जांच की १६ मार्च और नाम वापस लेने की १९ मार्च, मतदान की २९ मार्च और परिणाम घोषित करने की ३१ मार्च, रखी गई है।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल १२ मई, १९६२ को समाप्त हो रहा है। नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव इस तारीख से पहले हो जाना चाहिये। इन दोनों पदों के चुनावों के लिये अधिसूचनायें ६ अप्रैल के आसपास निकाली जाएंगी और आवश्यक हुआ तो मतदान ६ मई के आसपास होगा और परिणाम १० मई, १९६२ तक घोषित कर दिया जाएगा।

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : विधान सभाओं के चुनावों की घोषणा २ मार्च, १९६२ तक हो जायेगी। अतः आयोग ने यह प्रस्ताव किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन यह तारीख निश्चित की जाये जिस तारीख तक सारे चुनाव समाप्त हो जायें। यह निश्चय किया गया है कि ३ मार्च, १९६२ को जनता द्वारा नई विधान सभाओं को चुने गये सभी सदस्यों के नाम की घोषणा कर दी जायेगी। तथापि उन्हें विधिवत् निर्मित मान लिया जायेगा। केरल और उड़ीसा की विधान सभाओं को छोड़ कर अन्य विधान सभाओं को भंग कर दिया जायेगा। जायेगा।

हिमालय के निकट स्थित पांच निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़ कर अन्य सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मार्च के पहिले सप्ताह में लोक सभा के चुनावों की घोषणा कर दी जायेगी। अतः यह व्यवहारिक नहीं है कि एक सप्ताह या दस दिन के भीतर ही नया मंत्रिमंडल बना कर बजट संसद् में प्रस्तुत कर दिया जाये। अतः १९५७ की तरह यह प्रस्ताव किया गया है कि वर्तमान लोकसभा की ३१ मार्च, १९६२ में विघटित किया जाये। जिससे कि वह थोड़ा वित्तीय कार्य करने के लिये मार्च, के अंतिम भाग में समवेत हो सके। इस प्रकार वह रेलवे तथा सामान्य बजट प्रस्तुत करे और आवश्यक लेखानुदान पारित करे। लोक सभा के सामान्य चुनावों की समाप्ति की तारीख १ अप्रैल, १९६२ रखी गई है उसके अगले दिन ही उसके विधिवत् सम्पन्न होने की घो णा कर दी जायेगी।

वर्तमान विधान सभाओं को समय से कुछ पूर्व अर्थात् १ मार्च को इस कारण भंग किया जा रहा है, जिससे कि राज्य सभा के द्विवर्षीय चुनाव २ अप्रैल को समाप्त हो जायें। यह वांछनीय है कि नई विधान सभायें ही राज्य सभा के लिये सदस्यों का चुनाव करें। चुनाव आयोग ने द्विवर्षीय निर्वाचन के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम निश्चित किया है।

अधिनियम की धारा १२ के अधीन अधिसूचना . .	७ मार्च
नामनिर्देशन की अंतिम तारीख .	१४ मार्च
नामनिर्देशन पत्रों की जांच	१६ मार्च
नाम वापसी की अंतिम तारीख	१९ मार्च
चुनाव	२९ मार्च
समाप्ति	३१ मार्च

वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पदावधि १२ मई, १९६२ को समाप्त होगी। उनका चुनाव उस तारीख के पूर्व कर लिया जायेगा। चुनाव आयोग ने यह प्रस्ताव किया है कि इनके चुनाव का कार्यक्रम अल्पाधिक १९५७ की तरह ही रहे। इनके चुनाव की अधिसूचनायें ६ अप्रैल को जारी की जायेंगी। आवश्यक होने पर यह चुनाव ६ मई या इसके पूर्व होगा तथा परिणामों की घोषणा १० मई, १९६२ को कर दी जायेगी।

मैं प्रधान मंत्री की ओर से उक्त विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-३३२०/६१।]**

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मतदान के दिन को विशेष कर औद्योगिक क्षेत्र में, सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया जाये ताकि कर्मचारी चुनावों में भाग ले सकें।

†**श्री अ० कु० सेन** : आम तौर पर मतदान के लिये सार्वजनिक छुट्टी या रविवार का दिन निर्धारित किया जाता है। जहां तक औद्योगिक क्षेत्रों का सम्बन्ध है चुनाव आयुक्त इस बात पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : यद्यपि चुनाव आयोग मतदान के दिन को सार्वजनिक छुट्टी का दिन घोषित कर देता है तथापि मिल मालिक इसे छुट्टी का दिन घोषित नहीं करते हैं फलस्वरूप मजदूर मतदान करने नहीं आ पाते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय को इन की नाइयों का ख्याल करना चाहिये।

असम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में लागू असम नगरपालिका अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य बहुत सामान्य है। इम्फाल म्यूनिसिपल बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि मनीपुर की नगरपालिका चुनावों में वयस्क मताधिकार लागू कर दिया जाये। इस सिफारिश को मनीपुर की सलाहकार समिति ने १० फरवरी १९६१ को स्वीकार कर लिया। भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार करने योग्य समझा।

इस सिफारिश को अमल में लाने के लिये आसाम नगरपालिका अधिनियम, १९५६, जिस रूप में मनीपुर में विस्तृत है, उसे संशोधन करना आवश्यक समझा गया। आसाम नगरपालिका के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करमरकर]

वर्तमान अधिनियम में इस बात के अलावा कि व्यक्ति को २१ वर्ष का तथा वहां का नागरिक होना चाहिए; यह भी उपबंध किया है कि उसने विहित अवधि के पहिले बारह महीनों में कम से कम १ रु० कर दिया हो या वह ऐसे संयुक्त परिवार का सदस्य हो जिसको इस मद के अधीन मत देने का अधिकार हो, अथवा वह किसी विश्वविद्यालय का स्नातक हो। अब यह निश्चय किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जोकि वयस्क हो उसे मतदान का अधिकार दिया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री ले० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इम्फाल नगरपालिका के पहिले चुनाव १९५७ में हुए थे। उस समय यह चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर हुए थे तथा इस में केवल एक वर्ग मील में रहने वाली जनता ने भाग लिया था। यद्यपि इस नगरपालिका का जीवन आज से दो वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गया था तथापि जनता की इच्छाओं के विरुद्ध इसकी आयु दो वर्ष और बढ़ा दी गयी। वस्तुतः यह चुनाव बहुत पहिले ही हो जाने चाहियें थे।

(श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए।)

हमारी इस सम्बन्ध में यह शिकायत है कि नगरपालिका के अधिकारियों को अधिनियम के आधार पर मतदाता सूचियां बताने के लिये व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी जो दुर्भाग्य से नहीं की गई।

वर्तमान बोर्ड के चुनावों में विलम्ब न होने दिया जाये। इस प्रयोजन के लिये कुछ अवधि निर्धारित कर दी जाये। मुख्य आयुक्त से कह दिया जाये कि वे वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि अर्थात् ३१ मार्च, १९६२ से तीन महीने के अन्दर चुनाव आयोजित करें।

नगरपालिका के वार्डों का गठन मनमाने ढंग से किया गया है। नगरपालिका के अधिकारी इस सम्बन्ध में राजनीतिक उद्देश्यों को कोई स्थान न दें।

नगरपालिका के आयुक्त को कुछ भत्ता मिलना चाहिए।

इम्फाल नगरपालिका के विकास के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं। इस से सभी व्यक्ति जो वयस्क हैं उन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त होगा। इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहती हूं कि कलकत्ता में अभी भी वयस्क मताधिकार नहीं है और इस प्रकार वह उन अधिकारों से वंचित हैं जोकि देश के अन्य भागों के लोगों को प्राप्त हैं।

हमें विधेयक पर विचार इस बात को ध्यान में रखते हुए करना है कि मनीपुर में अब तक अपना विधान मंडल नहीं है और कोई निर्वाचित सरकार भी नहीं है। इन परिस्थितियों में पूरे अधिनियम की जांच अधिक सावधानी से की जानी चाहिये थी। मूल अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण पहलू ऐसे हैं जिन की जांच की जानी चाहिये थी। और उनमें संशोधन किया जाना चाहिये था। राज्य सरकार को बहुत व्यापक प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं और इस विशिष्ट मामले में उन का प्रयोग मुख्य आयुक्त द्वारा किया जायेगा। यह उचित न होगा। इन शक्तियों को सीमित किया जाना चाहिये था

†मूल अंग्रेजी में

कई ऐसी भी सम्पत्तियां हैं जिन का मनीपुर राज्य में दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसा कि श्री ले० अचौ सिंह ने कहा है इम्फाल के बीचों बीच में ही नगरपालिका की एक ऐसी भूमि है जिसे अनुचित दामों में बेच दिया गया। वस्तुतः ऐसी बातें सभी नगरपालिकाओं में होती रहती हैं। उदाहरणार्थ राज्य की नगरपालिकाओं में निशुल्क शिक्षा नहीं है जब कि गांवों में निशुल्क शिक्षा है।

नगर पालिकाओं में सफाई की बहुत उपेक्षा की जाती है। मनीपुर और त्रिपुरा में और भी खराब हालत है। इस सम्बन्ध में यदि व्यापक अधिनियम बना दिया जाता तो बहुत अच्छा था।

अन्त में मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहती हूं कि नियम बनाने की बहुत व्यापक शक्तियां दी गयी हैं। इन शक्तियों के अन्तर्गत मतदाताओं की अर्हतायें, अनर्हतायें, पंजीयन तथा कदाचार इत्यादि का विहित करना है। वहां कोई विधान सभा नहीं है अतः इन नियमों को सभा पटल पर रखा जाये। जिस से कि इन क्षेत्रों से आने वाले सदस्य किसी बात के अनुचित होने पर उस पर आपत्ति प्रगट कर सकें।

मैं चाहती थी कि इस सम्बन्ध में अधिक आदर्श विधेयक बनाया जाता तथापि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिमा है।

†**श्री करमरकर :** इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि म्यूनिसिपल्टी की शीघ्र स्थापना की जाये। हम चाहते हैं कि यह चुनाव भी संसद् के चुनावों के साथ ही हो सकें। हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि चुनावों में और अधिक विलम्ब नहीं होवे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कई उपयोगी सुझाव दिये हैं तथापि उन में से कोई भी प्रस्तावित संशोधनों को देखते हुए संगत नहीं है। उन्होंने अच्छे आचार के सम्बन्ध में जो कुछ कहा उसे छोड़ कर मैं उन से सभी बातों में सहमत हूं। उन्होंने मूल अधिनियम के एक उपबंध का विरोध किया है जिस के अधीन कुछ विशेष अपराधों के कारण व्यक्तियों को अनर्हत कर दिया जायेगा। मेरा विचार है कि यदि माननीय सदस्य विधेयक का अध्ययन करें और आलोच्य प्रश्न पर अपनी राय देवें तो उन्हें इस विधेयक के उपबंध बिल्कुल उपयुक्त ज्ञात होंगे।

जहां तक सारे अधिनियम के संशोधन का प्रश्न है यदि माननीय सदस्य इस विधेयक पर अपने संशोधन देवें तो उस पर विचार किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त उन्होंने पश्चिम बंगाल की नगरपालिकाओं का भी उल्लेख किया है, उन्होंने कहा कि कई नगरपालिकायें भंग कर दी गईं मेरे विचार से उनकी स्थिति भंग करने लायक ही होगी। मैं माननीय सदस्या की इस बात से सहमत हूं कि इन नगरपालिकाओं के संचालन पर नजर रखी जाये। वस्तुतः उन्हें वित्तीय अभाव रहता है जिसके कारण वह अपना कार्य कुशलता से नहीं कर पाती हैं। मैं स्वयं इस बात पर विचार कर रहा था कि नगरपालिका की विधियों पर विचार करने के लिये एक समिति की नियुक्ति की जाये। जब इस प्रकार की समिति नियुक्त की जायेगी तो मैं उन से इसकी सदस्यता स्वीकार करने को अवश्य कहूंगा। मैं आशा करता हूं कि वह वहां उपयोगी कार्य कर सकेंगी। वस्तुतः विधेयक के उपबंधों से सभी सहमत हैं मैं इसके लिये सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में लागू असम नगरपालिका अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय :** इन खंडों पर कोई संशोधन नहीं हैं । प्रश्न यह है ।

"कि खंड २ से ७ विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ से ७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १ अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री करमरकर :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

†**श्री ले० अचौ सिंह :** मैं धारा १५ क (२) के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । इसके सम्बन्ध में खंड ४ की उपधारा (२) रखी गयी है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

†**सभापति महोदय :** यह उपबंध केवल बहु-सदस्यीय क्षेत्र पर लागू होगा । प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) संशोधन विधेयक

†**वाणिज्य मंत्री (श्री काननगो) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये"

भारतीय मानक संस्था की स्थापना १९४७ में की गयी थी । इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि सामग्री, वस्तुओं, ढांचों, प्रक्रियाओं इत्यादि का प्रमाप अथवा उनकी प्रगति का निश्चय किया जाये तथा समय-समय पर टैक्नोलोजी में हुए विकास के आधार पर इनमें परिवर्तन रूपभेद या संशोधन किया जाये । ऐसी संस्था की स्थापना का एक लाभ यह होता है कि माल तथा प्रक्रिया में एकरूपता विकसित हो जाती है फलस्वरूप निर्माण में मितव्ययिता होती है । इसके अलावा वस्तुओं की किस्म पर भी नियंत्रण रहता है फलस्वरूप उपभोक्ताओं को ऐसा मिलता है जो कि इन नमूनों के निकटतम होते हैं । अब तक भारतीय प्रमाप संस्था ने १८१५ प्रमाप निर्धारित किये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह संस्था १५०० और प्रमाप निर्धारित करने का विचार कर रही है। संस्था का संचालन वाणिज्य उद्योग, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से युक्त एक सामान्य संस्था द्वारा किया जाता है।

प्रमाणन चिह्न योजना १९५२ के अधिनियम के अधीन चलाई गयी थी। इस अधिनियम के अधीन दिये गये प्रधिकार के अधीन यह संस्था निर्माताओं को लायसेंस मंजूर करती है कि वे भारतीय प्रमाप संस्था के प्रमाणन चिह्नों के लिये आवेदन करें। इस के पूर्व यह संस्था आवेदन के कारखाने की जांच करने के लिये एक टेक्नीकल निरीक्षक भेजती है। यह वहां को प्रक्रिया इत्यादि के सम्बन्ध में प्राथमिक जानकारी देता है तथा इस बात का निश्चय करता है कि क्या उपयुक्त परीक्षा सुविधायें भी उपलब्ध हैं। जिससे आने वाला कच्चा माल, जाने वाला उत्पाद तथा उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर जांच हो सके जिससे कि माल निश्चित प्रमाप के अनुसार हो। वह उत्पादन से कुछ नमूने ले लेता है और उन्हें प्रयोगशालाओं में जांच के लिये भेज देता है। निरीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक ज्ञात होने पर संस्था उसे एक लायसेंस दे देती है जिस पर वे सारे नियम लिखे रहते हैं जिन का उसे पालन करना होता है। योजना में यह भी विहित किया गया है कि उत्पादन की किस्म के संबंधित अभिलेखों को सावधानी से रखा जाये।

लायसेंसदारों द्वारा अमल में लाये गये प्रतिबन्धों के अलावा, भारतीय मानक संस्था भी समय समय पर कारखानेदारों के कारखानों की जांच करती है। जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि योजना के अनुरूप कार्य किया जा रहा है कि नहीं।

भारतीय मानक संस्था कभी-कभी बाजार से भी उत्पादन के नमूने एकत्र करती है इन नमूनों की प्रयोगशालाओं तथा कारखानों में जांच की जाती है। इस प्रकार यह संस्था प्रमाणन चिन्ह वाली वस्तुओं पर सदैव नजर रखती है। लायसेंस का अग्रेतर नवीकरण करते समय यह संस्था लायसेंसदार के पिछले अर्से के कार्य की कड़ी जांच करती है।

लाइसेंसधारियों द्वारा भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह का दुरुपयोग रोकने के लिये अधिनियम में भारतीय मानक संस्था और सरकार को अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के अधिकार दिये गये हैं इसमें १०,००० रुपये तक जुर्माना और माल की जब्ती का उपबन्ध है। इसके अतिरिक्त लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है और उपभोक्ता के संरक्षण के हेतु यदि प्रमाणित माल भारतीय मानक के अनुसार न हो, तो लाइसेंसधारी को नया माल उपलब्ध कराना पड़ेगा।

प्रमाणन चिन्ह योजनाओं द्वारा अधिक बचत हो सकती है क्योंकि ये स्वावलम्बी हैं और इनके द्वारा खराब माल निकाला जा सकता है और उत्पादन में एकरूपता लाई जा सकती है। क्रेता के लिए भारतीय मानक संस्था चिन्ह न केवल तृतीय पक्ष प्रतिभूति का चिन्ह है बल्कि यह भी प्रकट करता है कि माल एक आयोजित नियंत्रण प्रणाली के अनुसार तैयार किया गया है। वह प्रमाणित माल को बिना अग्रेतर निरीक्षण कराये स्वीकार कर सकता है। योजना से क्रेता और विक्रेता के सम्बन्ध भी अच्छे होते हैं और क्रेता का उत्पादन में विश्वास बढ़ता है।

यद्यपि भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह योजना स्वेच्छा से चलने वाली है, तथापि इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जैसा कि निम्न आंकड़ों से प्रकट होता है :

वर्ष	लाइसेंसों की संख्या
१९५५-५६ . . .	८
१९५६-५७ . . .	१८

वर्ष	लाइसेंसों की संख्या
१९५७–५८ . .	४९
१९५८–५९ . .	४५
१९५९–६० .	६४
१९६०–६१ . . .	१०५
१९६१–६२ (आज तक) .	६६
कुल योग .	३५५

इस तरह आज तक १२० भारतीय मानकों के लिए, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर लागू होते हैं, ३५५ लाइसेंस जारी किये गये हैं। इनमें से २९६ लाइसेंसधारियों के असन्तोषजनक कार्य के कारण वापस ले लिये गये हैं और २८ नये नहीं किये गये, क्योंकि उन्होंने रुचि नहीं ली।

३१ मार्च, १९६१ तक प्रमाणित माल की अनुमानित लागत १०० करोड़ रुपये के लगभग थी। तब तक माल के खराब होने की केवल आठ शिकायतें आई थीं और ऐसे माल की कुल लागत कुछ हजार रुपये से अधिक नहीं थी। जांच प्रत्येक मामले में की गई थी और उपयुक्त कार्यवाही की गई थी।

अतः प्रमाणन चिन्ह योजना को अत्यधिक सफल समझा जा सकता है।

अब मैं संशोधक विधेयक के उपबन्धों की ओर आता हूं। यह एक छोटा और साधारण विधेयक है। अधिनियम के अनुभव से यह जाहिर होता है कि इसमें एक या दो पहलुओं से सुधार किया जाना चाहिए। इसके अन्तर्गत केवल भारतीय मानक संस्था द्वारा दिये गये मानक योजना के लिए प्रयोग किये जा सकते हैं। यद्यपि इस संस्था ने बहुत से मानक स्थापित कर दिये हैं, तथापि बहुत सी वस्तुओं के लिए अभी किये जाने हैं। मानक स्थापित करने में समय लगता है क्योंकि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों या निकायों को आलोचना करने का अवसर दिया जाता है। संक्षेप में प्रक्रिया यह है। भारतीय मानक संस्था अपनी प्रविधिक समितियों द्वारा एक प्रारूप तैयार करके तीन महीने तक की अवधि के लिए इसे राय जानने के लिए परिचालित करता है। प्रारूप की प्रतियां विदेशों को और विशेषकर राष्ट्र मंडल देशों को भेजी जाती हैं। राय प्राप्त होने के बाद प्रविधिक समितियां उसकी जांच करती हैं और प्रारूप को वर्तमान निर्माण प्रणालियों और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अन्तिम रूप देती हैं। प्रारूप को तब प्रविधिक विभाग परिषद् को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। स्वीकृति के बाद इसे अन्तिम रूप से स्थापित समझा जाता है। भारतीय संस्था द्वारा अभी जिन वस्तुओं के मानक स्थापित नहीं हुए, उन पर प्रायः ब्रिटिश मानक संस्था के मानक लागू होते हैं। अन्य अभिजात संस्थाओं से भारतीय प्रमाणन चिन्ह प्रयोग किये जाने की प्रार्थनाएं प्राप्त होती रही हैं।

इसलिये यह प्रस्ताव किया गया है कि योजना के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानक संस्था को उन वस्तुओं के लिए जिनके लिए भारतीय मानक नहीं हैं, अन्य निकायों के मानक प्रयोग करने की अनुमति होनी चाहिए। इस योजना का जहां तक सम्बन्ध है, यह प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है कि भारतीय मानक संस्था मानकों को गजट अधिसूचना द्वारा मान्यता प्रदान करेगी।

दूसरा संशोधन यह है कि भारतीय मानक संस्था के निरीक्षक भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार सरकारी नौकर घोषित किये जायें। अब तक वे सरकारी कर्मचारी नहीं समझे जाते, क्योंकि वे गैर-सरकारी संस्था के कर्मचारी हैं। चूंकि उन्हें नमूने रखने, जानकारी मांगने और नमूनों की जांच का काम करना पड़ता है, इसलिये उन्हें वैधानिक संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है और अब उन्हें सरकारी नौकर घोषित करके यह संरक्षण मिल जायेगा।

तीसरे संशोधन का उद्देश्य अधिनियम के क्षेत्र का विस्तार जम्मू और काश्मीर राज्य तक करना है। उस राज्य के बहुत से निर्माण उपक्रमों ने योजना से लाभ उठाने की इच्छा प्रकट की है और राज्य सरकार भी इस सम्बन्ध में सहमत हो गई है।

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि वह अधिनियम की क्रियान्विति से किस हद तक संतुष्ट हैं। यह ९ वर्षों से अधिक समय से लागू रहा है। माननीय मंत्री को बताना चाहिए कि कितने अभियोग चलाए गए थे और उनका परिणाम क्या निकला। जो शिकायतें आई थीं, क्या वे उपभोक्ताओं की ओर से थीं या आयात करने वालों से या विदेशी क्रेताओं से ? इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं]

मैं मंत्री से यह भी जानना चाहूंगा कि उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनके मानक भारतीय मानक संस्था द्वारा स्वीकार किये जायेंगे ।

प्रश्न यह है कि उन मानकों के अनुसार माल तैयार करने से इस देश से निर्यात बढ़ेगा या नहीं और इस सम्बन्ध में भारतीय मानक संस्था को अधिक अधिकार देना राष्ट्र के हित में होगा।

निरीक्षकों के अधिकारों के सम्बन्ध में जो खंड है, वह बहुत अच्छा है। किन्तु यह आश्चर्य की बात है कि अभी तक एक भी अभियोग नहीं चलाया गया। क्या यह इसलिये है कि भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत निरीक्षक को सरकारी कर्मचारी नहीं समझा जाता था ?

†**श्री कानूनगो :** उनको शक्तियां नहीं दी गईं, संरक्षण दिया गया है। यद्यपि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, जो परिमाण के अनुसार होती हैं। नित नए मानक निकल रहे हैं और जब तक उचित निरीक्षण न हो, वे वस्तुएं परिमाणों के अनुसार नहीं होंगी।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो १५०० मानक लागू किये जाने वाले हैं उन्हें हम यदि वास्तव में मान्यता देने जा रहे हैं, तो इस सम्बन्ध में अधिक प्रतिबन्ध होने चाहियें।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : उत्पाद के गुण प्रकार का नियंत्रण विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। भारतीय मानक संस्था जो अच्छा काम कर रही है उसके लिये वह प्रशंसा की पात्र है।

विभिन्न संस्थाओं के मानकों को लागू करने से कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। संभव है कि विदेशों के मानक अपनाना भारतीय परिस्थितियों विशेषकर जलवायु और अन्य बातों के भिन्न होने के कारण हमारे लिये सुविधाजनक न हों। इसलिए मेरी राय है कि अधिक शक्तियां लेने के साथ साथ, जैसा कि विधेयक में किया गया है, भारतीय मानक संस्था को तदर्थ मानक निर्धारित

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरुचा]

करने का भी अधिकार दिया जाये । यदि ऐसा किया जाये तो निर्माताओं को विदेशों के ऊंचे मानकों के कारण कठिनाई नहीं होगी ।

भारतीय मानक संस्था का कार्य उतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितना कि हम चाहते हैं। अब समय आ गया है कि सरकार विधान के द्वारा कुछ वस्तुओं के उत्पादकों को संस्था से प्रमाणन चिन्ह प्राप्त करने के लिये बाध्य करे । सरकार को यह भी देखना चाहिए कि जो प्रमाणन चिन्ह दिये जाते हैं, उत्पादक उनका कठोरता से पालन करें।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि अब समय आ गया है कि भारतीय मानक संस्था अन्य संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानकों को स्वीकार करे । किन्तु ये ऐसी संस्थाओं के मानक होने चाहियें जिन पर भरोसा किया जा सके ।

†**श्री कानूनगो :** मुझे हर्ष है कि माननीय सदस्यों ने भारतीय मानक संस्था के काम की प्रशंसा की है । संस्था के वार्षिक प्रतिवेदनों में इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है ।

अभियोगों के बारे में, संस्था की प्रथा यह रही है कि इन से बचा जाये । नीति यह है कि निर्माता स्वेच्छा से संस्था द्वारा दिये गये प्रमाणन चिन्हों का प्रयोग करें ।

हमारा अनुभव यह है कि संस्था के चिन्हों की प्राय: प्रशंसा की गई है तथा निर्माताओं ने इसके प्रयोग की अधिकाधिक इच्छा की है । केवल इस बात से कि अभी तक कोई अभियोग नहीं चलाया गया यह सिद्ध होता है कि संस्था की निरीक्षण व्यवस्था काफी सतर्क है । निरीक्षण न केवल तैयार माल का होता है किन्तु तैयारी की सब अवस्थाओं पर किया जाता है । जो थोड़ी सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन्हें देखने से पता चलता है कि वे बहुत गम्भीर नहीं हैं । उनमें से किसी में लाइसेंस की शर्तों को भंग नहीं किया गया । वार्षिक प्रतिवेदनों में रद्द किये जाने वाले लाइसेंसों की संख्या दी गई है किन्तु यह संख्या शिकायतों की संख्या पर नहीं, निरीक्षण कर्मचारियों की सतर्कता पर निर्भर है ।

अन्य संस्थाओं के मानकों को मान्यता देने के प्रश्न के सम्बन्ध में, मैं यह कहूंगा कि विश्व के विभिन्न भागों में बहुत सी अच्छी संस्थाएं चल रही हैं, जिनमें ब्रिटिश और अमेरिकन मानक संस्थाओं के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।

अधिनियम में यह व्यवस्था है कि अन्य संस्थाओं के मानकों को मान्यता देते समय यह देखा जायेगा कि वे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हैं या नहीं । यदि वे अनुकूल न हों, तो उन्हें नहीं अपनाया जायेगा और उनके स्थान पर तदर्थ मानक निर्धारित किये जायेंगे ।

भारतीय मानक संस्था का एक कृत्य यह भी है कि वह प्रविधि में परिवर्तन तथा सुधार होने के साथ साथ मानकों का पुनरावर्तन भी करे और वह ऐसा कर रहे हैं ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, १९५२, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय :** कोई संशोधन नहीं हैं। मैं सभी खण्ड मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ७, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ से ७, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री कानूनगो :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विदेशी पंचाट (मान्यता और लागू करना) विधेयक

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जून १९५८ की दस तारीख को न्यूयार्क में किये गये विदेशी मध्यस्थता पंचाट को मान्यता देने और लागू करने सम्बन्धी अभिसमय को, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, क्रियान्वित करने की शक्ति देने तथा तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

इस विषय में पिछला अधिनियम जो अब लागू है १९३७ का विदेशी मध्यस्थता अधिनियम है। यह १९२७ के जनीवा अभिसमय को क्रियान्वित करने के लिये पारित किया गया था। १९२७ के इस अभिसमय के बाद व्यापारिक प्रथाओं में बहुत परिवर्तन हुए हैं। राष्ट्र संघ की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के तत्वाधान में १९५८ में एक और अभिसमय तैयार किया गया था, जिसने पुराने अभिसमय का स्थान लिया है। वर्तमान विधेयक इस नये अभिसमय को लागू करने के प्रयोजन से प्रस्तुत किया गया है, जिससे भारत सहमत हुआ था इसका अर्थ यह है कि विदेशी पंचाटों को लागू करना अधिक व्यापक बनाया जायेगा क्योंकि इस पर विभिन्न राज्यों और व्यापारिक निकायों में कई वर्ष तक चर्चा होती रही थी।

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : पंचाटों की व्याख्या की जाये।

†**श्री कानूनगो :** ये पंचाट मध्यस्थता के पंचाट हैं। १९२७ में स्थिति यह थी कि कोई भी देश इन्हें स्वीकार करने से इंकार कर सकता था। वर्तमान अभिसमय के अधीन, कुछ हद तक सक्षम मध्यस्थों द्वारा दिये गये पंचाट न्यायालयों में लागू किये जा सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि जून १९५८ की दस तारीख को न्यूयार्क में किये गये विदेशी मध्यस्थता पंचाट को मान्यता देने और लागू करने सम्बन्धी अभिसमय को, जिस में भारत भी सम्मिलित है, क्रियान्वित करने की शक्ति देने तथा तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये उपलब्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : कोई संशोधन नहीं है । मैं सब खण्डों को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ११, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

खंड १ से, ११, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयकों में जोड़ दिये गये ।

†**श्री कानूनगो** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

हिन्दुस्तान एण्टी-बायोटिक्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

†**सभापति महोदय** : अब सदन हिन्दुस्तान एण्टी-बायोटिक्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदनों सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार आरम्भ करेगा ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा हिन्दुस्तान एण्टी-बायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष १९५८–५९ के वार्षिक प्रतिवेदन पर, लेखापरीक्षित लेखे और नियन्त्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणी सहित, जो १५ दिसम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करती है।"

"कि यह सभा हिन्दुस्तान एण्टी-बायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष १९५९–६० के वार्षिक प्रतिवेदन पर, जो २२ नवम्बर, १९६० को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

इस सरकारी क्षेत्र उपक्रम से प्रबंधकों, कर्मचारियों, वैज्ञानिकों आदि ने प्रशंसनीय काम किया है और इस के लिये वे बधाई के पात्र हैं। मन्त्री महोदय ने भी कम्पनी को जो सहायता दी है, उसके लिये वह भी धन्यवाद के पात्र हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह कम्पनी सम्भवतः एक मात्र ऐसा समवाय है जिसका उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों से भी बढ़ गया है। जब कि १९५४ में लक्ष्य ४० लाख मेगा ईकाई था, १९६१ में उत्पादन क्षमता ४४० लाख मेगा ईकाई तक बढ़ गई है।

उत्पादन तो इतना बढ़ गया है परन्तु हमें उत्पाद की लागत और उसके विक्रय, मूल्यों को भी देखना चाहिए। देखा गया है कि विक्रय मूल्य उत्पादन लागत से संगत नहीं है। सब बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह प्रबन्ध करना चाहिए कि इस कारखाने का उत्पाद अधिक सस्ते दामों पर उपलब्ध करना चाहिए। यद्यपि यह मूल्य विश्व की मंडी के मूल्यों से कम है, इस में और भी कमी की जा सकती है, क्योंकि कम्पनी विक्रय एजेंटों को बहुत कमीशन देती है। यह कमीशन १० से १५ प्रतिशत कर दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि विक्रय एजेंटों को दिया जाने वाला कमीशन फुटकर बिक्री के मूल्यों के समानुपात होना चाहिए। मंत्री महोदय को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि १९५६–६० में जबकि कुल बिक्री कम थी, कमीशन अधिक कैसे दे दिया गया था?

कारखाने में उत्पाद के गुण प्रकार के नियंत्रण के लिए कई टेस्ट हैं जिन की कुल संख्या २७ है। इन के होते हुए भी इस के बारे में शिकायतें आती हैं। हाल में मुख्य शिकायत दवाई की कार्यक्षमता के बारे में आई है। कार्यक्षमता की अवधि इस समय तीन साल रखी जाती है, इसको घटा कर एक साल कर देना चाहिए। इस से न केवल ताजा माल आता रहेगा, बल्कि मूल्य भी उचित स्तर पर रहेंगे।

हाल में एक शिकायत उस घटना के बारे में आई है कि इंजैक्शन की शीशी में मरी हुई मक्खी पाई गई है। इस मामले की जांच होनी चाहिए कि इतने टेस्टों के बाद यह कैसे हुआ। चूंकि इस कारखाने का माल निर्यात किया जाता है, इसलिए ऐसी शिकायतों की कड़ी जांच होनी चाहिए।

सरकार ने स्ट्रेप्टोमाइसीन और टेट्रासाइक्लीन बनाने के लिए जो परियोजना शुरु की है, उस से विदेशी मुद्रा में बहुत बचत हो सकेगी। यह एक उत्साहवर्धक बात है कि इस परियोजना की अर्थ व्यवस्था कम्पनी बिना उधार लिये स्वयं करेगी। फिर भी उसको ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी सारी कमाई को विनियोजित न कर दे और अपने पास कुछ धन रहने दे।

इस उद्योग को कच्चा माल देने के लिए १९६० में पांच प्रासंगिक उद्योग शुरु करने का निर्णय किया गया था। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इस की दया पर निर्भर न रहें और ये हमें अपनी हर शर्त मनवाने का प्रयत्न न करें।

गवेषणा विभाग में जो नये उत्पाद निकाले गये हैं, वह बहुत अच्छे हैं। हमें इंजैक्शनों के अवांछनीय प्रभावों को दूर करने वाली भी एक दवा निकालनी चाहिए।

प्रतिवेदनों में निदेशक बोर्ड से निदेशकों के नामों के साथ उन के पद भी बताने चाहिएं और इसमें सब हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री परुलकर** (थाना) : मुझे खेद है कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने जो बातें कहीं है मैं उनसे सहमत नहीं हूं। अब वह समय आ गया है जब कि इस कारखाने की कमियों एवं त्रुटियों की ओर विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिये । मेरा निवेदन है कि इस प्रतिवेदन में जो यह दावा किया गया है कि तेनिसिलिन का उत्पादन लक्ष्य से आगे बढ़ चुका है वह भ्रमोत्पादक है । वास्तव में तो बात यह है कि पेनिसिलिन का उत्पादन बहुत कम हुआ है । और यह कारखाना बहुत ही भद्दे ढंग से काम कर रहा है । यदि कार्य १९५९–६० और १९६०–६१ के उत्पादन आंकड़ों को लिया जाये तो स्पष्ट हो जायेगा कि पेनिसिलिन का उत्पादन इन दोनों वर्षों में ज्यो का त्यों रहा है, और उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। जब कि दूसरे देशों में इसी अवधि में पेनिसिलिन का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा है। इससे प्रकट है कि इस कारखाने का प्रबन्ध कुशलता से नहीं हो रहा है और इसका उत्पादन उतना नहीं है जितना कि होना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि पेनिसिलिन का उत्पादन मूल्य भी बहुत अधिक है । पिम्परी कारखाने में पेनिसिलिन का उत्पादन मूल्य २१.१४ नये पैसे प्रति मैगा है जब कि अमरीका में यह उत्पादन मूल्य ४.१ नये पैसे प्रति मैगा है । कारखाने की कार्यकुशलता का भार उपभोक्ताओं को सहना पड़ता है अब प्रश्न यह उठता है कि इस अकार्य कुशलता का कारण क्या है । मेरे विचार से इसका कारण यह है कि इस कारखाने में उपयुक्त प्रविधिक योग्यता वाले व्यक्ति नहीं रखे गये हैं। तथा इसे क्षमता रहित ढंग से चलाया जा रहा है । वहां काम करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी पेनिसिलिन के उत्पादन की कोई योग्यता अनुभव एवं क्षमता नहीं रखते। इन अक्षम व्यक्तियों के वेतन पर प्रतिवर्ष खर्च भी अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है । अतः वेतन में हाल में हुई इस वृद्धि के कारण कारखाने का व्यय भी बहुत अधिक बढ़ गया है ।

तीसरी बात यह है कि यह कारखाना पेनिसिलिन के दाम भी बहुत अधिक लेता है । उदाहरण के लिये २ लाख इकाई की पेनिसिलिन के लिये यह कारखाना ४२ नये पैसे लेता है । जबकि उसका उत्पादन मूल्य केवल २३ नये पैसे है। कुछ निजी समवाय भी पेनिसिलिन बाहर विदेशों से मंगाकर इसी दाम पर बेचती है । अतः वे अधिक लाभ कमा रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह उन निजी समवायों को अति लाभ कमाने के लिये प्रेरित करता है । मेरा सुझाव है कि क्यों न यह कारखाना विदेशों से पेनिसिलिन का आयत करने का एकाधिकार अपने हाथ में ले। इससे मुनाफाखोरी होने से बच सकेगी और जनता को लाभ होगा ।

चौथी बात यह है कि सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से वचन बद्धता की है कि यह कारखाना "न लाभ न हानि" के आधार पर चलेगा । परन्तु इस वचनबद्धता का उल्लंघन किया गया है क्योंकि कारखाने ने ७९ लाख रुपये कमाये हैं। मेरा निवेदन है कि इस पिम्परी कारखाने पर यह दायित्व था कि वह जनता को सस्ते से सस्ते दाम पर पेनिसिलिन का संभरण करे किन्तु यह अपने दायित्व में असमर्थ रही है। फिर इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि पेसिनिलिन इंजैक्शन की शीशी में मक्खी पाई गई है । यह इस बात का प्रमाण है कि वहां कार्य सुचारू रूप से नहीं होता । यह भी हुआ है कि पिम्परी में बनी हुई पेनिसिलिन को खुदरा एवं थोक विक्रेताओं ने लौटा दिया था । इन बातों से

†मूल अंग्रेजी में

इस कारखाने की असमर्थता एवं अक्षमता का सबूत मिलता है । मैं चाहता हूं कि इस समवाय का प्रबन्ध ठीक ढंग से हो। अतः सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इस फैक्टरी का क्षमता से चलाया जाना सुनिश्चित करे। यदि ऐसा हो गया तो कारखाना निश्चय ही प्रअगति करेगा। चूंकि आज पेनिसिलिन का उत्पादन व्यय भी काफी है अर उससे होने वाला लाभ भी बहुत अधिक है अतः इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

†श्री गोरे (पूना) : हिन्दुस्तान 'एन्टीबायोटिक्स' का काम बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है और उसने असाधारण प्रगति की है जिसका प्रमाण यह है कि उसने निर्धारित लक्ष्यों से अधिक उत्पादन किया है। और इसके लिये निश्चय ही वहां की प्रबन्धमंडल एवं कर्मचारी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। इस कारखाने के अपना उत्पादन लक्ष्य ही नहीं बढ़ाया है बल्कि इसने अनुसन्धान क्षेत्र में भी अच्छा कार्य किया है । इसके लिये वहां के अनुसन्धान कर्ता बधाई के पात्र हैं । हम आशा करते हैं कि बहुत शीघ्र ही हम नई दवाइयां जनता को शीघ्र ही दे सकेंगे। इस कारखाने में प्रासंगिक उद्योग शुरू करने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह संतोष की बात है कि विकास के सभी कार्य कारखाने द्वारा कमाये गये | से शुरू किये जा रहे हैं ।

पेनिसिलिन की एक शीशी में जो मक्खी पाई गई है उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है लेकिन अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि वहां का काम इतनी स्वच्छता से होता है कि मक्खी आदि का वहां जाने का कोई काम ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सब काम मशीनों से होता है। शायद ही कहीं कोई कार्य हाथ से होता हो। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी न बाद में यह मक्खी शीशी में डाल दी हो। खेद की बात है कि इस घटना को लेकर कुछ लोगों को बदनाम करने की चेष्टा की जा रही है। यह काम उन लोगों का प्रतीत होता है जो कारखाने के वर्तमान प्रबन्ध के विरोध में हैं।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

कारखाने में श्रमिकों का कोई झगड़ा नहीं है। आजकल लोगों में यह भावना बढ़ती जा रही है कि विदेशों से जो कुछ आ रहा है वही ठीक है। हमें यह विश्वास जनता में उत्पन्न करना है कि विदेशों से जो माल हमारे यहां आता है उसकी जगह हमें अपने देश का माल प्रयोग में लाना चाहिये और वह भी उतना ही अच्छा है जितना कि विदेशी माल। हमें पिम्परी कारखाने की प्रतिष्ठा बढ़ानी है । किसी एक व्यक्ति विशेष से अप्रसन्न होकर यदि हम समूचे कारखाने की बदनामी करेंगे तो अच्छा नहीं होगा क्योंकि इससे लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होगी।

इस प्रकार के प्रचार से यह गलतफहमी पैदा होती है कि हमारे देश के लोग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं जबकि बात ठीक इसके विपरीत है। कारखाने के प्रबन्धकों, वैज्ञानिकों और कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया है और वे प्रशंसा के पात्र हैं। कारखाने का प्रतिवेदन इस तथ्य को सिद्ध करता है । यह प्रतिवेदन बहुत ही अच्छा है और वहां का सही विवरण देता है एवं वहां की स्थिति का सही चित्रण करता है। मेरे विचार से तो यह कारखाना बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और मक्खी, शीशी, या बाल आदि की जो बात कही जा रही है वह तो केवल कारखाने को बदनाम करने की दृष्टि से ही कही जा रही है।

मेरा एक सुझाव है कि इस कारखाने के लाभ में से कुछ राशि निकाल कर कारखाने के आसपास की जनता के लाभार्थ एवं उनके कल्याण के लिये कुछ किया जाना चाहिये। वहां

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गोरे]

प्राय: किसान लोग रहते हैं जिन्होंने इस कारखाने के लिये अपनी भूमि दी है। इस कारण उनके पास जीविकोपार्जन का और कोई साधन नहीं रहा है। मेरा निवेदन है कि वहां इस कारखाने के लाभ में से कुछ राशि निकालकर एक प्रौद्योगीकीय स्कूल खोला जाये और उसमें इन किसानों के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाये। इससे दो लाभ होंगे एक तो किसानों को यह सन्तोष होगा कि अगर उनकी भूमि गई तो क्या हुआ उनके बच्चों को प्रशिक्षण मिल गया और उन्हें नौकरी मिल गई दूसरी ओर कारखाने को यह लाभ होगा कि उसे प्रवीण कर्मचारी आसानी से मिल जायेंगे।

अन्त में मेरा नि दन है कि इस कारखाने के विरूद्ध जो गलत प्रचार किया गया है उसे सरकार रोके।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : पिम्परी कारखाने के श्रमिकों ने बहुत अच्छा कार्य किया है और निश्चय ही वे अपने अच्छे कार्य के लिये प्रशंसा के पात्र हैं। यह बड़ी अच्छी बात है कि यह कारखाना अखिल भारतीय स्तर पर कर्मचारी रखता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस कारखाने की उन्नति का ९० प्रति अंश इसके कर्मचारियों के ऊपर है।

मैं आशा करता हूं कि निकट भविष्य में ही सभी कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था की जायेगी। हमें यह जानकर सन्तोष है कि भविष्य निधि की दर वहां ६। प्रतिशत से बढ़ाकर ८।। प्रतिशत कर दी गई है। और कर्मचारियों को वहां उपस्थित बोनस तथा अन्य पुस्कार आदि दिये जा रहे हैं। वहां मालिक और मजदूर के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। जहां तक मक्खी मिलने का सवाल है श्री गोरे ने ीक ही कहा है कि यह किसी की शैतानी है।

मेरा विचार है कि यह कारखाना एक आदर्श कारखाना है। यहां एक कार्य समिति भी कार्य करती है जो कि कर्मचारियों को कारखाने की उत्पादन क्षमता के बारे में जानकारी देती है। इन सबके लिये वहां के कर्मचा ी एवं वहां का प्रबन्ध निश्चय ही बधाई का पात्र है।

मेरा एक सुझाव है कि इस कारखाने में उत्पाद के गुण प्रकार नियंत्रण में और सुधार किया जाये तथा उसे अधिक कड़ा बनाया जाये। मैं मानता हूं कि वहां उत्पाद के गुणों पर नियंत्रण की व्यवस्था है किन्तु उसे और भी दृढ़ किया जाये यही मेरा निवेदन है। इसके लिये हमें दूसरे देशों से उदाहरण लेना चाहिये। मेरा एक सुझाव है कि हमारे यहां भारतीय मानक संस्था है। उत्पाद गुण के नियंत्रण के बारे में हमें उसको सहायता लेनी चाहिये। दूसरे एक समिति ऐसी बनानी चाहिये जो इन कारखानों में प्रतिवर्ष या दो साल में एक बार जाकर वहां उत्पाद गुणों की देखभाल कर सके और यह देखे कि क्या उत्पाद गुणिता का ीक ढंग से पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। साथ ही यह समिति इस बात पर भी ध्यान दे कि उत्पाद गुणिता निरन्तर बढ़ रही है।

हमारे देश में प्रशिक्षण की सुविधायें भी अधिक से अधिक मात्रा में दी जायें। अत: मेरा सुझाव है कि यहां इस कारखाने में प्रशिक्षण की जो सुविधायें उपलब्ध हैं उनका विस्तार किया जाये। और कारखानों में बनी हुई वस्तुओं के दाम कम किये जायें ताकि सामान्य व्यक्तियों को सस्ते दामों पर दवाइयां उपलब्ध हो सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह कारखाना निश्चय ही बधाई का पात्र है क्योंकि इसने शुरू से ही उत्पादन कार्य शुरू कर दिया है। यह अच्छा होगा कि इससे प्रेरणा पाकर देश के अन्य भागों में भी और कारखाने खुलें हैं ।

जहां हमारे देश में अधिक दवाइयां बनाने पर जोर दिया जा रहा है वहां इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि हम दवाइयों के आदी न बनें। तथा साथ ही ये दवाइयां अच्छे एवं सुयोग्य व्यक्तियों के परामर्श के आधार पर प्रयोग में लाई जायें। अन्यथा इन दवाइयों से लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होने की संभावना है।

अन्त में मेरा निवेदन है कि हमें इस कारखाने की प्रगति पर गौरव है और आशा है कि भविष्य में यह और भी अच्छा कार्य करेगी। साथ ही इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसके साथ और भी कारखान इसके सहायक के रूप में खुलने वाले हैं। सरकारी क्षेत्र का यह एक ऐसा कारखाना है जो जनता में विश्वास की भावना उत्पन्न करता है।

[श्री हेडा पीठासीन हुए]।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : मैंने भी इस कारखाने को १९५९ में देखा था और अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसका प्रबन्ध एवं इसका कार्य बधाई देने योग्य है। व्यावसायिक दृष्टि से इस कारखाने ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसने ७० लाख रुपये का ऋण जो इस पर था चुका दिया है। वर्ष १९५९–६० के लेखाओं से यह प्रकट है कि इस वर्ष के बाद भविष्य में जो भी लाभ होंगे उनसे इस कारखाने का विकास किया जायेगा तथा वहां 'स्ट्रेप्टोमाइसीन" का संयंत्र डाला जायेगा।

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सरकारी उपक्रमों के बारे में कोई निराधार आलोचना न हो क्योंकि उससे बहुत हानि होगी। अतः ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र में दवाइयों के कारखाने के बारे में लेशमात्र भी आलोचना करने का अवसर किसी को न मिले।

एक बात हमें स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये कि सरकारी उपक्रमों की निराधार आलोचना नहीं होनी चाहिये। इस दिशा में बहुत ही सचेत होने की आवश्यकता है। ऐसा करने से बहुत बड़ी हानि हो जाने की संभावना है। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि सरकार को गैर सरकारी क्षेत्र के औषधि उद्योग को सहायता देने के बारे में विचार करना चाहिये। हमारी विदेशी विनिमय की कठिनाई है उसके कारण हम काफी मात्रा में प्राण रक्षक औषधियों का आयात करने में समर्थ नहीं हैं। सरकार को इस स्थिति के संबंध में आम जानकारी दे देनी चाहिये और इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये कोई समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

सरकार को यह भी बताना चाहिये कि क्या हिन्दुस्तान "एंटीबायोटिक्स" की बिक्री कम होने का कारण यह है कि "एंटीबायोटिक्स" का अधिक आयात व गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित "एंटीबायोटिक्स" का प्रयोग हुआ है। इसका कारण तो बताया ही जाना चाहिये।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : इस मनोरंजक विवाद को सुनना सचमुच बड़ा मजेदार रहा है। सभी ने सरकारी क्षेत्र में चल रहे स हिन्दुस्तान 'एंटीबायोटिक्स" लिमिटेड की एक-मत से प्रशंसा की है। जितना अच्छा कार्य इसका है उतना अन्य उपक्रमों का भी है। इस

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

दिशा में हम स बात का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि सरकारी उपक्रमों में किसी कार की व्यापारिक प्रथायें और अदक्षतायें न घुसने पायें। इससे यह भी पता चलता है कि इस देश के लोगों का दृष्टिकोण सरकारी उपक्रमों की ओर बदल रहा है और वे इस दिशा में आगे से अधिक सचेत हो रहे हैं। मैं इसे बहुत बड़ी सफलता समझ रहा हूं। इस मामले में रचनात्मक आलोचना का हमेशा स्वागत करेंगे।

अब मैं इस उपक्रम के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। एक विशेषज्ञ समिति ने इस दिशा में लक्ष्य निर्धारित किये थे। जब इस संयंत्र का निर्माण किया गया तो विचार था कि इससे ९० लाख मेगा यूनिट तैयार होगा। यह अनुमान अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहायता से किया गया था। पिम्परी कारखाने ने पेनिसिलिन के ९० लाख मेगा यूनिट के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया है। और फिर एक यह भी श्रेय की बात है कि इसने दवाई की अच्छी से अच्छी किस्में भी खोज निकाली हैं। कारखाने का कार्य किसी भी दृष्टि से देखा जाय प्रशंसनीय है। कम कीमत पर अच्छी चीजों का उत्पादन इसकी विशेषता है। जहां तक कारखाने के विस्तार का संबंध है उसका उत्पादन ६० प्रतिशत बढ़ने की आशा थी किन्तु कारखाने ने इस लक्ष्य से भी कहीं अधिक उत्पादन कर दिखाया है। आशा की जाती है कि चालू वर्ष में ४५० लाख 'मेगा' यूनिट का उत्पादन संभव हो जायेगा।

इस दिशा में एक यह बात भी उल्लेखनीय है कि "पेनिसिलिन" की कीमत १ पया २५ नये पैसे से घटाते-घटाते ५० नये पैसे कर दी गई है। मैं सभी दवाइयों को एक एक करके गिनाना नहीं चाहता परन्तु यह तथ्य है कि हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स ने समय समय पर सभी अपनी बनाई हुई दवाइयों की कीमतें कम की हैं। इसका एक प्रभाव यह भी है कि आयात की हुई औषधियों का दाम भी बहुत अधिक बढ़ नहीं रहा। सब को मालूम हो गया है कि अब हम स्वयं भी औषधियां ठीक ढंग से निर्माण कर रहे हैं। हम श्रेय नहीं मांगते परन्तु इतना तो मानना ही होगा कि कारखानों के कर्मचारियों की योग्यता और क्षमता से इस दिशा में उत्पादन बढ़ा और कीमतें कम हुईं। इस दृष्टि से मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक समय सरकारी क्षेत्र पर आक्षेप करते रहना ठीक नहीं। कीमतें बढ़ गयी तो कह दिया जाता है कि उन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं और कम हो जांय तो प्रचार करने लगे कि उपक्रम में काम करने वाले और उसकी व्यवस्था करने वाले अयोग्य हैं। हिन्दुस्तान एंटीबा ोटिक्स ने सचमुच कमाल ही कर दिखाया है क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि उत्पादन का व्यय घट गया है और मूल्यों के घटने के बावजूद कारखाने ने मुनाफा कमाया है।

इसी उल्लेख में मैं एक उदाहरण यह भी देना चाहता हूं कि जब हमने उत्पादन आरम्भ किया था तब स्ट्रैप्टोमाइसीन का दाम ४५० रुपये मेगा यूनिट का था। एक दम यह दाम कम होकर २४० रुपये प्रति मेगा यूनिट हो गया। और अब कम होते होते यह १२० और ११५ रुपये तक आ गया है। क्या आप इसे सफलता नहीं कहेंगे। हमारे विदेशी परामर्शदाता भी इस मामले में काफी आश्चर्य में हैं। २ नवम्बर, १९६१ को हम विश्व स्वास्थ्य संस्था तथा "यूनीसैफ" (संयुक्त राष्ट्र अतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष) वालों के साथ हमारा परामर्श हुआ था। और उन्होंने इस दिशा में जो कुछ हमारी सहायता की उसके लिये उनका आभार प्रदर्शन किया। उन्होंने हमारी प्राविधिक सहायता की और हमारे लोगों को इस विषय में प्रशिक्षित किया। परन्तु अब हम उन्हें भी इन दायित्वों से मुक्त करना चाहते हैं। उनके साथ जो हमारा करार है उसकी अवधि नवम्बर १९६४ को समाप्त हो जायेगी। अर्थात तीन वर्ष बाद हम उनको

उनके दायित्वों से मुक्त कर देंगे। कारखाने और उसके सारे साजों सामान पर ८७६,७६४.०० डालर की पूंजी है जो भारतीय मुद्रा में ४० से ४५ लाख तक फैलती है। हम यह राशि वापिस कर रहे हैं और हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स पूर्ण रूप से स्वदेशी उपक्रम बन रहा है। यह हमारे लिये गर्व की बात है। हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स का सारा काम और प्रबंध अब भारतीय हाथों में है और पिम्परी में अब एक भी विदेशी नहीं है। लोगों के धन से सरकारी क्षेत्र में बना यह कारखाना अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र और स्वदेशी उत्पादन का प्रतीक बन कर खड़ा है। और इसमें आधुनिकतम मशीनरी लगाने की व्यवस्था की जा रही है।

इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में ऋषिकेश, सन्नत नगर, केरल में नारायणामंगलम् और मद्रास में सर्जीकल औजारों के निर्माण के कारखाने में भी पूरे यंत्रों से काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। गवेषणा कार्य, कोटि नियंत्रण तथा प्रशिक्षण कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि अधिक से अधिक दवाइयां अस्पतालों को मुफ्त वितरण के लिये दी जायें ताकि गरीब लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। क्योंकि हमने देखा है कि दवाई कितनी ही सस्ती कर दी जाये डाक्टर लोग सीधे लोगों को सस्ती दवाई प्राप्त करने में रुकावटें डालते रहते हैं। सरकार एक पुर्नियंत्रण संस्था की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रही है। यह संस्था औषधियों के नमूनों का स्वतंत्र रूप से परीक्षण करेगी यद्यपि उनकी परीक्षा और प्रमाणन् उत्पादकों ने ही किया हो। साथ ही एजेंटों को दिया जाने वाला कमीशन इसलिये घटा दिया गया है क्योंकि सरकार अब सीधे अस्पतालों को अधिकाधिक संभरण करना चाहती है।

इस दिशा में मैं उन माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं जो कि इस कारखानों को देखने गये और उन्होंने इस बारे में अच्छी सम्मति प्रकट की। मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस कारखाने को सचमुच देश के लिये एक गर्व का विषय बनाने का पूरा प्रयत्न किया जायेगा। हमें जो कुछ भी कमियां दिखाई देंगी उन्हें दूर करने का पूरा प्रयत्न किया जायेगा। साथ ही में यह भी निवेदन करूंगा कि निराधार आलोचना भी नहीं होनी चाहिये। यदि यह आलोचना हो तो इससे उन लोगों के हाथ मजबूत होते हैं जो कि सरकारी क्षेत्र की प्रगति को दिल से नहीं चाहते। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को भी समुचित प्रोत्साहन देना चाहिये।

अंत में मैं पुनः यह बात कहता हूं कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिये हमें सदन का आशीर्वाद चाहिये ताकि उन लोगों का दिल बढ़ाया जा सके जो हमारे देश की राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के निर्माण में बिना किसी नाम इत्यादि की चिंता किये हुये लगे हैं। आज हमारे देश में सरकारी क्षेत्र की व्यापकता बढ़ रही है। तीसरी योजना के अन्तर्गत इसके लिये १७५० करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी है। अच्छा है कि सदन ने लगभग एकमत से इस कारखाने के कार्य की सराहना की है और इस प्रकार सरकारी उपक्रम के सिद्धांत को प्रोत्साहन दिया है जिससे इस दिशा में जुटे हुये हजारों लाखों कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** श्री परूलकर के अतिरिक्त, अन्य सभी माननीय सदस्यों ने मजदूरों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

श्री परूलकर ने कुछ त्रुटियों को लेकर इसकी बड़ी आलोचना की है। मंत्रालय और सरकार ने उन पर खेद प्रकट कर दिया है। लेकिन लगता है कि उनको योजना में खामियां ही खामियां दिखी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० रा० मुनिस्वामी]

यदि त्रुटियों पर ही इतना अधिक जोर दिया जायेगा, तो सरकारी उपक्रमों के प्रति लोगो का उत्साह कम हो जायेगा ।

माननीय मंत्री ने यह बताकर हमारा उत्साह काफी बढ़ाया है कि ३–४ और भी एंटी-बायोटिक्स के कारखाने अभी देश में स्थापित किये जायेंगे । उनमें से एक रूसी सहयोग से ऋषिकेश में भी रहेगा ! जिसकी अनुमित क्षमता १,२५० लाख मेगा यनिट्स होगी । तब हम उन औषधियों का निर्यात भी क सकेंगे ।

माननीय मंत्री ने बताया है कि मूल्य अब सवा रुपये से घटाकर आठ आने कर दिया गया है । बड़ी अच्छी बात है । लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हम अभी भी विदेशों से एक बड़ी मात्रा में कच्चा माल मंगा रहे हैं । यदि यह आयात बंद किया जा सके, तो मूल्यों में और भी कटौती की जा सकती है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : आयात बड़ी मात्रा में नहीं होता । केवल कुछ रासायनिक तत्वों का आयात किया जाता है । पेनीसिलिन कुछ मात्रा में आयात करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहां उसकी बड़ी कमी है । और अधिक कारखाने खड़े होने पर, हम इसे भी बन्द कर देंगे । प्राविधिक भाषा में जिसे कच्चा माल कहा जाता है, उसका आयात नहीं किया जाता ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : यदि मूल्यों में और अधिक कटौती की गुंजाइश हो, तो की जानी चाहिये ।

आशा है सरकार इसके एक और पहलू पर विचार करेगी । यह कि कुछ विक्रेता पेनीसिलीन का कृत्रिम अभाव पैदा करके मूल्य चढ़ा देते हैं । ऐसे काले बाजार को रोका जाना चाहिये ।

माननीय मंत्री के आश्वासन से मैं पुर्णतया संतुष्ट हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष १९५८–५९ के वार्षिक प्रतिवेदन पर, लेखा परीक्षित लेखे और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणी सहित, जो १५ दिसम्बर, १९५९ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

"कि यह सभा हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष १९५९–६० के वार्षिक प्रतिवेदन पर, जो २२ नवम्बर, १९६० की सभा की टेबल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : अब सभा की बैठक स्थगित की जाती है ।

इस के पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २४ नवम्बर, १९६१ / ३ अग्रहायण, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, २३ नवम्बर, १९६१
२ अग्रहायण, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२९२—३१५
तारांकित प्रश्न संख्या		
११६	कांगो में मारे गये भारतीय सिपाही . . .	२९२—९६
११८	पाकिस्तानी हेलीकाप्टर द्वारा सीमा का अतिक्रमण . .	२९६
११९	कोयले की ढुलाई	२९६—९८
१२०	चंडीगढ़ में भारतीय वायु सेना के विमान का गिरना .	२९९
१२१	सरकारी विभागों का व्यय . .	२९९–३००
१२२	जैसलमेर में तेल की खोज . .	३००—०३
१२३	शिक्षा में क्षय . . .	३०३—०६
१२४	असम में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश . .	३०६
१३१	असम में पाकिस्तानी नागरिकों का अवैध प्रवेश .	३०६—०७
२०१	आसाम में पाकिस्तानी	३०७—११
१२५	संगीत नाटक अकादमी	३११–१२
१६७	संगीत नाटक अकादमी	३१२–१३
१३०	विदेशों में भारतियों के लेखे . .	३१३—१५
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	३१६—४२४
तारांकित प्रश्न संख्या		
११७	कटंगा में भारतीय सेना पर "बजूका" का प्रयोग . .	३१६
१२६	भारतीय सीमा का उल्लंघन . .	३१६
१२७	कावेरी बेसिन में तेल की खोज . . .	३१७
१२८	अनिवार्य प्रायमिक शिक्षा . . .	३१७
१२९	सैनिक स्कूल	३१८
१३२	प्योर झरिया कोलियरी में आग . . .	३१८
१३३	कृषि विकास वित्त निगम	३१९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित प्रश्न संख्या		
१३४	चीनी राष्ट्रजन	३१९
१३५	निर्यात से होने वाली आय पर आयकर की छूट	३१९
१३६	भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यकीय सेवा	२२०
१३७	शस्त्रों का निर्यात	३२०—२१
१३८	कांडला में तेल जमा करने की व्यवस्था	३२१
१३९	इन्दौर में विश्वविद्यालय	३२१—२२
१४०	केन्द्रीय सचिवालय सेवा का विकेन्द्रीकरण	३२२
१४१	निर्वाचन चिन्हों का नियतन	३२२
१४२	पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवा	३२३
१४३	लुमुम्बा फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को	३२३
१४४	विदेश स्थित भारतीय सेना	३२३
१४५	चालुक्य काल के लिये संग्रहालय	३२४
१४६	स्कूलों के बच्चों का स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार	३२४
१४७	उड़ीसा में अनाज आदि गिराने का कार्य	३२४—२५
१४८	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाज़ी की दाखिले की परीक्षा	३२५
१४९	सीमावर्ती क्षेत्रों में असैनिक कर्मचारियों को सुविधायें	३२६
१५०	कोयले के परिवहन के लिये वैगनों का वितरण	३२६
१५१	उच्च अध्ययन केन्द्र	३२६—२७
१५२	ग्राम सेवा का प्रमाणपत्र	३२७
१५३	मलाया में भारतीय अध्यापक	३२७
१५४	उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में तेल के लिये छिद्रण	३२८
१५५	सेरथा (गुजरात) में तेल	३२८—२९
१५६	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की निधियों का विनियोजन	३२९
१५७	रूस में भारतीय विद्यार्थियों की शिक्षा	३२९
१५८	ट्रक तथा ट्रेक्टरों का निर्माण	३२९
१५९	न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथककरण	३३०
१६०	चुनाव चिह्न	३३०
१६१	नागपुर स्थित भारतीय खान ब्यूरो कार्यालय में मवन	३३०—३१
१६२	कोयला खानों में विस्फोटक पदार्थों की कमी	३३१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या

१६३ टेक्नोलोजी की भारतीय संस्था में प्रवेश के लिये सार्वजनिक परीक्षा ३३१–३२

१६४ इस्पात संयंत्रों का विस्तार ३३२

१६५ कम्यूनिस्टों के कारावास की अवधि की माफी . . ३३२–३३

१६६ तेल की कीमतों के बारे में दामले समिति . . ३३३–३४

१६८ दिल्ली विश्वविद्यालय में एक अनुसंधान सहकारी की मृत्यु . ३३४

१६९ अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भारत को ऋण . ३३४–३५

१७० फौजदारी कानून के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र . . ३३५

१७१ संघों की मान्यता ३३५

१७२ अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप . . ३३६

१७३ चौथे इस्पात संयंत्र की स्थापना . . . ३३६–३७

१७४ तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये विश्व बैंक से सहायता . ३३७

१७५ केन्द्रीय कानूनों का हिन्दी अनुवाद . . . ३३८

१७६ रूरकेला इस्पात संयंत्र ३३८–३९

१७७ तकनीकी विषयों पर सस्ती पाठ्य पुस्तकें . . ३३९

१७८ गैर सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में तेल के लिये छिद्रण . ३३९–४०

१७९ भाषायी अल्प संख्यकों संबंधी क्षेत्रीय परिषदों की समिति . ३४०

१८० पेट्रोल की बिक्री के डिपो ३४०–४१

१८१ मध्य प्रदेश की कोयला खानें . . . ३४१

१८२ तरल सोना ३४१

१८३ सिक्किम में जस्ता और तांबा ३४१

१८४ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दंगे . . ३४२–४३

१८५ चांदा जिले का भूतत्वीय सर्वेक्षण . . . ३४३

१८६ रूसी सहायता से तीसरी योजना के अन्तर्गत आरम्भ की जाने वाली परियोजनायें ३४३–४४

१८७ स्कूल के बच्चों के लिये दोपहर का भोजन . . ३४४

१८८ कोयला बोर्ड का कार्यालय ३४४

१८९ मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स . . . ३४४–४५

१९० खेतरी ताम्बा परियोजना ३४५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या

१९१	कोयला उत्पादन का लक्ष्य	३४५-४६
१९२	नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा संबंधी समिति का प्रतिवेदन	३४६
१९३	पैट्रोलियम संग्रह डिपो	३४७
१९४	हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्रीय व्यवस्था	३४७
१९५	दिल्ली की कुतुब मीनार से आत्म हत्यायें	३४८
१९६	पर्वतारोहण	३४८-४९
१९७	मतदान दिवस पर सवेतन छुट्टी	३४९
१९८	अंकलेश्वर तेल क्षेत्र	३४९-५०
१९९	इंडिया आफिस लाइब्रेरी	३५०
२००	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में विकेन्द्रीकरण	३५०
२०२	विश्व बैंक में प्रतिनिधित्व	३५०-५१
२०३	इलेक्ट्रानिक इक्विपमेंट पर आयात शुल्क	३५१
२०४	सिखों के विरूद्ध कथित भेदभाव संबंधी उच्च शक्ति आयोग	३५१-५२
२०५	पीपल्स फ्रेंड शिप यूनिवर्सिटी, मास्को	३५२
२०६	सुपर सोनिक विमान के विकास के लिये इंग्लैंड का सहयोग	३५२-५३
२०७	पेट्रोलियम सूचना ब्यूरो	३५३

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२०२	छोटी कोयला खानों का विलय	३५४
२०३	दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम	३५४
२०४	उत्तर प्रदेश में चीनवासी	३५५
२०५	भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें	३५५
२०६	दिल्ली में पिछड़े वर्ग	३५५
२०७	पाकिस्तान में भारतीय गैर सरकारी पूंजी का विनियोजन	३५६
२०८	जम्मू और काश्मीर में प्राथमिक शिक्षा	३५६
२०९	घड़ियों का तस्कर व्यापार	३५६-५७
२१०	लौह अयस्क	३५७
२११	द्वितीय पंच वर्षीय योजना में गैर सरकारी क्षेत्र के लिये ब्रिटिश ऋण	३५८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१२	भारतीय मंत्रियों के विदेशों के दौरों के लिये विदेशी मुद्रा	३५८
२१३	दिल्ली के लिये विधान मंडल	३५८
२१४	सड़क के रास्ते कोयले का परिवहन	३५९
२१५	महाराष्ट्र में बेसिक शिक्षा	३५९
२१६	कोल्हापुर में विश्वविद्यालय	३५९
२१७	महाराष्ट्र में शारीरिक विकास संगठनों को सहायता	३६०
२१८	पुनर्वेलन मिलें (रीरोलिंग मिल्स)	३६०
२१९	सिक्कों का गलाया जाना	३६०
२२०	झरिया कोयला खानों में आग	३६१
२२१	रूसी तेल का आयात	३६१
२२२	प्रतिरक्षा सेवाओं में नर्सों की कमी	३६२
२२४	निजी थैलियां	३६२
२२५	सशस्त्र सेवा मुख्यालयों का प्रतिरक्षा मंत्रालय के साथ मिलाया जाना	३६२–६३
२२६	दिल्ली में विज्ञान संग्रहालय	३६३
२२७	पेट्रो–केमिकल्स का निर्माण	३६३
२२८	गोआ से भारतीय आकाश सीमा का अतिक्रमण	३६३–६४
२२९	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिकृत लेखापालों की नियुक्ति	३६४
२३०	दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान किराया भत्ता	३६४–६५
२३१	आण्विक औषधि संस्था	३६५–६६
२३२	उड़ीसा में खनन पट्टे	३६६
२३३	मैसर्स कलिंग टयूब्स	३६६–६७
२३४	दिल्ली के स्कूलों में पाठ्य-पुस्तकें	३६७
२३५	छावनी अधिनियम का संशोधन	३६७–६८
२३६	केन्द्रीय आयुध डिपो (सी० ओ० डी) छिऊकी	३६८
२३७	विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन	३६८
२३८	उद्योगपति के विरुद्ध डिगरी	३६९
२३९	वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्विति	३६९
२४०	प्रतिरक्षा संस्थानों में औद्योगिक कर्मचारियों को छुट्टी	३७०
२४१	संगीत नाटक अकादमी	३७०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२४२	असाम में उपद्रव	३७०–७१
२४३	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मंत्रणा परिषद् की बैठक	३७१
२४४	ईसाई धर्म के प्रचार के लिये विदेशी सहायता	३७१–७२
२४५	लक्काद्वीव द्वीप समूह का विकास	३७२
२४६	मतदान केन्द्रों की स्थापना	३७२–७३
२४७	निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन	३७३–७४
२४८	स्क्रैप का निर्यात	३७४
२४९	स्क्रैप की आवश्यकता	३७४
२५०	इंग्लैंड की बैंक दरें	३७५
२५१	जाली डालर नोटों की छपाई	३७५
२५२	यमुना नाव दुर्घटना संबंधी जांच	३७५
२५३	अफीम का पकड़ा जाना	३७५–७६
२५४	रद्दी लोहा (स्क्रैप)	३७६–७७
२५५	बिलट्स का उत्पादन	३७७
२५६	बुनियादी स्कूल	३७७–७८
२५७	कोलर और हट्टी स्वर्ण खानें	३७८
२५८	अंकलेश्वर तेल क्षेत्र	३७८
२५९	असम भाषा संबंधी शास्त्री फार्मूला	३७८–७९
२६०	चाय पर उत्पादन शुल्क की वापिसी	३७९–८०
२६१	दिल्ली में बस्तियां	३८०
२६२	जनगणना	३८०–८१
२६३	दिल्ली में जनगणना के आंकड़ों का संकलन	३८१
२६४	इलाहाबाद जिले की जनगणना के रिकार्ड	३८२
२६५	जनगणना आंकड़े संकलन यंत्र	३८२
२६६	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	३८२–८३
२६७	सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड	३८३
२६८	आसाम के जुलाई, १९६० के दंगों में अन्तग्रस्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	३८३
२६९	बम्बई के लिये दिल्ली के ट्रफिक पुलिस के कर्मचारी	३८४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२७०	पन्ना जिले में हीरे	३८४–८५
२७१	राष्ट्रीय सेवा छात्र दल के कैडिट	३८५
२७२	दिल्ली के पुलिस कांस्टेबिलों द्वारा बलात्कार	३८५
२७३	विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर	३८६–८७
२७४	टकसालों का पुनर्गठन	३८७
२७५	श्रव्य दृश्य शिक्षा का राष्ट्रीय बोर्ड	३८७
२७६	दिल्ली में नृत्य की शिक्षा देने वाले स्कूल	३८८
२७७	युद्ध सेवा कर्मचारी	३८८–८९
२७८	कांगो	३८९
२७९	५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली कैंट	३८९–९०
२८०	बाल विवाह	३९०
२८१	तिरुपती में हिन्दी अध्यापकों की गोष्ठी	३९०
२८२	हिन्दी असिस्टैंट	३९०–९१
२८३	हिन्दी असिस्टैंट	३९१–९२
२८४	अनुसूचित जातियों के ऋण ग्रस्त व्यक्तियों को सहायता	३९२
२८५	नये पद बनाने और उन्हें भरने पर रोक	३९२–९३
२८६	केन्द्रीय सचिवालय के असिस्टैंट	३९३
२८७	१९६० में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल	३९३–९४
२८८	हिन्दी असिस्टैंटों को पूर्व पदों पर भेजना	३९४
२८९	हिन्दी असिस्टैंट	३९४–९५
२९०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	३९५
२९१	दहेज निषेध अधिनियम, १९६१	३९५
२९२	नागा विद्रोही	३९५–९६
२९३	मनीपुर में पुलिस कांस्टेबिलों की गिरफ्तारी	३९६
२९४	मैसूर राज्य में कृषि बस्ती	३९६
२९५	मैसूर के सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियां	३९६–९७
२९६	मैसूर में लोहे की कच्ची धातु के भंडार	३९७–९८
२९७	कच्छ उपकार निधि	३९८
२९८	इस्पात का मूल्य	३९९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२९९	सामान्य निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावलियां	३९९
३००	अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियां	३९९
३०१	दिल्ली के स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें	४००
३०२	पिछड़े वर्ग	४००
३०३	कोयले के ग्रेड निर्धारित करने की प्रक्रिया	४००–०१
३०४	रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के जाली चालान	४०१
३०५	इनामी बांड पारितोषिक	४०१–०२
३०६	कोयले का लाना ले जाना	४०२
३०७	मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र	४०२–०३
३०८	सैनिक छावनियों के लिये भूमि	४०३
३०९	खाद्य तथा राशनिंग विभागों के कर्मचारी	४०३
३१०	पिछड़ी श्रेणियों का कल्याण	४०४
३११	हिन्द महासागर की वैज्ञानिक खोज	४०४
३१२	जीवन बीमा निगम की पालिसियों का व्यपगत होना	४०४
३१३	रामजस विद्या मन्दिर हायर सैकेंडरी स्कूल, कमलानगर, दिल्ली	४०४–०५
३१४	हरिजनों के लिये भूमि	४०५
३१५	मंगा की घाटी में तेल का सर्वेक्षण	४०६
३१६	सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय के कर्मचारियों का स्थायीकरण	४०६
३१७	लोहा अयस्क की खानें	४०६–०७
३१८	आंध्र प्रदेश संगठनों को सांस्कृतिक अनुदान	४०७–०८
३१९	जनगणना	४०८
३२०	सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त की गयी मोटर गाड़ियां	४०८–०९
३२१	विदेशों में प्रशिक्षण के लिये तेल प्रविधिज्ञ	४०९
३२२	दिल्ली में उपभोक्ता माल का मूल्य देशनांक	४०९
३२३	आई० सी० एस० पदाधिकारियों का वेतन	४१०
३२४	सेना भूमि और छावनियों के निदेशक की नियुक्ति	४१०
३२५	बीज उत्पादन योजना	४१०–११
३२६	दुजाना के नवाब	४११

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या		
३२७	आयकर संग्रह	
३२८	पदोन्नति में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण	४११
३२९	नये इनामी बांड योजना	४११–१२
३३०	विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	४१२
३३१	भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली	४१२
३३२	प्रतिकर भत्ता	४१३
३३३	कोणार्क मन्दिर	४१३
३३४	भारतीय ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व की पुस्तकें	४१३–१४
३३५	सरकारी नौकरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के अभियोग	४१४
३३७	जोधपुर के पास विमान दुर्घटना	४१४
३३८	धातु मिश्रित इस्पात का निर्माण	४१५
३३९	दिल्ली के स्कूलों के लिये अध्ययन दल	४१५
३४०	बच्चों के लिये पाठ्य पुस्तकें	४१५
३४१	रेणुका राय समिति रिपोर्ट	४१५–१६
३४२	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों की सप्लाई	४१६
३४३	कोयले संबंधी संस्थायें	४१६–१७
३४४	उत्तर प्रदेश में तेल की खोज	४१७
३४५	डिगबोई का तेल शोधक कारखाना	४१७
३४६	स्कूल के बच्चों के लिये केनवास के थैले	४१७–१८
३४७	केन्द्रीय शिक्षा सेवा	४१८
३४८	ज्वालामुखी में तेल निकालना	४१८
३४९	सैनिक पैंशनर	४१८–१९
३५०	तिरुमल नायक महल से अदालतों को हटाना	४१९–२०
३५१	इस्पात कारखानों में उपोत्पादों का उत्पादन	४२०
३५२	सुपारी के मूल्य	४२०
३५३	मुख्य न्यायाधीश	४२०–२१
३५४	पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिये होस्टल	४२२
३५५	ढलाई, सीमेंट आदि उद्योगों के लिये सहकारी अनुसंधान संस्था	४२२
३५६	रूस से इल्यूसिन विमान	४२२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३५७	दिल्ली में भूमि	४२२
३५८	ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा चलाये गये स्कूल तथा कालिज	४२३
३५९	प्रतिरक्षा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता . .	४२३
३६०	अबेरी के जमींदार . .	४२३
३६१	कांगड़ा में चांदमारी . .	४२३–२४
३६२	पंजाब रीति रिवाज कानून . . .	४२४
सभा पटल पर रखे गये पत्र		४२४–२९

(१) जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा २९ के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के जीवन बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे सहित ।

(२) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत दिनांक २ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या , एस० ओ०२०६० की एक प्रति ।

(३) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४५५ में प्रकाशित खनन पट्टे (शर्तों में रूपभेद) संशोधन नियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक ६ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५१ में प्रकाशित खनिज संरक्षण तथा विकास (प्रथम संशोधन) नियम, १९६१ ।

(ग) दिनांक २२ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९५१ में प्रकाशित खनिज संरक्षण तथा विकास (द्वितीय संशोधन) नियम, १९६१ ।

(घ) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८० ।

(४) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित

अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक १६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११३३ में प्रकाशित खनिज रियायत (संशोधन) नियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक ३० सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११९९ ।

(ग) दिनांक २८ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३०३ में प्रकाशित खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(५) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ की धारा ३१ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२८२ में प्रकाशित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(६) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १२ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०१८ की एक प्रति ।

(७) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९६१ की धारा ३ की उप धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक एक प्रति :

(क) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२४५ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा) संशोधन नियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक २८ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३०० में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) दूसरा संशोधन नियम, १९६१ ।

(८) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९—क की उपधारा (१) के अन्तर्गत भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण) लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(९) निम्नलिखित नियमों की एक एक प्रति :—

(एक) लोक सहायक सेना अधिनियम, १९५६ की धारा ११ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २५७

में प्रकाशित लोक सहायक सेना (संशोधन) नियम, १९६१ ।

(दो) रक्षित तथा सहायक वायु बल अधिनियम, १९५२ की धारा ३४ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ७ अक्तूबर, १९५१ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २८२ में प्रकाशित रक्षित तथा सहायक वायु बल अधिनियम, (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(१०) समुद्र, सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०७३ ।

(ख) दिनांक २ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०७४ ।

(ग) दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ११०० ।

(घ) दिनांक २३ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ११५३ ।

(११) समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक २३ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११५६ जिसमें दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८८ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(१२) समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप धारा (४), के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक २ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०७१ ।

(ख) दिनांक २ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०७२ ।

(ग) दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या, १०९९ ।

विषय पृष्ठ

(घ) दिनांक २३ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ११५२ ।

(१३) बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ की धारा ४५ की उपधारा (११) के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक ८ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २१९२ में प्रकाशित कैथोलिक बैंक लिमिटेड के पुनर्गठन और उसे कनारा औद्योगिक तथा बैंकिंग सिंडीकेट लिमिटेड में मिलाने की योजना ।

(ख) दिनांक १२ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २१९५ में प्रकाशित जोधपुर कमर्शियल बैंक लिमिटेड के पुनर्गठन और उसे सैंट्रल बैंक आफ इन्डिया में मिलाने की योजना ।

(ग) दिनांक ३० सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २३८१ में प्रकाशित बैंक आफ सिटीजन्स लिमिटेड के पुनर्गठन और उसे कनारा बैंकिंग निगम लिमिटेड में मिलाने की योजना ।

(घ) दिनांक ३ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २३८७ में प्रकाशित फाल्टन बैंक लिमिटेड के पुनर्गठन और उसे सांगली बैंक लिमिटेड में मिलाने की योजना ।

(ङ) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४८५ में प्रकाशित करूर मर्कंनटाइल बैंक लिमिटेड के पुनर्गठन और उसे लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड में मिलाने की योजना ।

(च) दिनांक १८ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २६८७ में प्रकाशित पीपल्स बैंक लिमिटेड के पुनर्गठन और उसे कनारा औद्योगिक तथा बैंकिंग सिंडीकेट लिमिटेड में मिलाने की योजना ।

(१४) औद्योगिक वित्त निगम एक्ट, १९४८ की धारा ३५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत भारत के औद्योगिक वित्त निगम के संचालन मन्डल की ३० जून, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और निगम की आस्तियां तथा दायित्वों तथा लाभ और हानि दिखाने वाला विवरण ।

(१५) पुनर्वास वित्त प्रशासन एक्ट, १९४८ की धारा १८ की उपधारा (२) के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त होने वाली

विषय पृष्ठ

छमाही के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन की रिपोर्ट की एक प्रति ।

*(१६) विदेशी मु ा विनियमन एक्ट, १९४७ की धारा, २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा विनियमन नियम, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक १५ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८९७ ।

(ख) दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९७२ ।

(१७) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र एक्ट, १९५९ की धारा १२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २२ जुलाई, १९६१ की अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० ९४१ में प्रकाशित डाकघर बचत प्रमाण-पत्र (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

५. प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . ४२९—३१

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) ने आगामी सामान्य निर्वाचनों के कार्यक्रम के बारे में एक वक्तव्य दिया । वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर भी रख दी गई ।

विधेयक पारित . . . . . ४३१—४०

(१) स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) ने प्रस्ताव किया कि असम नगर-पालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया ।

(२) वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) संशोधन विधेयक, १९६१ पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया ।

(३) वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) ने प्रस्ताव किया कि विदेशी चाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया ।

विषय पृष्ठ

हिन्दुस्तान एंटी बायोटिक्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव . . . . . ४४०—४८

श्री न० रा० मुनिस्वामी ने प्रस्ताव किया कि सदन हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष १९५८–५९ तथा १९५९–६० के प्रतिवेदनों पर विचार करे। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शुक्रवार, २४ नवम्बर, १९६१/३ अग्रहायण, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि ।

राज्य उपक्रमों संबंधी के प्रस्ताव पर चर्चा के बारे में। प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक पर विचार तथा पारित करना। गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा।

GIPND—LS III—1515(Ai)LSD—21-12-61—125.